

सत्रह बिन्दुओं वाली सूचना का अधिकार हस्तपुस्तिका

(RTI MANUAL)

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

(30 जून, 2010 तक का विवरण)



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी ।

जिला- नैनीताल (उत्तराखण्ड)

पिन कोड- 263139

प्राक्कथन

उत्तराखण्ड राज्य की समृद्ध परम्पराओं के आधार पर राज्य की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय संस्थानों की उन्नति और अभिवृत्ति के लिये शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और विस्तार के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना अधिनियम संख्या-23 वर्ष 2005 द्वारा की गयी है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न आधार अवधारित किये गये हैं:-

1. देश की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों का निर्माण।
2. समजीवी जनता, घरेलू महिलायें तथा ऐसे व्यक्तियों, जो विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन के श्रम इच्छुक हों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान कराना।
3. विकास एवं सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप अनुसंधान, शोध, प्रशिक्षण एवं कुशलता वृद्धि के अवसर उपलब्ध कराना।
4. विभिन्न विधाओं में विद्या की अभिवृद्धि और विशिष्टता के उद्देश्य से पाठ्यक्रमों का मिश्रण कर पाठ्यक्रमों को विरचित करना।
5. औपचारिक पद्धति के अनुपूरक के रूप में अनौपचारिक पद्धति के रूप में पाठ्यक्रमों का विकास तथा साफ्टवेयर के समुचित प्रयोग द्वारा गुणवत्ता का अन्तरण।
6. विभिन्न कलाओं, शिल्पों कुशलताओं की गुणवत्ता में सुधार कर जनसामान्य के लिये प्रशिक्षण आयोजित करना।
7. विभिन्न संस्थाओं के लिये अपेक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देना।
8. राष्ट्रीय एकता एवं मानव ब्यक्तित्व का समन्वित विकास।
9. दूरस्थ एवं अनुवर्ती शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिये प्रयास करना तथा अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के संयोग से नवीनतम ज्ञान और नई शिक्षण प्रौद्योगिकी के आधार पर उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गयी है जिनके माध्यम से अधिसंख्य प्रदेश वासियों को

उच्च शिक्षा अवसर सुलभ कराने का सतत प्रयास किया जा रहा है। आशा है कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये जा रहे कार्यों से राज्य के सभी वर्ग लाभान्वित होंगे।

1. संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2005 (अधिसूचना संख्या 608/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 दिनांक 31 अक्टूबर, 2005) द्वारा स्थापित किया गया है। अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से जिसमें संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग भी है अधिसंख्यक जनसमुदाय में शिक्षा व ज्ञान के प्रसार में अभिवृद्धि करेगा और अपने क्रियाकलापों को संचालित करने का सम्यक् ध्यान रखेगा।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ तथा कर्तव्य विश्वविद्यालय अधिनियम जो संलग्न है में व्याख्यायित किये गये हैं।

अधिनियम, परिनियम एवं प्रथम अध्यादेश
(ACT, STATUTES & FIRST ORDINANCE)



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिनियम
(ACT)

अधिनियम

अनुक्रमणिका

अध्याय	धारा	विषय	पृष्ठ संख्या
1	1	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1
1	2	परिभाषायें	2
2	3	विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन	3
2	4	विश्वविद्यालय के उद्देश्य	3
2	5	विश्वविद्यालय की शक्तियाँ	3
2	6	शक्तियों का प्रादेशिक प्रयोग	5
2	7	विश्वविद्यालय का सभी वर्गों एवं पन्थों के लिए खुला होना	5
3	8	निरीक्षण तथा जाँच	5
4	9	विश्वविद्यालय के अधिकारी	6
4	10	कुलाधिपति	6
4	11	कुलपति	6
4	12	निदेशक	7
4	13	कुलसचिव	7
4	14	वित्त अधिकारी	7
4	15	अन्य प्राधिकारी	7
5	16	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	8
5	17	कार्य परिषद	8
5	18	विद्या परिषद	8
5	19	योजना बोर्ड	8
5	20	अध्ययन केन्द्र	8
5	21	वित्त समिति	8
5	22	अन्य प्राधिकारी	8
6	23	विश्वविद्यालय निधि की स्थापना	8
6	24-26	निधि का गठन	9
6	27	उद्देश्य जिनके लिये विश्वविद्यालय निधि का उपयोग किया जायेगा।	9
6	28	व्यय सीमा से अधिक न होना	10
7	30	परिनियम	10
7	31	परिनियम कैसे बनाये जायेंगे	10
7	32	अध्यादेश	11
7	33	विनियम	11
8	34	वार्षिक प्रतिवेदन	11

8	35	लेखा और लेखा परीक्षा	12
8	36	अधिभार	12
9	37	कर्मचारियों की सेवा शर्तें	12
9	38	माध्यस्थम अधिकरण	12
9	39	भविष्य एवं पेंसन निधियाँ	12
10	40	विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद	13
10	41	आकिस्मक रिक्तियों का भरा जाना	13
10	42	रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना	13
10	43	सद्भाव पूर्वक की गयी कार्यवाही के लिये संरक्षण	13
10	44	विश्वविद्यालय के कर्मचारी ब्रन्द	13
11	45	कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति	13
11	46	संकमणकालीन उपबन्ध	13
11	47	परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना	14
—	—	अनुसूची	14



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 अक्टूबर, 2005 ई0
कार्तिक 09, 1927 शक सम्बत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 608/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 31 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 23, सन् 2005 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005

(अधिनियम संख्या 23, वर्ष 2005)

उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय को संज्ञा के अंतर्गत विश्वविद्यालय प्रकाशित करने हेतु

सूचना

भारत गणराज्य के अध्याय 200 में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) "विद्या परिषद्" और "कार्य परिषद्" से विश्वविद्यालय की क्रमशः विद्यापरिषद् और कार्य परिषद् अभिप्रेत है;
- (ख) "मान्यता बोर्ड" से विश्वविद्यालय का मान्यता बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ग) "महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या ऐसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है;
- (घ) "दूर शिक्षा पद्धति" से संचार के किसी माध्यम से यथा प्रसारण, दूर दृश्य प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमीनार, सम्पर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की प्रणाली अभिप्रेत है;
- (ङ) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (च) "अन्य पिछड़े वर्गों" से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं;
- (छ) "योजना बोर्ड" से विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ज) "विहित" से परिणियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (झ) "विद्यालय" से विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र अभिप्रेत हैं;
- (ञ) "परिणियमों, अध्यादेशों और विनियमों" से विश्वविद्यालय के क्रमशः परिणियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ट) "विद्यार्थी" से विश्वविद्यालय का विद्यार्थी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसने विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु अपना नामांकन कराया है;
- (ठ) "अध्ययन केन्द्र" से विद्यार्थियों को सलाह देने या परामर्श देने या उनको द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता देने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केन्द्र अभिप्रेत है;
- (ड) "क्षेत्रीय केन्द्र" से प्रदेश में स्थापित अध्ययन क्षेत्रों के कार्यों में समन्वय/निरीक्षण तथा अन्य कार्यों में सम्पादन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित क्षेत्रीय केन्द्र अभिप्रेत है;
- (ढ) "शिक्षक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिये विद्यार्थी का मार्गदर्शन करने या उसकी सहायता करने के लिये विश्वविद्यालय में शिक्षण देने के लिये नियुक्ति हो और इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के अध्यापक या निदेशक भी हैं;
- (त) "विश्वविद्यालय" से धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित उत्तरांचल गुणवत्ता विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (थ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी अभिप्रेत है जिसमें शिक्षक तथा विश्वविद्यालय का अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द भी सम्मिलित है;
- (द) "कुलाधिपति तथा कुलपति" से विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति तथा कुलपति अभिप्रेत हैं।

अध्याय-2

विश्वविद्यालय एवं उसके उद्देश्य

3. (1) "उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय इल्हानी में होगा तथा वह राज्य में ऐसे अन्य स्थानों पर शाखाएँ खोल कर सकेगा।

(3) कुलपति, कार्य परिषद एवं विधा परिषद के सदस्यों की हस्तियत से विश्वविद्यालय में तत्समय में पदधारक, उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे।

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा एक सामान्य मुद्रा (सील) होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लायेगा एवं उस पर वाद लाया जायेगा।

4. विश्वविद्यालय, दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से जिसमें किसी संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग भी है, अधिसंख्यक जनसमुदाय में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में अभिवृद्धि करेगा और अपने क्रियाकलापों को संचालित करने में अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

5. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :-

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

- (I) ज्ञान प्रौद्योगिकी वृत्तियों एवं व्यवसायों की ऐसी शाखाओं में जैसी विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायं, शिक्षण हेतु व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और प्रायोजित अनुसंधान की व्यवस्था करना;
- (II) उपाधियों, उपाधि-पत्रों, प्रमाण-पत्रों अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु शिक्षण पाठ्यक्रमों को योजित एवं विहित करना;
- (III) परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार, परीक्षाओं का आयोजन तथा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है या अनुसंधान किया है, उपाधियाँ, उपाधि-पत्रों अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें या मान्यतायें प्रदान करना;
- (IV) विहित रीति के अनुसार, मानद उपाधियाँ अथवा अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;
- (V) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में दूर शिक्षा का प्रायोजन करने की रीति का निर्धारण करना;
- (VI) शिक्षण देने के लिये या शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के लिये या ऐसे अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों का संचालन करने के लिये जिनके अन्तर्गत पाठ्यक्रमों के लिये मार्गदर्शन, उनकी रूपरेखा तैयार करना और उनका प्रस्तुतिकरण भी है, और छात्रों द्वारा किये गये कार्य के मूल्यांकन के लिये, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक से सम्बन्धित पद और अन्य शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (VII) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं, वृत्तिक निकायों और संगठनों के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, सहयोग करना और उनका सहयोग प्राप्त करना;

- (VIII) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और योग्यता की मान्यता के लिये ऐसे अन्य पारितोषिक संस्थित करना और देना, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे;
- (IX) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायें;
- (X) विहित रीति से अध्ययन केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना या मान्यता देना;
- (XI) शैक्षणिक सामग्री जिसके अन्तर्गत फिल्में, कैसेट, टेप, विडियोकैसेट और अन्य सॉफ्टवेयर हैं, तैयार करने के लिये व्यवस्था करना;
- (XII) शिक्षकों, पाठ्यलेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालायें, विचार गोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना;
- (XIII) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों को, चाहे पूर्णतः या भागतः, विश्वविद्यालय में परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों के समतुल्य रूप में मान्यता देना और किसी भी समय ऐसी मान्यता को वापस लेना;
- (XIV) शैक्षिक प्रौद्योगिकी और सम्बन्धित विषयों में, अनुसंधान, प्रायोजित अनुसंधान तथा विकास के लिए व्यवस्था करना;
- (XV) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;
- (XVI) विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु सदान, दान और उपहार ग्रहण करना तथा न्यासीय और राजकीय सम्पत्ति सहित किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का उपार्जन, धारण, अनुरक्षण तथा निस्तारण करना;
- (XVII) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या अन्यथा, ऋण पर धन प्राप्त करना;
- (XVIII) संविदायें करना, उनको कार्यान्वित, परिवर्तित अथवा निरस्त करना;
- (XIX) अध्यादेशों द्वारा अधिकथित फीस और अन्य प्रभारों की मांग एवं प्राप्ति करना;
- (XX) छात्रों और सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों के बीच अनुशासन की व्यवस्था करना, नियंत्रण करना और उसे बनाये रखना और ऐसे कर्मचारियों की संवा शर्तों को, जिनके अन्तर्गत उनकी आचरण संहिता भी है, अधिकथित करना;
- (XXI) संविदा पर या अन्यथा अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान कर सकें, नियुक्त करना;
- (XXII) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जायें, मान्यता देना;
- (XXIII) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिये शर्तें विनिर्दिष्ट करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन और परीक्षण की कोई अन्य रीति है;
- (XXIV) कर्मचारियों के साधारण स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि के लिये प्रबन्ध करना;
- (XXV) परिनियमों में विहित रीति से किसी महाविद्यालय या किसी क्षेत्रीय केन्द्र को स्वायत्त प्रारिथति प्रदान करना;

(XXVI) ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय को ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों के, जो आवश्यक हैं, प्रयोग से आनुबंगिक हों और विश्वविद्यालयों के सभी या किन्हीं उद्देश्यों के संप्रवर्तन में सहायक हों।

6. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय को अपनी शक्तियों के प्रयोग में अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगी।

शक्तियों का प्रादेशिक प्रयोग

7. (1) विश्वविद्यालय, वर्गों और पन्थों का विचार किये बिना, सभी व्यक्तियों के लिये, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिये ऐसे किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या उसमें उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपयोग करने या प्रयोग का हकदार बनाने के लिये कोई भी धार्मिक विश्वास या मान्यता का मानदण्ड अपनाना, उस पर अधिरोपित करना विधिपूर्ण नहीं होगा।

विश्वविद्यालय का सभी वर्गों और पन्थों के लिये खुला होना

(2) उपधारा 1 की कोई बात विश्वविद्यालय को स्त्रियों या समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों, विशिष्टतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को नियुक्ति या प्रवेश के लिये विशेष उपबन्ध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

अध्याय-3

निरीक्षण तथा जांच

8. (1) उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन रहते हुए कुलाधिपति को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दें, विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र जिसके अन्तर्गत उनके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी हैं, और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण करने या विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या ऐसे केन्द्रों के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के संबंध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

निरीक्षण तथा जांच

(2) कुलाधिपति प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा तथा विश्वविद्यालय को ऐसी सूचना की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अथवा कुलाधिपति द्वारा निर्धारित समय में, ऐसी जांच में, यदि आवश्यक समझे तो सम्मिलित होने का अधिकार होगा।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर, यदि कोई है, विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच करायेंगे जैसी कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट है।

(4) कुलाधिपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा यदि कोई निरीक्षण या जांच की जानी है तो विश्वविद्यालय को एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा सुने जाने का अधिकार होगा।

(5) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम में अपने विचार और उस पर कार्यवाही किये जाने के संदर्भ में, जो वह कहना चाहें और कुलपति को सम्बोधित कर सकेंगे। कुलाधिपति द्वारा सम्बोधित पत्र को कुलपति इस निरीक्षण अथवा जांच के परिणाम को तुरन्त कार्य परिषद् को संसूचित करेंगे और कुलाधिपति के विचार तथा परामर्श पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में बतायेंगे।

(6) कार्य परिषद्, कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में सूचित करेंगे।

(7) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय में कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्यवाही नहीं करते हैं तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रत्यावेदन व स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जो वह उचित समझते हैं, जारी कर सकते हैं और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उन निदेशों को मानने के लिये बाध्य होंगे।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की ऐसी कार्यवाहियों को निष्प्रभावी कर सकता है, जो कि अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के संगत न हों :

परन्तु ऐसा आदेश करने से पूर्व वह विश्वविद्यालय से यह कारण दर्शित करने के लिए कहेगा कि इस प्रकार का आदेश क्यों न किया जाय और यदि समुचित समय के अन्तर्गत कोई युक्तियुक्त कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

(9) कुलाधिपति की ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

अध्याय-4

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9. विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे :-

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति;
- (ग) निदेशक;
- (घ) कुलसचिव;
- (ङ) वित्त अधिकारी;
- (च) परीक्षा नियन्त्रक; और
- (छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

10. (1) राज्यपाल, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का समापतित्व करेगा।

(2) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगी।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करे।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जायें।

कुलपति

11. (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा उस रीति से, उस अवधि के लिये और उन उपलब्धियों और अन्य सेवा शर्तों पर, जैसी कि विहित की जायें, नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक व कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति के मतानुसार किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो तो वह अपने अधिकारों द्वारा या इसके अलावा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा ऐसे विषय पर स्वयं द्वारा कृत कार्यवाही को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को संसूचित करेगा :

परन्तु यह कि यदि संबंधित प्राधिकारी के मतानुसार ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी तो वह विषय को कुलाधिपति को निर्देशित कर सकता है जिसका उस विषय पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किये जाने के नब्बे दिनों के भीतर कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरि कार्य परिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकती है।

(4) यदि कुलपति यह समझते हैं कि किसी प्राधिकारी का विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के अंतर्गत है या यह है कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिये कह सकेगा और यदि प्राधिकारी अपने विनिश्चय का पूर्णतः मागतः पुनर्विलोकन करने से इन्कार करता है या साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु संबंधित प्राधिकारी का विनिश्चय, यथास्थिति, प्राधिकारी या कुलाधिपति द्वारा इस उपधारा के अधीन ऐसे विनिश्चय के पुनर्विलोकन की अवधि के दौरान निलम्बित रहेगा।

(5) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेश द्वारा विहित किये जायें।

12. प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति, ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा निदेशक का अन्य शर्तों पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, की जायेगी।

13. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा कुलसचिव का अन्य शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने का अधिकार होगा।

14. वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा वित्त अधिकारी का अन्य शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

15. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उनकी उपलब्धियां, अन्य प्राधिकारी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय-5

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

16. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-

(क) कार्य परिषद्;

(ख) विद्या परिषद्;

(ग) योजना बोर्ड;

(घ) अध्ययन केन्द्र;

(ङ) वित्त समिति; और

(च) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिये घोषित किये जायें।

कार्य परिषद्

17. (1) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

विद्या परिषद्

18. (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के भीतर विद्या, शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा के स्तरमानों का नियन्त्रण और साधारण विनियमन करेगी और उनको बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।

(2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

योजना बोर्ड

19. (1) विश्वविद्यालय का एक योजना बोर्ड गठित किया जायेगा जो विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में उपदर्शित आधारों पर विश्वविद्यालय के विकास को निर्देशित करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

(2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्ययन केन्द्र

20. (1) अध्ययन केन्द्र इतनी संख्या में होंगे जितनी विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे।

(2) अध्ययन केन्द्रों का गठन, शक्तियाँ और कार्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

वित्त समिति

21. वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अन्य प्राधिकारी

22. अन्य प्राधिकारियों का जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें, गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय-6

विश्वविद्यालय निधि

विश्वविद्यालय निधि की स्थापना

23. विश्वविद्यालय द्वारा निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित की जायेगी।

24. विश्वविद्यालय निधि निम्नांकित तरीकों से प्राप्त धन से निर्मित होगी:- निधि का गठन

- (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी निगमित निकाय द्वारा प्रदत्त ऋण, अंशदान अथवा अनुदान;
- (ख) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हो;
- (ग) विश्वविद्यालय की सभी धोतों से आग निकसने कीस तथा पम्पर से आग ना सम्भालत है;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशि।

25. विश्वविद्यालय निधि को, कार्य परिषद् के विवेक पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखा जायेगा अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूतियों में वेनिहित किया जायेगा।

26. इस धारा की कोई बात, किसी न्यास के प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उसकी ओर से निष्पादित न्यास की घोषणा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार की गयी है पर अधिरोपित किसी बाध्यता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगी।

27. विश्वविद्यालय निधि निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयुक्त की जायेगी:-

उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोग किया जायेगा -

- (क) इस अधिनियम व परिनियमों तथा अध्यादेश तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये ऋणों का भुगतान करने के लिए;
- (ख) विश्वविद्यालयों की उसके विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों तथा छात्रावासों की सम्पत्ति बनाये रखने के लिए;
- (ग) विश्वविद्यालय निधि की सम्परीक्षा की लागत का भुगतान करने के लिए;
- (घ) किसी वाद या कार्यवाही जिसका विश्वविद्यालय एक पक्षकार है, के व्यय के लिए;
- (ङ) विश्वविद्यालय उसके विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारीवृन्द के वेतन व भत्तों का भुगतान तथा इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों व उसके अधीन बनाये गये विनियमों के प्रयोजनों को अग्रसर करने व अन्य लाभांशों का भुगतान करने के लिए;
- (च) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के किसी उपबन्ध के अनुसरण में प्राधिकारियों के सदस्यों के यात्रा भत्तों व अन्य भत्तों का भुगतान करने के लिए;
- (छ) विद्यार्थियों को अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों का भुगतान करने के लिए;
- (ज) इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों व उसके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा आगत अन्य खर्चों का भुगतान करने के लिए;
- (झ) ऐसे अन्य खर्चों का भुगतान जिनका उल्लेख पूर्ववर्ती खण्डों में नहीं किया गया परन्तु जिन्हें विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाना कार्य परिषद् आवश्यक समझती हो।

व्यय सीमा से अधिक न होना

28. कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित किसी वर्ष में आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय की सीमा से अधिक व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

व्यय अनुमोदन पर किया जाना

29. कार्य परिषद् की पूर्वानुमति के बिना बजट में उपबन्धित के सिवाय कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

अध्याय-7

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

परिनियम

30. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा, जो विशिष्टतः उसमें निम्नलिखित उपबन्ध किये जायेंगे :-

- (क) कुलपति की नियुक्ति की रीति, उसकी नियुक्ति की अवधि, उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें तथा शक्तियां और कृत्य जिनका उसके द्वारा प्रयोग और पालन किया जायेगा;
- (ख) निदेशकों, कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उपलब्धियां और उनकी सेवा की शर्तें, शक्तियां तथा कृत्य, जिनका उक्त ऐसे अधिकारियों में से प्रत्येक के द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा;
- (ग) कार्य परिषद् और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों की पदावधियां व शक्तियां तथा कृत्य, जिनका प्रयोग और पालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा;
- (घ) अध्यापकों तथा विश्वविद्यालयों के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें;
- (ङ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;
- (च) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्यवाही के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक, कर्मचारी या छात्र द्वारा किसी अपील या पुनर्विलोकन के लिये किसी आवेदन के संबंध में प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वह समय है, जिसके भीतर ऐसी अपील या पुनर्विलोकन के लिये आवेदन किया जायेगा;
- (छ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे के लिये प्रक्रिया;
- (ज) अन्य सभी विषय जो अधिनियम के अधीन परिनियमों द्वारा उपबन्धित किये जाने हैं या किये जायें;
- (झ) प्रतिपादन व्यवस्था में दूरस्थ शिक्षा परिषद् के सिद्धान्तों का अनुपालन किया जायेगा।

परिनियम नये बनाये जायेंगे

31. (1) विश्वविद्यालय के अपने परिनियम सन्तुष्ट करने के लिये अधिसूचना जारी कर बनाये जायेंगे।

(2) कार्य परिषद् नये और अतिरिक्त परिनियम समय-समय पर बना सकेगी, या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी :

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय विहित रूप में अभिव्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार न किया गया हो।

(3) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या अपनी अनुमति विधायित कर सकेगा या उस पर अग्रतर विचार करने के लिये कार्य परिषद् को भेज सकेगा।

(4) कोई नया परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कुलाधिपति द्वारा उसकी अनुमति न दे दी गयी हो।

(5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के दौरान नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में कार्य परिषद् को निर्देश दे सकेगा कि परिनियम में उपबन्ध किया जाय और यदि कार्य परिषद् ऐसे निर्देश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसे निर्देश को कार्यान्वित करने में असमर्थ है तो कुलाधिपति, कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निर्देश का पालन करने में अपनी असमर्थता के लिये संसूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् परिनियम बना सकेगा या उनका यथोचित रूप में संशोधन कर सकेगा।

32. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा, अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किये जायें; अध्यादेश

(2) उप धारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात्:-

(क) छात्रों का प्रवेश, पाठ्यक्रम और उनके लिए फीस, उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों और अन्य पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित अर्हताओं, अध्येतावृत्तियों, पारितोषकों और वैसी ही अन्य बातों की मंजूरी के लिए शर्तें;

(ख) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षकों के नियुक्ती और उनकी नियुक्ति भी है; और

(3) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाये जायेंगे, और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश ऐसी रीति से जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्तित किये जा सकेंगे।

33. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गयी समितियों, यदि कोई हों, के कार्य संचालन के लिए और जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है, ऐसी रीति से जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जायें, ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं। विनियम

अध्याय-8

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा

34. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होंगे। वार्षिक प्रतिवेदन

(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलपति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी, जो उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

लेखा और लेखा
परीक्षा

35. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र, कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तरांचल या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें कुलाधिपति इस निमित्त प्राधिकृत करें, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर, उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन के सम्प्रेक्षणों के साथ कुलाधिपति को, कार्य परिषद्, यदि कोई हो, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर से पूर्व प्रस्तुत की जायेगी। वार्षिक लेखा की एक प्रति लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी जो उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

(3) वार्षिक लेखा पर कुलाधिपति द्वारा किए गए सम्प्रेक्षण कार्य परिषद् के ध्यान में लाए जायेंगे।

अधिभार

36. (1) धारा 9 के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) तथा (च) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी परिणियमों द्वारा विहित की जाये।

अध्याय-9

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

कर्मचारियों की
सेवा शर्तें

37. (1) इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कर्मचारी जिसके अन्तर्गत अध्यापक भी हैं, लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा तथा ऐसी संविदा, इस अधिनियम, परिणियमों एवं अध्यादेशों से असंगत नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संविदा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी तथा उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

माध्यस्थ
अधिकरण

38. (1) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी या अध्यापक के बीच धारा-36 में निर्दिष्ट नियोजन की किसी संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद, किसी भी पक्ष के अनुरोध पर माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी या अध्यापक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अधिनिर्णायक होगा।

(2) ऐसा प्रत्येक निर्देश माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थान्तर्गत इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम के लिए निवेदन समझा जायेगा।

भविष्य एवं पेंशन
निधियाँ

39. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों एवं अध्यापकों के फायदे के लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी परिणियमों द्वारा विहित की जायें, ऐसी भविष्य एवं पेंशन निधियों का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा, जैसी वह उचित समझे।

(2) जहाँ ऐसी किसी भविष्य या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया हो, वहाँ राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध ऐसी निधि पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

अध्याय-10

प्रकीर्ण

40. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो यह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।
41. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से किसी सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी, जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।
42. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।
43. कोई विवाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेश के उपबन्धों में से किसी अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी है या की जाने के लिये तात्पर्यवित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।
44. (1) विश्वविद्यालय उत्तनी संख्या में कर्मचारियों, जिसके अन्तर्गत शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द भी हैं, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाये, को नियुक्त करेगा। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जायें।
- (2) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते ऐसे हों जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायें।

विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण

विश्वविद्यालय के कर्मचारीवृन्द

अध्याय-11

विविध एवं संक्रमणकालीन उपबन्ध

45. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।
- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।
46. (1) इस अधिनियम एवं परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी—
- (क) प्रथम कुलपति, प्रथम कुलसचिव तथा प्रथम वित्त अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और उनकी सेवा शर्तें परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से शासित होंगी : परन्तु प्रथम कुलपति परिनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से दूसरी अवधि के लिये नियुक्ति का पात्र होगा।
- (ख) प्रथम कार्य परिषद् में पन्द्रह से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।
- (ग) प्रथम योजना बोर्ड में दस से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

संक्रमणकालीन उपबन्ध

(2) योजना बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त विद्या परिषद् की शक्तियों का प्रयोग तब तक करेगा जब तक कि इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन विद्या परिषद् का गठन नहीं किया जाता और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना बोर्ड ऐसे सदस्य को सहयोजित कर सकेगा, जो वह विनिश्चित करे।

परिनियमों,
अध्यादेशों और
विनियमों का
राजपत्र में
प्रकाशित किया
जाना

47. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 23 क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी उत्तरांचल अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं, यदि राज्य विधान सभा, यथास्थिति, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत होती है या उन्हें अनुमोदित करने के लिए सहमत नहीं होती है तो ऐसा कोई उपान्तरण या निःश्रमाव परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची

(धारा-4 देखिये)

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

1. विश्वविद्यालय राज्य के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए जो राज्य की समृद्ध परम्पराओं पर आधारित हो राज्य की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय संसाधनों की उन्नति और अभिवृद्धि के लिए शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और विस्तारण के माध्यम से, प्रयास करेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह—

- (क) नियोजन की आवश्यकताओं से सम्बन्धित तथा देश की अर्थव्यवस्था के, उसके प्राकृतिक और मानवीय साधनों के आधार पर, निर्माण के लिए आवश्यक उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें विविध प्रकार का बनायेगा;
- (ख) जनता के बड़े भागों और विशिष्टतया सुविधारहित समूह को, जैसे कि वे समूह जो दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके अन्तर्गत श्रमजीवी जनता, घरेलू महिलायें और ऐसे वयस्क हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने व अर्जित करने की इच्छा रखते हैं, उच्चतर शिक्षा तक उनकी पहुँच के लिये उपबन्ध करेगा;
- (ग) शीघ्रता से विकसित और परिवर्तित होने वाले समाज में ज्ञान के अर्जन का संवर्धन करेगा और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में नव-परिवर्तन, अनुसंधान, शोध के संदर्भ में ज्ञान, प्रशिक्षण और कुशलता बढ़ाने के लिये लगातार अवसर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करेगा;
- (घ) ज्ञान के नये क्षेत्रों में विद्या की अभिवृद्धि करने और उसे विशिष्टतया प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्या के तरीकों और गति, पाठ्यक्रमों के मिश्रण, नामांकन की पात्रता, प्रवेश की आयु, परीक्षाओं के संचालन और प्रवेश के प्रयोग के सम्बन्ध में सुनिश्चित और निर्विघ्न विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की नई प्रणाली के लिए उपबन्ध करेगा;
- (ङ) औपचारिक पद्धति की अनुपूरक अनौपचारिक पद्धति का उपबन्ध करके और विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित पाठों और अन्य सॉफ्टवेयर का व्यापक रूप से उपयोग करके गुणवत्ता के अन्तरण को और शिक्षण कर्मचारीवृन्द के विनियम को प्रोत्साहित करके शैक्षणिक पद्धति के सुधार में सहयोग देगा;

- (च) देश की विभिन्न कलाओं, शिल्पों और कुशलताओं में, उनकी गुणवत्ता में सुधार करके जनता के लिये उनकी उपलब्धता में वृद्धि करके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध करेगा;
- (छ) ऐसे कार्यकलापों या संस्थाओं के लिये अपेक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण लिये उपबन्ध या प्रबन्ध करेगा;
- (ज) अध्यापन के यथोचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये उपबन्ध करेगा
- (झ) अपने छात्रों के लिये परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए उपबन्ध करेगा; और
- (ञ) अपनी नीति एवं कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता व मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास में वृद्धि करेगा।

(2) विश्वविद्यालय दूर और अनुवर्ती शिक्षा के विविध माध्यमों से उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयास करेगा और उच्चतर शिक्षा के विद्यमान विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के सहयोग से कृत्य करेगा और नवीनतम ज्ञान का और नई शिक्षण प्रौद्योगिकी का ऐसी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिये जो समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप हो, पूर्ण उपयोग करेगा।

आज्ञा से,

यू० सी० ध्यानी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of The Uttaranchal Open University Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 23 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on October 27, 2005.

No. 608/Vidhayee and Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, October 31, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL OPEN UNIVERSITY ACT, 2005

(ACT No. 23 OF 2005)

To establish a University to be known as Uttaranchal Open University

AN

ACT

Be it enacted in the Fifty-sixth year of the Republic of India by the Uttaranchal Legislative Assembly as follows :-

CHAPTER-I

Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Open University Act, 2005.
- (2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the official gazette, appoint.
2. In this Act (unless the context otherwise requires) --

Short title and
Commencement

Definition

- (a) "Academic Council" and "Executive Council" mean respectively the Academic Council and the Executive Council of the University;
- (b) "Board of Recognition" means the Board of Recognition of the University;
- (c) "College" means a college or other academic Institutions established or maintained by, or admitted to the Privileges of the University;
- (d) "Distance education system" means the system of imparting education through any means of communication, such as broadcasting, telecasting correspondence courses, seminars, contact programmes or the combination of any two or more of such means;
- (e) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;
- (f) "Other Backward Classes" means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Uttaranchal Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (as applicable in the State of Uttaranchal) as amended from time to time;
- (g) "Planning Board" means the Planning Board of the University;
- (h) "Prescribed" means prescribed by the Statutes;
- (i) "School" means a school of studies of the University;
- (j) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" means, respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University;
- (k) "Student" means a student of the University, and includes any person who has enrolled himself for pursuing any course of study of the University;
- (l) "Study Centre" means a centre established, maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students;
- (m) "Regional Centre" means a centre established or maintained by the University for the purpose of coordinating and supervising the work of study centres anywhere in the State and for performing such other functions;
- (n) "Teacher" means a person employed for imparting instruction in the University or for giving guidance or rendering assistance to students for pursuing any course of study of the University and includes a Principal or Director of a College;
- (o) "University" means the Uttaranchal Open University established under Section 3 of this Act;
- (p) "Employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other academic staff of the University;
- (q) "Chancellor & Vice Chancellor" mean respectively the Chancellor and Vice Chancellor of the University.

CHAPTER-II

The University and its Objects

3. (1) There shall be established a University by the name of "The Uttaranchal Open University".

Establishment and incorporation of the University

(2) The headquarters of the University shall be at Haldwani (Nainital) and it may establish or maintain colleges or Study Centres at such other places as it may deem fit.

(3) The Vice Chancellor and the members of the Executive Council and Academic Council for the time being holding office as such in the University, shall constitute a body corporate by the name of the Uttaranchal Open University.

(4) The University shall have perpetual succession and common seal and shall sue and be sued by the said name.

4. The University shall promote dissemination of learning and knowledge through distance education systems including the use of any communication technology to provide opportunities for higher education to a large segment of the population and shall, in organizing its activities, have due regard to the objects specified in the first schedule.

The Objects of the University

5. The University shall have the following powers, namely :—

Powers of the University

- (I) To provide for instruction in such branches of knowledge, technology, vocations and professions as the University may determine from time to time and to make provision for research as well as sponsored research;
- (II) To plan and prescribe courses of study for degrees, diplomas certificates or for any other purpose;
- (III) To hold examinations and confer degrees, diplomas, certificates or other academic distinctions or recognitions on persons who have pursued a course of study or conducted research in the manner laid down by the Statutes and Ordinances;
- (IV) To confer honorary degrees or other distinctions in manner prescribed;
- (V) To determine the manner in which distance education in relation to the academic programmes of the University may be organised;
- (VI) To institute professorships, readerships, lecturerships and other academic positions necessary for imparting instruction or for preparing educational material or for conducting other academic activities, including guidance, designing and delivery of courses and evaluation of the work done by the students, and to appoint persons to such professorships, readerships, lecturerships and other academic positions;
- (VII) To co-operate with, and seek the co-operation of, other universities and institution of higher learning, professional bodies and organisations for such purposes as the University considers necessary;
- (VIII) To institute and award fellowships, scholarships, prizes and such other awards for recognition of merit as the University may deem fit;
- (IX) To establish and maintain such Regional Centres, as may be determined by the University from time to time;
- (X) To establish, maintain or recognize Study Centres in the manner prescribed;

- (XI) To provide for the preparation of instructional materials, including films, cassettes, tapes, video cassettes and other software;
- (XII) To organise and conduct refresher courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, lesson writers, evaluators and other academic staff;
- (XIII) To recognize examinations of, or periods of study whether in full or part, at other universities, institutions or other places of higher learning as equivalents to examinations or periods of study in the University, and to withdraw such recognition at any time;
- (XIV) To make provisions for research, sponsored research and development in education technology and related matters;
- (XV) To create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto;
- (XVI) To receive benefactions, donations and gifts and to acquire, hold, maintain and dispose off any property movable or immovable, including Trust and Government property, for the purposes of the University;
- (XVII) To borrow, with the approval of the State Government whether on the security of the property of the University or otherwise, money for the purposes of the University;
- (XVIII) To enter into, carry out, vary or cancel contracts;
- (XIX) To demand and receive such fees and other charges as may be laid down by the Ordinances;
- (XX) To provide, control and maintain discipline among the students and all categories of employees and to lay down the conditions of service of such employees, including their codes of conduct;
- (XXI) To appoint, either on contract or otherwise, visiting professors, emeritus professors, consultants, fellows, scholars, artists, course writers and such other person who may contribute to the advancement of the objects of the University;
- (XXII) To recognize persons working in other Universities, institutions or organizations as teachers of the University on such terms and conditions as may be laid down by the Ordinances;
- (XXIII) To determine standards and specify conditions for the admission of students to courses of study of the University which may include examination, evaluation and any other methods of testing;
- (XXIV) To make arrangements for the promotion of the general health and welfare of the employees;
- (XXV) To confer autonomous status on a college or Regional Centre in the manner prescribed in the statutes;
- (XXVI) To do all such acts as may be necessary or incidental to the exercise of all or any of the powers of the University as are necessary and conducive to the promotion of all or any of the Objects of the University;
6. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in

Territorial
exercise of
power

University open
to all classes
and creeds

State of Uttaranchal.

7. (1) The University shall be open to persons of either sex irrespective of class, race, caste or of creed, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be appointed as a teacher of the University, or to hold any other office therein or admitted as a student in the University or to graduate there at, or to enjoy or exercise any privilege thereof.

(2) Nothing in sub-section (1) shall be deemed to prevent the University from making any special provision for the appointment or admission of women or of person belonging to the weaker sections of the society, and in particular of persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or other backward classes.

CHAPTER—III

8. (1) Subject to the provisions of sub-section 3 & 4 (The Chancellor shall have the right to cause any inspection to be made, by such person or persons as he may direct, of the University or of any Regional Centres or Study Centre(s) maintained by the University including its buildings, library, laboratories and equipments, and also of the examinations instructions and other work conducted or done by the University and to cause an enquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

Inspection and
Inquiry

(2) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University, shall on receipts of such notice, have the right to make, within thirty days from the date of receipts of the notice or such other period as the Chancellor may determine, such representations to him as it may consider necessary.

(3) After considering the representations, if any, made by the University, the Chancellor may cause to be made such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (2).

(4) Where an inspection or inquiry has been caused to be made by the person appointed by the Chancellor, the University shall be entitled to appoint a representative, who shall have the right to appear in person and to be heard on such inspection or inquiry.

(5) The Chancellor may address the Vice Chancellor with reference to the results of such inspection or inquiry together with such views and advice with regard to the action to be taken thereon as the Chancellor may be pleased to offer and on receipt of the address made by the Chancellor, the Vice Chancellor shall communicate forthwith to the Executive Council the results of the inspection or inquiry and the views of the Chancellor and the advice tendered by him upon the action to be taken thereon.

(6) The Executive Council shall communicate through the Vice Chancellor to the Chancellor such action, as it proposes to take or has been taken by it upon the results of such inspection or inquiry.

(7) If authorities of the University does not, within reasonable time, take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may, after considering any explanation furnished or representation made by the authorities of the University issue such directions as he may think fit and the authorities of the University shall be bound to comply with such direction.

(8) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor, may, by an order in writing, annul any proceedings of the University which is not in conformity with this Act, the Statutes or the Ordinances :

Provided that before making any such order, he shall call upon the University to show cause why such an order should not be made and, if any cause is shown within a reasonable time, he shall consider the same.

(9) The Chancellor shall have such other powers as may be specified by the Statutes.

CHAPTER-IV

Officers of the University

Officers of the University

9. The following shall be the officers of the University :--

- (a) The Chancellor;
- (b) The Vice Chancellor;
- (c) The Director;
- (d) The Registrar;
- (e) The Finance Officer;
- (f) The Examination Controller, and
- (g) Such other Officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

The Chancellor

10. (1) The Governor shall be the Chancellor of the University. He shall, by virtue of his office, be the Head of the University and shall when present preside over the convocation of the University.

(2) Every proposal for the conferment of any honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

(3) It shall be the duty of the Vice Chancellor to furnish such information or records relating to the administration of the affairs of the University as the Chancellor may call for.

(4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by or under this Act or the Statutes.

The Vice Chancellor

11. (1) The Vice Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in such manner, for such terms and on such emoluments and other conditions of service as may be prescribed by the Statutes :

Provided that the first Vice Chancellor of the University shall be appointed by the State Govt. and shall hold office for a term of three years.

(2) The Vice Chancellor shall be the Principal academic and executive officer of the University and shall exercise supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the authorities of the University.

(3) The Vice Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any officer or authority of the University by or under this Act and shall report to such officer or authority the action taken by him on such matter :

Provided that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final :

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice Chancellor under this sub-section shall have the right to appeal against such action to the Executive Council within Ninety days from the date on which such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may, if it is of the opinion that the action taken by the Vice Chancellor,

(4) The Vice-Chancellor, if he is of the opinion that any decision of any authority is beyond the powers of the authority conferred by the provisions of this Act, Statutes or Ordinances or that any decision taken is not in the interests of the University, may ask the authority concerned to review its decision within sixty days of such decision and if the authority refuses to review its decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of sixty days, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final :

Provided that the decision of the authority concerned shall remain suspended during the period of review of such decision by the authority or the Chancellor, as the case may be, under this sub-section.

(5) The Vice Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

12. Every Director shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of services, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed by the Statutes. The Director

13. (1) Registrar shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of services, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed by the Statutes. The Registrar

(2) The Registrar shall have the power to enter into and sign, agreements, authenticate records on behalf of the University.

14. The Finance Officer, shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Statutes. The Finance Officer

15. The manner of appointment, emoluments, powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed by the Statutes. Other Officers

CHAPTER-V

Authorities of the University

16. The following shall be authorities of the University :-

Authorities of the University

- (a) The Executive Council;
- (b) The Academic Council;
- (c) The Planning Board;
- (d) The Schools of Studies;
- (e) The Finance Committee;
- (f) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.

17. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University. The Executive Council

(2) The constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

18. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall be subject to the provisions of this Act, the Statutes and Ordinances, have the control and general regulation of, and be responsible for, maintenance of standards of learning, education, instruction, evaluation and examination within the University and shall exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed upon it by the Statutes. The Academic Council

(2) The constitution of the Academic Council and the term of office of its members shall be such as may be prescribed by the Statutes.

19. (1) There shall be constituted a Planning Board of the University which shall be the principal planning body of the University and shall also be responsible for the monitoring of the developments of the University on the lines indicated in the objects of the University. The Planning Board

(2) The Constitution of the Planning Board, the term of office of its members and its powers and functions shall be as may be prescribed by the Statutes.

The Schools of
Studies

20. (1) There shall be such number of Schools of Studies as the University may determine from time to time.

(2) The constitution, powers and functions of the Schools of Studies shall be such as may be prescribed by the Statutes.

The Finance
Committee

21. The constitution, powers and functions of Finance Committee shall be such as may be prescribed by the Statutes.

Other
Authorities

22. The constitution, powers and functions of the other authorities which may be declared by the Statutes to be authorities of the University shall be such as may be prescribed by the Statutes.

CHAPTER-VI

University Fund

Establishment
of University
Fund

23. The University shall establish a Fund to be called the University Fund :-

Constitution of
Fund

24. The following shall form part of or be paid into the University Fund;

- (a) Any loan, contribution or grant by Central or State Government or any body corporate;
- (b) Trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any;
- (c) The income of the University from all sources including income from fees and charges;
- (d) All other sums received by the University.

25. The University Fund shall be kept in any Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934) or invested in securities authorised by the Indian Trusts Act, 1882 (No. 2 of 1882), at the discretion of the Executive Council.

26. Nothing in this section shall in any way affect any obligation accepted by or imposed upon the University by any declaration of trust executed by or on behalf of the University for the administration of any trust.

Objects to
which
University Fund
may be applied

27. The University Fund shall be applicable to the following purposes :-

- (a) To the repayment of debts incurred by the University for the purposes of this Act and the Statutes, and the Ordinances and Regulations made thereunder;
- (b) To the upkeep of the property of the University including the departments, regional centres, study centres, and the hostels;
- (c) To the payment of cost of audit of the University Fund;
- (d) To the expenses of any suit or proceedings to which University is a party;
- (e) To the payment of salaries and allowances of the teaching and non-teaching staff of the University, Regional Centres, Study Centres and Departments maintained by the University and in furtherance of the purposes of this Act, Statutes and Ordinances and Regulations made thereunder and to the payment of other benefits;
- (f) To the payment of travelling and other allowances of the members of the authorities of the University in pursuance of any provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations;
- (g) To the payment of fellowships, scholarships and other awards to the students;

- (h) To the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder;
- (i) To the payment of any other expenses not specified in any of the preceding clauses declared by the Executive Council to be the expense for the purposes of the University.

28. No expense shall be incurred by the University in excess of the limits for Expenditure not
Council. Limit

29. No expenditure other than that provided for in the budget shall be incurred by the University without the previous approval of the Executive Council. No Expenses without Approval

CHAPTER-VII

Statutes, Ordinances and Regulations

30. Subject to the provisions of this Act, the statutes may provide for all or Statutes
of the following matters relating to the University and shall in particular provide for:--

- (a) The manner of appointment of the Vice Chancellor, the term of his appointment, the emoluments and other conditions of his service and the powers and functions that may be exercised and performed by him;
- (b) The manner of appointment of Directors, Registrars, Finance Officer and other officers, the emoluments and other conditions of their service and the powers and functions that may be exercise and performed by each of the officers;
- (c) The constitution of the Executive Council and other authorities of the University, the terms of office of the members of such authorities and the powers and functions that may be exercised and performed by such authorities;
- (d) The appointment of teachers and other employees of the University, their emoluments and other conditions of service;
- (e) The principles governing the seniority of service of the teachers and other employees of the University;
- (f) The procedure in relation to any appeal or application for review by any employee or student of the University against the action of any officer or authority of the University, including the time within which such appeal or application for review shall be preferred or made;
- (g) The procedure for the settlement of disputes between the employees or students of the University and the University;
- (h) All other matters which by the Act are to be, or may be, provided by the Statutes;
- (i) Distance Education Council norms may be followed in delivery system.

31. (1) The first statutes of the University shall be made by the State Government by Notification. Statutes how made

(2) The Executive Council may from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) :

Provided that the Executive Council shall not make, or repeal any Statute affecting the status, powers or constitutions of any authority of the University until such authority has been given a reasonable opportunity to express its opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed has been considered by the Executive Council.

(3) Every new Statute or addition to a Statute or any amendment or repeal thereof shall require the approval of the Chancellor, who may assent to it or withhold his assent thereon or remit it to the Executive Council for further consideration.

(4) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall not be valid unless it has been assented to by the Chancellor in the light of observation if any made by him.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Chancellor may make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) during the period of three years from the commencement of this Act.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Chancellor may direct the Executive Council to make provisions in the Statutes in respect of any matter specified by him, and if the Executive Council is unable to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Executive Council for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes suitably.

Ordinance

32. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for by the Ordinance;

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Ordinance shall provide for the following matters, namely :--

- (a) The admission of students, the courses of study and the fees thereof, the qualifications pertaining to degrees, diplomas, certificates and other courses, the conditions for the grant of fellowships, awards and the like,
- (b) The conduct of examinations, including the terms and conditions and appointment of examiners; and

(3) The first Ordinance shall be made by Vice Chancellor with the previous approval of the State Government and the Ordinances so made may be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in the manner prescribed by the Statutes.

Regulations

33. The authorities of the University may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances for the conduct of their own business and that of the Committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances in such manner as may be prescribed by the Statutes.

CHAPTER-VIII

Annual Report and Accounts

Annual Report

34. (1) The Annual Report of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects.

(2) The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor on or before such date as may be prescribed by the Statutes.

(3) A copy of the annual report, prepared under sub-section (1) shall also be submitted to the State Government which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the State Legislature.

35. (1) The annual accounts and the balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall, once at least every year, and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Directors, Local Funds Accounts, Uttaranchal or by such person or persons as the Chancellor may authorize in this behalf.

Account and Audit

(2) A copy of the accounts and balance sheet together with the audit report shall be submitted to the Chancellor along with the observations, if any, of the Executive Council before the thirteenth of September every year. A copy of the accounts together with audit report shall also be submitted to State Government, which shall, as soon as, may be, cause the same to be laid before the State Legislature.

(3) Any observations made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Executive Council and the views of the Executive Council, if any, on such observations, shall be submitted to the Chancellor.

36. (1) An officer specified in any of the clauses (b), (c), (d), (e) and (f) of section 9 shall be liable to surcharges for the loss, waste or misapplication of any money or property of the University, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or mis-conduct.

Surcharges

(2) The procedure of surcharges and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed by the Statutes.

CHAPTER-IX

Conditions of Services of Employees

37. (1) Except as otherwise provided by or under this Act every employee of the University including a teacher of the University may be appointed under a written contract and such contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances.

Conditions of service of employees

(2) The contract referred to in sub-section (1) shall be lodged with the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.

38. (1) Any dispute arising out of a contract of employment referred to in section 36 between the University and an employee or a teacher shall, at the request of either party, be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of one member nominated by the Executive Council, one member nominated by the employee or teacher concerned and an umpire to be nominated by the Chancellor.

Tribunal of Arbitration

(2) Every such reference shall be deemed to be a submission to arbitration upon the terms of this section within the meanings of Arbitration and Conciliations Act, 1996.

39. (1) The University shall constitute for the benefit of the employees and teachers such provident or pension funds or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes.

Provident and Pension Funds

(2) Where any provident or pension fund has been so constituted, the State Government may declare that the provisions of the Provident Funds Act, 1925 shall apply to such funds, as that were a Government Provident Funds.

CHAPTER-X

Miscellaneous

40. If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Disputes to the constitution of the authorities and bodies

Filling up of
Casual
Vacancies

41. All the casual vacancies among the members other than members of any authority or other body of the University shall be filled, if it may be convenient, by the person or body, who appoints, elects, or co-opts members whose place has become vacant and any person appointed or co-opted to a casual vacancy shall be member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

Proceedings of
University
authorities or
bodies not
invalidated by
Vacancies

42. No act or proceedings of any authority or any other body of the University shall be invalidated merely by reason of the existence of any vacancy among its members.

Protection of
action taken in
good faith

43. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act or the Statutes or the Ordinances of the University.

Staff of the
University

44. (1) The University shall appoint such number of employees of the academic staff as may be sanctioned by the State Government from time to time. The terms and conditions of service of the employees of the University shall be as may be prescribed by the Statutes.

(2) The salaries and allowances payable to various categories of employees of the University shall be such as may be determined by the State Government from time to time.

CHAPTER—XI

Miscellaneous and Transitional Provisions

Power to
remove
difficulties

45. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.

Transitional
provisions

46. (1) Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes of the University:

- (a) the first Vice Chancellor, the first Registrar and the first Officer shall be appointed by the State Government and shall be governed by the terms and conditions of service specified in the Statutes;

Provided that the first Vice Chancellor shall be eligible for re-appointment in the manner specified in the Statutes for another term.

- (b) the Executive Council shall consist of not more than fifteen members who shall be nominated by the Chancellor and they shall hold office for a term of three years; and

- (c) the first Planning Board shall consist of not more than fifteen members who shall be nominated by the Chancellor and they shall hold office for a term of three years.

(2) The Planning Board shall, in addition to the powers and functions conferred on it by this Act, exercise the powers of the Academic Council if the Academic Council is constituted under the provisions of this Act and the Statutes and in the exercise of such powers, the Planning Board may co-opt such members as it may decide.

47.(1) Every Statute, Ordinance or Regulation made under this Act shall be published in the Official Gazette.

Statutes,
Ordinances and
Regulations to
be Published in
the Official
Gazette

(2) Every Statutes, Ordinances or Regulations made under this Act, shall as soon as, may, after it is made, be placed before the State Assembly and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (as applicable in the State of Uttaranchal) shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act. If the State Assembly agree in making any modification in the Statutes, Ordinances or Regulations or do not agree to approve the same, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the Statutes, Ordinances or Regulations.

THE SCHEDULE

(See Section 4)

The Objects of the University

1. The University shall endeavour through education, research, training and extension to play a positive role in the development of the State, and based on the rich heritage of the State to promote and advance the culture of the people of Uttaranchal and its human resources and towards this end, it shall-

- (a) strengthen and diversify the degree, diploma and certificate courses related to the needs of employment and necessary for building the economy of the country on the basis of its natural human resources;
- (b) provide access to higher education for large segments of the population, and in particular, the disadvantaged groups such as those living in remote and rural areas including working people, housewives and other adults who wish to upgrade or acquire knowledge through studies in various fields;
- (c) promote acquisition of knowledge in a rapidly developing and changing society and to continually offer opportunity for upgrading knowledge, training and skills in the context or innovations, research and discovery in all fields of human endeavours;
- (d) provide an innovative system of University level education, flexible and open, in regard to method and pace of learning combination of courses, eligibility for enrollment age of entry, conduct of examination and operation of the programmes with a view to promote learning and encourage excellence in new fields of knowledge;
- (e) contribute to the improvement of the educational system by providing a non-formal channel complementary to the formal system and encouraging transfer of credits and exchange of teaching staff by making wide use of texts and other software developed by the University;
- (f) provide education and training in the various arts, crafts and skills of the country, raising their quality and improving their availability to the people;
- (g) provide or arrange training of teachers required for such activities or institutions;
- (h) provide suitable Post-graduate courses of study and promote research;

- (i) provide the counselling and guidance to its students; and
- (j) promote national integration and the integral development of the human personality through its policies and programmes.

The University shall strive to fulfil the above objects by a diversity of means of distance and continuing education, and shall function in co-operation with the existing Universities and Institutions of higher learning and make full use of the latest scientific knowledge and new educational technology to offer a high quality of education which matches contemporary needs.

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.

परिनियम
(STATUTES)

●



परिनियम

अनुक्रमणिका

अध्याय	अनुच्छेद	विषय	पृष्ठ संख्या
1	1	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1
1	2	परिभाषायें	1
2	10 (4)	कुलाधिपति की शक्तियाँ	1-2
3	11(1)	कुलपति की नियुक्ति, पदावधि, परिलब्धियाँ और शक्तियाँ तथा कृत्य	2-4
4		निदेशक, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारी	4
4	5	निदेशक	4
4	6	कुलसचिव की सेवा शर्तें, शक्तियाँ और कर्तव्य	4-5
4	7	वित्त अधिकारी की सेवा शर्तें, शक्तियाँ और कर्तव्य	5-6
4	8	परीक्षा नियंत्रक की सेवा शर्तें, शक्तियाँ और कर्तव्य	7
5		विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	7
5	9	कार्य-परिषद् का गठन उसकी पदावधि तथा कृत्य एवं शक्तियाँ	7-9
5	10	विद्या-परिषद् का गठन और उसकी शक्तियाँ तथा कृत्य	9
5	11	योजना बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियाँ तथा कृत्य	9-10
5	12	मान्यता बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियाँ तथा कृत्य	10
5	13	अध्ययन केन्द्र (विद्या शाखा), बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियाँ तथा कृत्य	10-12
5	14	वित्त समिति और उसकी शक्तियाँ तथा कृत्य	12-13
5	15	परीक्षा समिति	13
5	16	अन्य प्राधिकारी	14
5	17	विशेषज्ञ समितियाँ	14
5	18	अनुशासनिक समिति	14-15
5	19	विषय समिति	15
6		विश्वविद्यालय के अध्यापक	15
6	20	अध्यापकों का वर्गीकरण	15
6	21	विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की अर्हता	16
6	22	उपाचार्य की अर्हता और नियुक्ति	16
6	23	आचार्य के लिए अर्हताएं	16
6	24	शक्तियों का अवधारण	16
6	25	शक्तियों का विज्ञापन	16-17
6	26	अध्यापक वर्ग की सेवा के निबंधन और शर्तें	17
6	27	परिवीक्षा	17-19
6	28	कैरियर अभिवर्धन योजना	19-20

6	29	वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति का गठन	20-21
6	30	अध्यापकों की ज्येष्ठता	21
6	31	ज्येष्ठता अवधारण	21-23
6	32	आकस्मिक छुट्टी	23-24
6	33	अधिवर्षिता की आयु	24
6	34	अन्य उपबन्ध	24-25
7		कर्मचारी वर्ग (अध्यापक से भिन्न) की सेवा के निबन्धन और शर्तें	25
7	35	पुस्तकालयाध्यक्ष	25
8		उपाधियां और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना	25
8	36	मानद उपाधि प्रदान करना	25-26
9	37	किसी उच्च शिक्षा संस्था की मान्यता	26
10	38	दीक्षान्त समारोह	26-27
11	39	अधिभार	27-28
12	40	वार्षिक प्रतिवेदन	28
13		अध्यादेश और विनियम	28
13	41	अध्यादेशों और विनियमों की विरचना	28-29
13	42	विनियमों का बनाया जाना	29
-	-	परिशिष्ट 'क'	30

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग-6

अधिसूचना

09 जून, 2009 ई०

संख्या-69/उच्च शिक्षा विभाग-राज्यपाल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 23, वर्ष 2005) की धारा 31 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के लिए निम्नवत् प्रथम परिनियमावली बनाते हैं-

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

प्रथम परिनियमावली, 2009

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- (1) इस परिनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 2009 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2-परिभाषाएं-

जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस परिनियमावली में-

- (क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;
- (ख) "अध्यापक की आयु" से, संबंधित अध्यापक की जन्मतिथि जो कि अध्यापक की हाई स्कूल या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित है, संगणना की तारीख तक, संगणित अभिप्रेत है;
- (ग) "खण्ड" से परिनियम का वह खण्ड अभिप्रेत है, जिसमें उक्त पद आया है;
- (घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
- (ङ) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;
- (च) "विश्वविद्यालय" से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (छ) ऐसे शब्दों तथा पदों के जो अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु इस परिनियमावली में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।

अध्याय-दो

कुलाधिपति की शक्तियां

3-कुलाधिपति की शक्तियां [धारा 10 (4)]-

(1) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर, जो उन्हें धारा 40 के अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिन्हें वह आवश्यक समझें, मांग सकते हैं, और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं और ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं, जिसे वह उचित समझें।

(2) निम्नलिखित किन्हीं परिस्थितियों में कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिए, जैसा वह विनिर्दिष्ट करें, कुलाधिपति के पद पर नियुक्त कर सकेंगे :-

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पदत्याग या पदावधि की समाप्ति या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुल सचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जायेगी,

(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे परिनियम 3 के खण्ड (1) से खण्ड (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो,

(ग) किसी अन्य आपात स्थिति में :

परन्तु यह कि कुलाधिपति इस परिनियम के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय-समय पर बढ़ा सकेंगे, किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि, जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है, एक वर्ष से अधिक न हो।

(3) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जानबूझकर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

(4) परिनियम 2 के खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाये,

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे वह परिलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी, जिनके लिए वह अन्यथा, परिनियम 4 के खण्ड (8) के अधीन हकदार था।

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का निर्वहन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

अध्याय—तीन

कुलपति

4—कुलपति की नियुक्ति, पदावधि, परिलब्धियां और शक्तियां तथा कृत्य [धारा-11(1)]—

(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा परिनियम 3 के खण्ड (2) या परिनियम 4 के खण्ड (5) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम परिनियम 4 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों।

(2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी, अर्थात्:—

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रख्यात शिक्षाविद;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव, जो सदस्य संयोजक होगा।

(3) परिनियम 4 के अधीन, पदावधि की समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाए, ऐसी तारीख के पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय ऐसे व्यक्तियों में से, जिनकी संस्तुति की गयी है, प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी, किन्तु वह उनमें कोई अधिमान क्रम उपदर्शित नहीं करेगी।

(4) जहां कुलाधिपति ऐसे व्यक्तियों में से, जिनकी संस्तुति की गयी है या जिनकी समिति द्वारा सिफारिश की गयी है, किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझते हैं, अथवा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गयी है उनमें से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो कुलाधिपति समिति से, परिनियमों के अनुसार, नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(5) यदि समिति परिनियम 4 के खण्ड (3) या परिनियम 4 के खण्ड (4) में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असमर्थ है, या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नामों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं, तो कुलाधिपति शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्ति करेंगे, जो परिनियम 4 के खण्ड (3) के अनुसार नाम प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थीं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसके संबंध में बाद में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(7) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा :

परन्तु यह कि कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा कुलपति किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपने पद पर नहीं बना रहेगा।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(9) कुलपति अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा :

परन्तु यह कि जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाये तो उसे उस भविष्य निधि में जिसका वह अगिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा, जिस सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा है।

(10) जब तक कि कोई कुलपति परिनियमावली के अधीन अपने पद का कार्यभार न संभाल ले, तब तक विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(11) कुलपति—

(क) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की बैठकों, और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(ख) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र समुचित दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(12) कुलपति धारा 16 के अधीन यथा उल्लिखित विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(13) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस परिनियम के अधीन मत देने का हकदार नहीं होगा।

(14) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 10 तथा 40 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(15) कुलपति को कार्य परिषद्, योजना बोर्ड, विद्या परिषद्, वित्त-समिति तथा सभी अन्य साविधिक समितियों की बैठकें बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी।

(16) जहां विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना तत्काल कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण प्रक्रिया में मामलों के संबंध में कार्यवाही करते :

परन्तु यह कि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित के रूप में प्रभावी होगी। किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तरण से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु अग्रत्तर यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस परिनियमावली के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के उस तारीख से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के अन्दर कार्यपरिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्यपरिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्टि या उपांतरित कर सकेगी या उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगी।

(17) परिनियम 4 के खण्ड (6) में किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में न की गयी हो।

(18) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जायें।

(19) कुलपति,—

(एक) अनुदेशकों, पाठ्यक्रम लेखकों, पटकथा लेखकों, काउन्सलरों, परामर्शदाताओं, प्रोग्रामरों, कलाकारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझा जाये;

(दो) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक समझे जायें, और अध्यादेशों में अधिकथित प्रक्रिया अनुसार चयनित हों, एक समय में छः मास से अनधिक की अवधि के लिए अल्पकालिक नियुक्तियां कर सकता है;

(तीन) समय-समय पर यथाअपेक्षित रूप से विभिन्न स्थानों पर अध्ययन केन्द्रों और प्रोग्राम केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण करेगा और विश्वविद्यालय अपने किसी कर्मचारी को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा जो उक्त केन्द्रों के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझी जायें;

(चार) विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और प्रशासकों की समिति या समितियां गठित करेगा, जो कि विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक हों।

अध्याय—चार

निदेशक, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी

और अन्य अधिकारी

5—निदेशक (धारा 12)—

(1) निदेशक, प्रत्येक विद्या शाखा से वरिष्ठता के आधार पर आचार्यों में से चक्रानुक्रम के अनुसार कुलपति द्वारा अधिकतम 3 वर्षों हेतु अथवा अधिवर्षता पूर्ण होने, जो भी पहले हो, तक नियुक्त किये जायेंगे। निदेशक विद्या शाखा के अन्तर्गत समस्त विभागों/विषयों में अकादमिक कार्यों में समन्वय स्थापित करेंगे।

(2) निदेशकों की सेवा की अन्य शर्तें एवं वेतन परिलब्धियां इत्यादि ऐसी होंगी जैसी कि विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग के लिए विहित हैं।

6—कुलसचिव की सेवा शर्तें, शक्तियां और कर्तव्य (धारा 13)—

(1) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की जायेगी। कुलसचिव के नियंत्रणाधीन उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव भी अन्य राज्य विश्वविद्यालय की तरह ही राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे :

परन्तु यह कि यदि किन्हीं कारणों से लोक सेवा आयोग कुलसचिव की नियुक्ति करने में असमर्थ रहता है अथवा यह पद रिक्त रहता है तो कुलपति राज्य सरकार से परामर्श कर विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त कर सकेगा या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त करने का निर्देश ले सकेगा।

(2) कुलसचिव की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायं।

(3) कुलसचिव की सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) के अधीन बनाई गयी उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

(4) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। कुलसचिव, कार्य परिषद्, योजना बोर्ड, विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गठित प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह मत देने का हकदार न होगा।

(5) कुलसचिव को अधिनियम और परिनियमावली में यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जाएगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(6) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुलसचिव का अनुशासनिक नियंत्रण निम्नलिखित के सिवाय विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों पर होगा:-

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण ;

(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या पारिश्रमिक वाले कोई पद धारण कर रहे हों या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अंतरीक्षक (इनविजिलेटर) हों;

(ग) पुस्तकालयाध्यक्ष।

(7) परिनियम 6 के खण्ड (6) में निर्दिष्ट अनुशासनिक नियंत्रण से सम्बन्धित किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, परिनियम 18 के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को कुल सचिव के माध्यम से अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(8) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य परिषद् द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो;

(ख) विभिन्न प्राधिकारियों की बैठक से संबंधित प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिए समस्त सूचनायें जारी करना और ऐसी समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखना;

(ग) कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, योजना बोर्ड और मान्यता बोर्ड का सरकारी पत्राचार;

(घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना, जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर करना, अभिवचनों का सत्यापन करना।

7-वित्त अधिकारी की सेवा शर्तें, शक्तियों और कर्तव्य [धारा (14)]-

(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा। वित्त अधिकारी की नियुक्ति वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों में से की जायेगी। उसकी परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, राज्य सरकार के वित्त एवं लेखा सेवा के लेखाधिकारियों पर लागू नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगी। वित्त अधिकारी को संदेय परिलब्धियों का मुग्तान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा, नाम-निर्दिष्ट किसी एक विद्या-शाखा निदेशक द्वारा किया जायेगा और यदि किसी कारण ऐसा करना साध्य न हो तो कुलसचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाये।

(3) वित्त अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे:-

- (क) कार्य परिषद् में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा;
- (ख) विश्वविद्यालयों के क्रिया-कलापों से संबंधित ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करना, ऐसी सूचना को प्रस्तुत करना, जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक हों;
- (ग) कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण;
- (घ) यह सुनिश्चित करना, कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय, जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाए;
- (ङ) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जिससे अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो;
- (च) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाए और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;
- (छ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है;
- (ज) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना;
- (झ) किसी वित्तीय मामले में स्वतः या अपेक्षित होने पर उसका परामर्श देना;
- (ञ) नकदी तथा बैंक में जमा राशि तथा विनिधान की स्थिति पर लगातार निगरानी रखना;
- (ट) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का संवितरण करना और उसके लेखे रखना;
- (ठ) यह सुनिश्चित करना कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपमोज्य अन्य सामग्रियों के भण्डार (स्टॉक) की नियमित जांच की जाती है;
- (ड) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना और समक्ष प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देना;
- (ढ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी मांगना, जिसे वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे;
- (ण) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक लेखा परीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करना और उन बिलों की पूर्व लेखा परीक्षा करना, जो तत्संबंधी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हों;
- (त) वित्तीय मामलों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन, जो उसे कार्य-परिषद् अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें;
- (थ) विश्वविद्यालय के लेखा और लेखा परीक्षा अनुभाग के सहायक कुलसचिव (लेखा), यदि कोई हों, से निम्न स्तर के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखना और उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखाधिकारी, यदि कोई हों, के कार्य का पर्यवेक्षण करना।

(4) यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के संबंध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाये, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

- (छ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति या उसका नाम-निर्देशिनी जो प्रति उप कुलपति से निम्न पद का न हो; सदस्य
- (ज) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके पदेन सदस्य द्वारा नामित प्रतिनिधि

(2) कुलपति के सिवाय कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए कार्य परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा :

परन्तु यह कि यदि इस परिनियम में (ख) से (ड) तक के पदेन सदस्यों में चक्रानुक्रम में चयन के लिए अन्य व्यक्ति उपलब्ध न हो तो ज्येष्ठता क्रम में ही पुनः किसी सदस्य को नियुक्त किया जा सकेगा।

- (3) कार्य-परिषद् के सदस्यों की पदावधि का आरम्भ, चयन या नाम-निर्देशन की तिथि से प्रारम्भ होगा।
- (4) कार्य-परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति, कार्य-परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा की जाएगी।
- (5) परिनियम 9 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम-निर्देशित नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह स्नातक न हो।

(6) कोई व्यक्ति परिषद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह या उसका संबंधी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल की आपूर्ति करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई सविदा स्वीकार करता है :

परन्तु यह कि इस परिनियम की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी हॉल या छात्रावास के अधीक्षक या अभिरक्षक (वार्डन) अथवा कुलानुशासक (प्रॉक्टर) या उप शिक्षक (ट्यूटर) के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा विश्वविद्यालय के संबंध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

(7) पदेन सदस्यों से भिन्न, कार्य परिषद् के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(8) कार्य-परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

- (एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;
- (दो) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से अध्यापकों और शिक्षणेत्तर पदों का सृजन करना;
- (तीन) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को परिभाषित करना;
- (चार) यथास्थिति, शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग की नियुक्तियों को अनुमोदित करना;
- (पांच) शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग की अस्थायी रिक्तियों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना;
- (छः) अतिथि आचार्यों प्रतिष्ठित (इमेरिटस) आचार्य, कलाकारों और पाठ्यक्रम लेखकों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना और अध्यादेशों में विहित मानदेय के आधार पर ऐसी नियुक्तियों के निबन्धनों और शर्तों को अवधारित करना ;
- (सात) विश्वविद्यालय के ऐसे अतिरिक्त धन को, ऐसी प्रतिभूतियों में, जैसा वह ठीक समझे या विश्वविद्यालय के विकास के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति की खरीद में निवेश करना;
- परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन कोई कार्यवाही वित्त-समिति के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं की जायेगी;
- (आठ) अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के अनुसार अध्यापक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग में अनुशासन को विनियमित और प्रवर्तित करना;
- (नौ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से व्यथित अनुभव करें, शिकायतों पर विचार करना, न्यायनिर्णीत करना और शिकायतों को दूर करना;
- (दस) वित्त समिति के अनुमोदन से पाठ्यक्रम लेखकों, सविदा व्यक्तियों, परीक्षकों और अन्वेषकों को देय पारिश्रमिक, यात्रा एवं अन्य भत्तों को नियत करना;

8-परीक्षा नियंत्रक की सेवा शर्तें, शक्तियां और कर्तव्य (धारा 15)-

परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुत व्यक्ति विश्वविद्यालय के उपाचार्य से निम्न पंक्ति का नहीं होगा :

परन्तु यह कि किन्हीं कारणों से पूर्णकालिक परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति न हो पाने की दशा में कुलपति विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी को तात्कालिक व्यवस्था के रूप में परीक्षा नियंत्रक नियुक्त कर सकेगा।

(1) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायं।

(2) परीक्षा नियंत्रक की सेवा की अन्य शर्तें, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए इस परिनियमावली द्वारा विहित की गयी सेवा की शर्तों द्वारा शासित होंगी।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जायें या कार्य-परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय, या विद्या-शाखा या अध्ययन केन्द्र से कोई सूचना, ऐसे विवरण प्रस्तुत करने या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(4) परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(5) कुलपति और परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्संबंधी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार स्वीकार्य के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

अध्याय-पांच

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

9-कार्य-परिषद् का गठन उसकी पदावधि तथा कृत्य एवं शक्तियां (धारा 17)-

(1) कार्य-परिषद् में निम्नलिखित होंगे:-

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) परिनियम 13 में उल्लिखित विद्या शाखा से ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो निदेशक	सदस्य
(ग) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक आचार्य	सदस्य
(घ) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक उपाचार्य	सदस्य
(ङ.) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक प्राध्यापक	सदस्य
(च) कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पन्द्रह नामों के पैनल (सूची) में से कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले चार व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं :	

(एक) दो प्रख्यात शिक्षाविद् सदस्य

(दो) अग्रणी उद्योग से दो व्यक्ति सदस्य

- (ग्यारह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा के प्रयोग की व्यवस्था करना;
 (बारह) अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति संस्थित करना;
 (तेरह) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना और निरसित करना;
 (चौदह) विश्वविद्यालय के लिए बजट तैयार करना;
 (पन्द्रह) विभिन्न कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों और अन्य विषयों के लिए कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम फीस, परीक्षा फीस और अन्य फीस/प्रभार विहित करना।

10-विद्या-परिषद् का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा-18)-

(1) विद्या-परिषद् में निम्नलिखित होंगे :-

(एक) कुलपति	अध्यक्ष
(दो) विद्या-शाखाओं में सभी निदेशकगण	सदस्य
(तीन) ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम में चयनित किये जाने वाले दो आचार्य, दो उपाचार्य और दो प्राध्यापक	सदस्य
(चार) पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
(पांच) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो	सदस्य
(छः) ऐसी रीति में, जैसा विद्या-परिषद् उचित समझे, सहयोजित किये जाने वाले शिक्षा के क्षेत्र में पांच व्यक्ति	सदस्य
(सात) कुलसचिव	सदस्य/सचिव

(2) किसी बैठक की गणपूर्ति विद्या-परिषद् के आठ सदस्यों द्वारा होगी।

(3) कुलपति के सिवाय, कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए विद्या-परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा।

(4) कोई भी सदस्य दो से अधिक क्रमवर्ती पदावधि के लिये नामित नहीं किया जायेगा।

(5) विद्या-परिषद् की अन्य शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे :-

- (क) विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और अनुदेश की पद्धतियों या शैक्षणिक मानकों में सुधार के संबंध में निर्देश देना;
 (ख) योजना बोर्ड या विद्या शाखा या कार्य-परिषद् से किसी निर्देश पर या स्वप्रेरणा से सामान्य हित के मामलों पर विचार करना ; और
 (ग) शिक्षा संबंधी सभी विद्या-शाखा मामलों पर कार्य-परिषद् को परामर्श देना।

11-योजना बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 19)-

(1) योजना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- | | |
|--|---------|
| (एक) कुलपति | अध्यक्ष |
| (दो) अध्यापकवर्ग में से; ज्येष्ठता क्रम में, कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट चार व्यक्ति | सदस्य |
| (तीन) विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति को विशेषज्ञता के लिए कार्य-परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले पांच व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों :- | सदस्य |
| (क) वाणिज्यिक प्रबंधन; | |
| (ख) विद्वत्तापूर्ण वृत्तियां; | |
| (ग) विज्ञान/मानविकी/समाज विज्ञान/पर्यावरण; | |
| (घ) दूरस्थ शिक्षा; और | |
| (ङ.) वाणिज्य तथा उद्योग। | |

(2) योजना बोर्ड के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(3) (क) कुलपति और प्रतिकुलपति के सिवाय कोई भी व्यक्ति दो से अधिक क्रमवर्ती अवधि के लिए योजना बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।

(ख) योजना बोर्ड की बैठक ऐसे अन्तराल पर होगी, जैसा वह समीचीन समझे, किन्तु इसकी वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें होंगी।

(ग) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति योजना बोर्ड के छः सदस्यों द्वारा होगी।

(4) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय हेतु समुचित कार्यक्रम और क्रियाकलापों को अभिकल्पित और तैयार करेगा और विषय पर जिसे वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे, उसे कार्य-परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा :

परन्तु यह कि किसी विषय पर शिक्षा-परिषद् और योजना बोर्ड के मध्य मतभेद होने की दशा में उसे कार्य-परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

12-मान्यता बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य [धारा 2 (ख)]-

(1) मान्यता बोर्ड निम्नवत संरचित होगा :-

(एक)	कुलपति	अध्यक्ष
(दो)	प्रत्येक विद्या-शाखा का निदेशक	सदस्य
(तीन)	कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये गये विद्या-परिषद् के दो सदस्य	सदस्य
(चार)	कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट योजना बोर्ड का एक सदस्य	सदस्य
(पांच)	कार्य-परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया कार्य-परिषद् का एक सदस्य	सदस्य
(छः)	कुलसचिव	सदस्य सचिव

(2) मान्यता बोर्ड की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे :-

- (क) विद्या-परिषद् और कार्य-परिषद् के अनुमोदन से संस्थाओं की मान्यता के लिए मानक निर्धारित करना;
- (ख) कुलपति द्वारा उसको निर्दिष्ट किये गये संस्थाओं की मान्यता हेतु आवेदनों का परीक्षण करना और अपनी संस्तुतियों को विद्या-परिषद् को प्रस्तुत करना;
- (ग) ऐसी संख्या में, जैसी आवश्यक हो, समितियां नियुक्त करना;
- (घ) ऐसे कृत्यों का निष्पादन करना, जो उसे विद्या-परिषद् द्वारा सौंपे जायें।

13-अध्ययन केन्द्र (विद्या शाखा), बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 20)-

(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित विद्या शाखाएँ होंगी; अर्थात् :-

- (क) मानविकी,
- (ख) समाज विज्ञान,
- (ग) प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य,
- (घ) विज्ञान,
- (ङ) कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान,
- (च) भाषा विज्ञान,
- (छ) पर्यटन, होटल प्रबन्धन एवं खाद्य प्रौद्योगिकी (फूड टेक्नोलॉजी),
- (ज) ऐसे अन्य पाठ्यक्रम/विद्या शाखा, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जायें :
- परन्तु यह कि कार्य-परिषद् द्वारा अनुमोदित तिथि से विद्या शाखा कार्य करना आरम्भ करेगी।

(2) कार्य-परिषद्, कुलपति की संस्तुति से विद्या शाखा को एक या अधिक विषय सौंप सकती है, जैसा कि कृत्यों के उचित निर्वहन के हित में हो।

(3) प्रत्येक विद्या शाखा का एक बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) विद्या शाखा का निदेशक	अध्यक्ष
(ख) विद्या शाखा के सभी आचार्य	सदस्य
(ग) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो उपाचार्य	सदस्य
(घ) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो प्राध्यापक	सदस्य

(4) कुलपति के सिवाय विद्या शाखा बोर्ड के सदस्यों की अवधि दो वर्ष होगी।

(5) 3 (क) तथा 3 (ख) के सिवाय, कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए विद्या शाखा बोर्ड का सदस्य नहीं रह सकेगा।

(6) विद्या शाखा बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

- (एक) विद्या शाखा में अनुसंधान कार्यों का संवर्धन;
- (दो) शैक्षिक परिषद् के निर्देशों के अनुसार विद्या शाखा के शैक्षिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम के ढांचे को अनुमोदित करना;
- (तीन) कुलपति द्वारा गठित विशेषज्ञ-समिति (समितियों) के परामर्श पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार पाठ्यक्रम का अनुमोदन;
- (चार) विद्या शाखा को समनुदेशित विद्याओं के आचार्यों के परामर्श से तैयार किये गये विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, अध्ययन केन्द्र में निदेशक के प्रस्ताव पर, पाठ्यक्रम लेखकों, परीक्षकों और अनुसंगकों (मॉडरेटर्स) के नामों को कुलपति को संस्तुत करना;
- (पांच) अन्य विद्या शाखा के सहयोग से पाठ्यक्रम लेखकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
- (छः) उप शिक्षकों (ट्यूटर्स) और परामर्शियों के लिए कार्यक्रमों/ पुनश्चर्या/ ग्रीष्म कालीन पाठ्यक्रमों अथवा संगोष्ठियों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
- (सात) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए सामान्य अनुदेश तैयार करना;
- (आठ) विद्या शाखा के समनुदेशित विद्याओं के पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सामग्री की तैयारी के लिए अपनायी गयी कार्य-प्रणालियों की समीक्षा करना, शैक्षिक सामग्री का मूल्यांकन करना, और विद्या-परिषद् को उपयुक्त संस्तुतियां करना;
- (नौ) पहले से प्रयोग में चल रहे पाठ्यक्रमों का समय-समय पर, यदि आवश्यक हो तो, बाहरी विशेषज्ञों की सहायता से समीक्षा करना और पाठ्यक्रमों में ऐसे परिवर्तन करना, जो अपेक्षित हों;
- (दस) अध्ययन/सम्पर्क/कार्यक्रम केन्द्रों की सुविधाओं और प्रयोगशाला/क्षेत्र कार्य के लिए सुविधाओं की नियत कालिक रूप से, जैसा कि विद्या शाखाओं द्वारा अवधारित किया जाय, समीक्षा करना;
- (ग्यारह) ऐसे समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें, और सभी ऐसे विषयों पर विचार करना जो उसे कार्य-परिषद्, विद्या-परिषद्, योजना बोर्ड या कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किये जायें, और
- (बारह) ऐसी सामान्य या-विशिष्ट शक्तियों को, जो समय-समय पर विद्या शाखा द्वारा विनिश्चित की जायें, निदेशक बोर्ड के या किसी अन्य सदस्य या किसी समिति को प्रत्यायोजित करना।

(7) मानविकी विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी:-

- (1) संस्कृत और प्राकृत भाषा,
- (2) हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषाएं,
- (3) अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय भाषाएं,
- (4) दर्शनशास्त्र,

- (5) मनोविज्ञान,
- (6) अर्थशास्त्र, ✓
- (7) प्राच्य विद्या,
- (8) पत्रकारिता एवं जनसंचार,
- (9) उर्दू
- (10) पुस्तकालय और सूचना विज्ञान।

(8) समाज विज्ञान विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी :-

- (1) राजनीति शास्त्र,
- (2) प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विज्ञान,
- (3) मध्ययुगीन और आधुनिक इतिहास,
- (4) समाज विज्ञान,
- (5) समाज कार्य,
- (6) लोक प्रशासन।

(9) प्रबंधन अध्ययन, विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी :-

- (1) वाणिज्य,
- (2) प्योर एंड एप्लाइड इकोनॉमिक्स (विशुद्ध एवं अनप्रयुक्त अर्थशास्त्र),
- (3) व्यवसाय प्रशासन और व्यवसाय प्रबंधन,
- (4) वित्तीय विश्लेषण एवं लेखाशास्त्र।

(10) विज्ञान विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी :-

- (क) रसायन,
- (ख) भौतिकी,
- (ग) गणित,
- (घ) वनस्पति,
- (ङ) वानिकी,
- (च) प्राणि विज्ञान,
- (छ) भूगोल।

(11) कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी :-

- (क) कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं कम्प्यूटर अभियांत्रिकी,
- (ख) सूचना प्रौद्योगिकी।

(12) भाषा विज्ञान

(13) पर्यटन, आतिथ्य सेवा एवं होटल प्रबंध विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी :-

- (क) पर्यटन,
- (ख) आतिथ्य सेवा, होटल मैनेजमेंट एण्ड खाद्य प्रौद्योगिकी (फूड टेक्नोलॉजी)

14-वित्त समिति और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 21)-

(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(क) कुलपति

(ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी

(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी

(घ) कार्य-परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी न हो

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

(2) वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(3) वित्त समिति, कार्य-परिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बंधित विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य-परिषद् पर बाध्यकर होगी।

(4) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्य-परिषद् उस पर कोई निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्य-परिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वो निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपने असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापिस करेगी और यदि कार्य-परिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) यदि कार्य-परिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करे, जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय अन्तर्गुस्त हो, तो कार्य-परिषद् वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी।

(6) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ और तत्पश्चात् कार्य-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) वित्त समिति के सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत न हो तो असहमति टिप्पणी अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

(8) लेखाओं की जांच करने तथा व्यय के प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति की प्रति वर्ष कम से कम दो बार बैठक होगी।

15-परीक्षा समिति-

(1) परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(एक)	कुलपति	अध्यक्ष
(दो)	शैक्षिक शाखाओं के सभी निदेशक	सदस्य
(तीन)	शैक्षिक परिषद् का एक सदस्य	सदस्य
(चार)	कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्य-परिषद् का एक सदस्य	सदस्य
(पांच)	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य सचिव

(2) परिनियम 15(1) के (तीन) एवं (चार) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

(3) परीक्षा समिति की बैठकें कुलपति द्वारा, जैसे और जब आवश्यक हों, बुलाई जायेंगी।

(4) परीक्षा समिति विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिनके अन्तर्गत अनुसूचन तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी, और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्:-

(क) अध्ययन बोर्ड की सिफारिश पर परीक्षकों तथा अनुसूचकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और अनुमोदन के लिए उसे विद्या-परिषद् को प्रस्तुत करना;

(ग) शैक्षिक-परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम की घोषणा करना;

(घ) परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए विद्या-परिषद् से सिफारिश करना।

(5) परीक्षा समिति परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से संबंधित मामलों के संबंध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने के लिए उतनी उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी, जितनी वह ठीक समझे।

(6) इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, परीक्षा समिति या उपसमिति को, जिसे परीक्षा समिति के परिनियम 15 के खण्ड (5) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति प्राधिकृत की हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवजित करने की शक्ति होगी।

16-अन्य प्राधिकारी-

- (1) एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य प्राधिकारी होंगे :-
 (2) प्रत्येक विषय में एक अध्ययन बोर्ड होगा, जिसका गठन, शक्तियाँ और कृत्य नीचे दिये गये हैं :-
 (एक) अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) अध्ययन बोर्ड के सभी आचार्य;

(ख) चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता के आधार पर, एक वर्ष के लिए दो उपाचार्य;

(ग) चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता के आधार पर, एक वर्ष के लिए दो प्राध्यापक;

(घ) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये छः नामों की नामिका (पैनल) में से विद्या-परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ :

परन्तु यह कि यदि अध्ययन बोर्ड या विद्या-परिषद् विशेषज्ञों के नामों को प्रस्तुत करने में विफल रही है, तो कुलपति तीन विशेषज्ञों को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(दो) अध्ययन बोर्ड को निम्नलिखित कृत्यों के निष्पादन की शक्ति होगी:-

(क) विषय में प्रदान किये जाने वाले पाठ्यक्रम तैयार कर निर्माण करना और उसे विद्या शाखा के बोर्ड को उसके विचार के लिये सौंपना, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा;

(ख) अध्ययन केन्द्र के बोर्ड द्वारा यथावांछित पाठ्यक्रम लेखकों, समीक्षकों और विशेषज्ञों की पहचान करना;

(ग) शिक्षा सत्र के कार्यों के लिये परीक्षकों व अनुसीमकों की नामिका (पैनल) तैयार करना;

(घ) कुलपति द्वारा अनुमोदित किसी अभिकरण की माध्यम से नामावली या परीक्षा परिणामों की कम्प्यूटरीकृत निर्मिति को प्राधिकृत करना;

(ङ) ऐसे विषय से संबंधित कोई अन्य मामला, जो कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

(3) अध्ययन बोर्ड की कार्यवाही अध्ययन-शाखा के बोर्ड के माध्यम से विद्या-परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।

17-विशेषज्ञ समितियाँ-

(1) कुलपति उतनी संख्या में विशेषज्ञ समितियों का गठन कर सकता है, जितनी वह उचित समझे और विषय विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है, जो अध्ययन बोर्ड के सदस्य न हों।

(2) इस परिणियमावली के अधीन नियुक्त कोई समिति अध्ययन बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किसी विषय के संबंध में कार्यवाही कर सकती है।

(3) विशेषज्ञ समिति की कार्यवाही अध्ययन केन्द्रों के बोर्ड के माध्यम से विद्या-परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।

18-अनुशासनिक समिति-

(1) कार्य-परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उचित समझे, एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी, जिसमें कुलपति और उसके समिति द्वारा या कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे :

परन्तु यह कि यदि कार्य-परिषद् समीचीन समझे तो वह विभिन्न मामलों या विभिन्न श्रेणियों के मामलों पर विचार करने के लिए ऐसी एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।

(2) ऐसा कोई भी अध्यापक, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला जिलखित हो, किसी अनुशासनिक समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(3) कार्य-परिषद् कोई मामला किसी भी अवस्था में एक अनुशासनिक समिति से किसी दूसरी अनुशासनिक समिति को आन्तरिक कर सकती है।

(4) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-

- (क) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी अपील पर विनिश्चय करना;
- (ख) ऐसे मामलों में जांच करना, जिसमें विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकालयाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त हो;
- (ग) उपर्युक्त खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने की संस्तुति करना, जिसके विरुद्ध जांच विचाराधीन हो;
- (घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसे समय-समय पर कार्य-परिषद् द्वारा सौंपे जायं।
- (5) समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा।
- (6) अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र कार्य-परिषद् के समक्ष रखी जायेगी, जिससे कार्य-परिषद् मामले में निर्णय ले सके।

19-विषय समिति-

(1) विश्वविद्यालय में विद्या शाखा की प्रत्येक इकाई में एक विषय समिति होगी, जो इस परिनियम के अधीन नियुक्त विद्या-शाखा के निदेशक की सहायता करेगी।

(2) विषय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) विद्या-शाखा का निदेशक

अध्यक्ष

(ख) इकाई के समस्य आचार्य

सदस्य

परन्तु जहां किसी इकाई में, कोई आचार्य न हो, इकाईयों के समस्त उपाचार्य

सदस्य

परन्तु यह और कि किसी ऐसी इकाई में, जहां आचार्य और उपाचार्य दोनों न हों,

वहां दो वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के चक्रानुक्रम में दो प्राध्यापक

सदस्य

परन्तु यह भी कि किसी ऐसी इकाई में जिसमें उपाचार्य और प्राध्यापक दोनों हों, वहां एक प्राध्यापक और दो उपाचार्य और किसी इकाई में जिसमें कोई उपाचार्य न हो, तो वहां ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से दो वर्ष की अवधि के लिए दो प्राध्यापक :

परन्तु अग्रत्तर यह कि किसी मामले में विनिर्दिष्ट तथा किसी विषय या विशेषज्ञता के संबंध में, उस विषय या विशेषज्ञता के ज्येष्ठतम अध्यापक को, यदि पहले से पूर्वकथित पूर्ववर्ती शीर्षों में सम्मिलित न हो, मामले के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।

(3) विद्या शाखा बोर्ड के अनुज्ञा के अधीन रहते हुए, विषय समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) इकाई के अध्यापकों के मध्य अध्यापक कार्य के वितरण के संबंध में संस्तुतियां करना;

(ख) इकाई के अनुसंधान और अन्य क्रिया-कलापों के समन्वय के संबंध में सुझाव देना;

(ग) इकाई के सामान्य और शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना।

(4) समिति की कम से कम तीन माह में एक बार बैठक होगी। समिति की बैठकों का कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय-छः

विश्वविद्यालय के अध्यापक

20-अध्यापकों का वर्गीकरण-

विश्वविद्यालय में अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे:-

(क) आचार्य;

(ख) उपाचार्य;

(ग) प्राध्यापक।

21-विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की अर्हता-

प्राध्यापक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु प्राध्यापकों/असिस्टेन्ट प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

22-उपाचार्य की अर्हता और नियुक्ति-

उपाचार्य के लिए समय-समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु उपाचार्य/एसोसिएट प्रोफेसर की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

23-आचार्य के लिए अर्हताएं-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु आचार्यों/प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

24-रिक्तियों का अवधारण-

कुलसचिव वर्ष के दौरान मरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा तथा प्रवृत्त नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसे अनुमोदन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा।

25-रिक्तियों का विज्ञापन-

(1) कुलसचिव, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा कराकर और दो व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों में और रोजगार समाचार में विज्ञापन देकर, रिक्तियां अधिसूचित करेगा।

(2) आचार्य, उपाचार्य और प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होगी। चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष	सदस्य
(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ आचार्यों और उपाचार्यों के लिए और एक विशेषज्ञ प्राध्यापक के लिए	सदस्य

(3) चयन समिति के कुल सदस्यों के बहुमत से गणपूर्ति होगी :

परन्तु, यह कि आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थिति व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ और प्राध्यापक के मामले में एक विशेषज्ञ होना आवश्यक है।

(4) चयन समिति द्वारा की गयी कोई संस्तुति, तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन के लिए सहमत न हो।

(5) यदि कार्य-परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को स्वीकार करने में असमर्थ है तो ऐसी अस्वीकृति के लिए, कारणों को अभिलिखित करते हुए, अंतिम आदेशों के लिए मामले को कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

(6) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए, चयन समिति की बैठक कुलपति के आदेशों के अधीन, बुलायी जायेगी।

(7) साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई यात्रा मत्ता और दैनिक मत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(8) (क) चयन समिति, नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थियों की संस्तुत कर सकती है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनके नामों को श्रेष्ठताक्रम में व्यवस्थित करेगी।

(ख) चयन समिति यह संस्तुति कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायेगा।

(9) चयन समिति की बैठक साधारणतया विश्वविद्यालय के मुख्यालय में होगी। विशेष परिस्थितियों में, कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, चयन समिति की बैठक अन्यत्र की जा सकती है।

(10) चयन समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने की तारीख से की जायेगी। नोटिस की तामीली व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।

(11) अभ्यर्थियों को चयन समिति की बैठक की सूचना कम से कम पन्द्रह दिन से पूर्व दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने के तारीख से की जायेगी। सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।

(12) चयन समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान, अध्यादेशों में विहित दरों पर किया जायेगा।

26-अध्यापक वर्ग की सेवा के निबंधन और शर्तें-

परिनियम 4 के खण्ड (19) अधीन, कुलपति में निहित शक्तियों के सिवाय, प्रत्येक अध्यापक इस परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य-परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

27-परिवीक्षा-

(1) प्रत्येक अध्यापक एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) कार्य-परिषद्, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकती है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक की अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु यह कि किसी भी परिस्थिति में, परिवीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी :

परन्तु यह और कि कार्य-परिषद्, कारणों को अभिलिखित करते हुए, परिवीक्षा अवधि की शर्तों को छोड़ सकती है :

परन्तु यह और भी कि यदि किसी मामले में कार्य-परिषद् कोई कार्यवाही करने में विफल रहती है, तो अध्यापक, परिवीक्षा की अवधि के पश्चात्, स्थायी समझा जायेगा।

(3) (क) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या कार्य-परिषद् द्वारा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा।

(ख) कुलसचिव कार्य-परिषद् के समक्ष स्थायीकरण के लिए अध्यापकों की सूची, उनकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत करेगा।

(ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय;

(4) कोई अध्यापक, लिखित रूप में, उचित माध्यम से, कार्य-परिषद् को तीन मास की सूचना देते हुए किसी भी समय त्याग-पत्र दे सकता है :

परन्तु, यह कि कार्य-परिषद् अपने विवेक से सूचना अवधि की बाध्यता को समाप्त कर सकती है।

(5) विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों का वेतन और भत्ता वही होंगे, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायं।

(6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक से, परिशिष्ट 'क' में दिये गये प्रपत्र में, एक लिखित संविदा पर, हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी।

(7) विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता का पालन करेगा।

(8) परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन, परिनियम 27 के खण्ड (9) के उपखण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत अवचार समझा जायेगा।

(9) अध्यापक को निम्नलिखित कारणों से, पदच्युत या उसके पद से हटाया जा सकता है:-

(क) कर्तव्य की जानबूझकर अपेक्षा,

(ख) अवचार,

(ग) सेवा संविदा की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन.

- (घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में बेईमानी,
(ड.) अपवादजनक आचरण या नैतिक दृष्टि से अघम अपराध के लिए दोषसिद्ध,
(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता,
(छ) अक्षमता,
(ज) पद की समाप्ति।

(10) परिनियम 27 के खण्ड (4) में की गयी व्यवस्था के सिवाय, कम से कम तीन मास का नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दिया जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो इनमें भी अवधि अधिक हो) दिया जायेगा या नोटिस के बदले में, तीन मास (या ऐसी उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया जायेगा :

परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय खण्ड (9) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करे या हटाये या उसकी सेवार्य समाप्त करे या कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी किसी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करे, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी :

परन्तु यह और कि दोनों पक्षकार परस्पर समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(11) परिनियम 27 के खण्ड (7) में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा, नियुक्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए कुलसचिव के यहां सुरक्षित रखी जायेगी।

(12) परिनियम 27 के खण्ड (9) में उल्लिखित किसी कारण से, विश्वविद्यालय के किसी प्राध्यापक को पदच्युत करने या उसको सेवा से हटाने का कोई आदेश (सिवाय ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अघमता अन्तर्वलित हो, सिद्ध दोष होने पर पद समाप्त किये जाने की स्थिति में) तब तक पारित नहीं किया जायेगा, जब तक उसके विरुद्ध आरोप न लगाया गया हो और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, उसके विवरण सहित उसकी सूचना उसे न दे दी जाय, और उसको—

- (क) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का;
(ख) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे;
(ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का; जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय:

परन्तु कार्य-परिषद् या जांच करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अमिलिखित करते हुए किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(13) कार्य-परिषद् किसी समय, जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर, संबंधित अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या पद से हटाने या उसकी सेवार्य समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें पदच्युत करने, पद से हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।

(14) प्रस्ताव की सूचना सम्बंधित अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी।

(15) कार्य-परिषद्, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने के बजाय, तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन कम करके या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धियां रोक कर या अध्यापक को उसके निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन से वंचित कर अपेक्षाकृत हल्का दंड देने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।

(16) यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जांच चल रही है या जांच प्रारम्भ करने का विचार हो तो परिनियम 18 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम 27 के खण्ड (9) के उपखण्ड (क) से (ड.) तक में उल्लिखित आधारों पर निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती है। यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश पारित किया जाय कि अध्यापक के विरुद्ध जांच करने का विचार है तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त हो जायेगा, जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय, जिनके बारे में जांच कराने का विचार था।

(17) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को—

(क) यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध की स्थिति में, उसे 48 घंटे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाये और उसे इस प्रकार दोषसिद्धि के परिणाम स्वरूप परन्तु पदच्युत या सेवा से हटाया न जाये तो उसके दोषसिद्धि के दिनांक से,

(ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाये, चाहे निरोध किसी अपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि तक के लिए, निलम्बित समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण—ऊपर निर्दिष्ट 48 घंटे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ होने से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की सविराम अवधि पर भी, यदि कोई हो, विचार किया जायेगा।

(18) जहां विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने का या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप या अन्यथा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरुद्ध अग्रतर जांच करने का विनिश्चय करे, वहां यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने के ठीक पूर्व निलम्बित था, तो यह समझा जायेगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युत या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और दिनांक से प्रवृत्त है।

(19) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि में, समय-समय पर यथासंशोधित, वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-2 के भाग-2 के अध्याय-8 के उपबन्धों के अनुसार जीवन निर्वाह मत्ता पाने का हकदार होगा।

(20) परिनियम 27 के खण्ड (12) एवं (13) और खण्ड (16) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में उस अवधि को, जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रवर्तन में हो, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(21) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी कलेण्डर वर्ष में, विश्वविद्यालय में किसी परीक्षा या परीक्षाओं के संबंध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिए, उस विशिष्ट कलेण्डर वर्ष में अपने औसत वेतन का 1/6 या तीस हजार रुपये, इनमें जो भी कम हो, से अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

(22) इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी—

(क) विश्वविद्यालय को कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा,

(ख) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के तारीख के पहले ही विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण कर रहा हो, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन के तारीख, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, उस पर नहीं रह जायेगा,

(ग) कार्य-परिषद् उन दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी, जिनके दौरान ऐसे अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिए विश्वविद्यालय में उपलब्ध होंगे :

परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायेगा, जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

28—कैरियर अभिवर्धन योजना—

(1) विश्वविद्यालय का कोई प्राध्यापक वरिष्ठ वेतन में नियोजन के लिए पात्र होगा। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) को प्राध्यापक (चयन वेतनमान) या उपाचार्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) की श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक पद पर न्यूनतम सेवा की अवधि, पी-एच0डी0 की उपाधि के साथ चार वर्ष, एम0फिल0 की उपाधि के साथ पांच वर्ष, अन्य के लिए छः वर्ष होगी और प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य की श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान के रूप में न्यूनतम सेवा की अवधि, समान रूप से पांच वर्ष होगी।

(2) उपाचार्य और आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता का मानदण्ड पी-एच0डी0 या उसके समकक्ष प्रकाशित कृतियां होगी।

(3) केवल वही उपाचार्य आचार्य के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के लिए पात्र होगा, जिसने उक्त श्रेणी में न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा की हो।

(4) प्राध्यापक (चयन वेतनमान) उपाचार्य और आचार्य के लिए चयन समिति का गठन परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन किया जाएगा :

परन्तु यह कि उक्त परिनियम 28 के अन्तर्गत कैरियर अभिवर्धन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता एवं समयावधि को लागू किया जायेगा।

29-वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति का गठन-

(1) वरिष्ठ वेतनमान में नियोजन ऐसी संवीक्षा समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) संबंधित विद्या-शाखा का निदेशक	सदस्य
(ग) दो विषय विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा	सदस्य
(घ) संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य

प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान)-

(2) वरिष्ठ वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे।

प्राध्यापक (चयन वेतनमान)-

(3) चयन वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे।

उपाचार्य (पदोन्नति)-

(4) उपाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे।

उपाचार्य पदोन्नति हेतु चयन समिति का गठन-

(5) उपाचार्य के रूप में पदोन्नति एक ऐसी चयन समिति की चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी, जिसका गठन परिनियम 25 के खण्ड(2) के उपबन्ध के अनुसार किया जाएगा।

आचार्य (पदोन्नति)-

(6) आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे।

(7) परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन कैरियर अभिवर्धन/ पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति परिनियमावली के अधीन उसके समक्ष रखे जाने वाली सभी सुसंगत सामग्री और अभिलेखों पर विचार करेगी।

(8) संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियां कार्य-परिषद् को विनिश्चय के लिए प्रस्तुत की जाएंगी। यदि कार्य-परिषद्, संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों से सहमत न हो तो कार्य-परिषद् ऐसी असहमति के कारणों के साथ, मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा। यदि कार्य-परिषद् संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों पर, ऐसी समिति के अधिवेशन के दिनांक से चार माह की अवधि के अन्दर कोई निर्णय नहीं लेती है तो भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट हुआ समझा जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(9) यदि कोई पदधारी प्राध्यापक, वरिष्ठ वेतनमान/प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य (पदोन्नति) हेतु सम्यक् रूपेण गठित संवीक्षा/चयन समिति द्वारा प्रथमतः उपयुक्त पाया जाता है और तदनुसार अगले वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान/उपाचार्य/ आचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए उसकी सिफारिश की जाती है, तो उसे उच्चतर वेतनमान अर्हता के तारीख से अनुमन्य होगा, परन्तु उसे पदनाम (यदि कोई हो) कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से दिया जायेगा।

(10) यदि पदधारी, प्रथमतः परिनियम 29 के खण्ड (9) के अधीन उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो वह प्रत्येक एक वर्ष के बाद ऐसी पदोन्नति हेतु अपने को पुनः प्रस्तुत कर सकता है और उस पर वह संवीक्षा/चयन समिति द्वारा ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जायेगा, जो उस समय तक पात्र हो चुके हैं। यदि उसके द्वितीय या

परन्तु, यह कि जहाँ सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियाँ एक ही समय में की गयी हों, और यथास्थिति, चयन समिति या कार्य-परिषद् द्वारा अधिमान्यता या योग्यता का क्रम इंगित किया गया हो, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगी; परन्तु यह और कि जहाँ एक से अधिक नियुक्तियाँ एक ही बार में पदोन्नति द्वारा की गयी हों, वहाँ इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धारित पद पर थी।

(ग) यदि (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय के किसी संस्थान में चाहे वह उत्तराखण्ड या उत्तराखण्ड से बाहर स्थित हो, मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक, विश्वविद्यालय में तत्स्थानी पद या श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाये, तो अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उक्त श्रेणी या पक्ति में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा।

(घ) यदि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक चाहे इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त किया जाये तो अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा अवधि की आधी अवधि को उसकी सेवा अवधि में सम्मिलित किया जायेगा।

(2) जहाँ एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत् सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहाँ ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जाएगी:-

- (क) आचार्यों के मामले में, उपाचार्य के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;
- (ख) उपाचार्यों के मामले में, प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;
- (ग) उन आचार्यों की स्थिति में, जिनकी उपाचार्य के रूप में भी सेवा अवधि उतनी ही हो तो प्राध्यापक के रूप में उनकी सेवा अवधि पर विचार किया जायेगा।

(3) जहाँ एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है तो ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता, आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(4) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्य-परिषद्-

- (क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हो और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय, ऐसे अध्यापकों का योग्यता क्रम अवधारित करेगी;
- (ख) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हो और परिनियम 25 के उपखण्ड (5) के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करे तो कुलाधिपति उन मामलों में, जहाँ एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तर्गस्त हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता क्रम अवधारित करेगा।

(5) ऐसे योग्यताक्रम की जिसमें खण्ड (4) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जायं, सूचना संबंधित अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी।

(6) कुलपति समय-समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे। जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में स्वयं कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो विद्या-शाखाओं के निदेशक होंगे :

परन्तु यह कि ऐसी विद्या-शाखा का निदेशक, जिसके अध्यापक की वरिष्ठता विवादित हो, उपर्युक्त ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा :

परन्तु यह और कि यदि निदेशक, नियुक्त न होने के कारण या पदों का शृंखल न होने के कारण, उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय से या उससे बाहर से दो आचार्यों को नाम-निर्दिष्ट कर सकता है।

(7) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के मामले में प्रत्येक विद्या-ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारणों को उल्लिखित करते हुए, उसे विनिश्चित करेगी।

पश्चात्पूर्ती प्रयासों में पदोन्नति के लिए संस्तुति की जाती है, तो उसे यथास्थिति प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान/प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य (पदोन्नति)/आचार्य (पदोन्नत) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से वेतनमान और पदनाम प्रदान किया जायेगा।

(11) उपाचार्य या आचार्य के ऐसे पदों को, जिस पर पदोन्नति की गयी हो, पदधारी की सेवानिवृत्ति तक, यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के संवर्ग में उतने पदों की वृद्धि समझी जाएगी और उसके पश्चात् पद अपने मौलिक रूप में प्रतिवर्तित हो जाएंगे।

(12) वर्तमान परिनियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व, सीधी भर्ती द्वारा या व्यक्तिगत पदोन्नति द्वारा या कैरियर अभिवर्धन द्वारा शिक्षण पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए सम्यक् रूप से गठित चयन समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के, किसी भी चयन पर वर्तमान परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके पास उस समय यथा विहित न्यूनतम अपेक्षित योग्यता रही हो।

(13) संवीक्षा/चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से समिति की गणपूर्ति होगी परन्तु अध्यक्ष और कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(14) संवीक्षा/चयन समिति द्वारा की गयी किसी संस्तुति को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ चयन से सहमत न हो।

(15) चयन समिति के सदस्यों को बैठक से पहले कम से कम 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसे नोटिस के प्रेषण की तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।

(16) अभ्यर्थियों को, चयन समिति की बैठक से पहले, कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसे नोटिस के प्रेषण होने की तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।

(17) ऐसे प्राध्यापकों का कार्यभार, जिन्हें कैरियर अभिवर्धन स्कीम के अधीन चयन वेतनमान या उपाचार्य पदोन्नत या आचार्य पदोन्नत पद पर नियोजित किया गया है, अप्रतिवर्तित रहेगा।

30-अध्यापकों की ज्येष्ठता-

(1) इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व से विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इसके पश्चात् आये परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के संबंध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे।

(3) विद्या-शाखा के निदेशकों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विद्या-शाखा के निदेशक के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा :

परन्तु जब दो या इससे अधिक निदेशकों का उक्त पद पर सेवाकाल समान अवधि का हो, तो आयु में ज्येष्ठ निदेशक को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

(4) विद्या-शाखा के विभागाध्यक्षों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण, उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा:

परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों, तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

31-ज्येष्ठता अवधारण-

(1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा:-

(क) किसी आचार्य को प्रत्येक उपाचार्य के ज्येष्ठ समझा जायेगा और किसी उपाचार्य को प्रत्येक प्राध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायेगा;

(ख) एक ही संवर्ग में पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की परस्परिक ज्येष्ठता, ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी :

(8) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के अंदर कार्य-परिषद् को अपील कर सकता है। यदि कार्य-परिषद् समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी।

32-आकस्मिक छुट्टी-

(1) आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी जो एक मास में सात दिन अथवा एक सत्र में चौदह दिन से अधिक नहीं होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलायी नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को त्याग सकता है।

विशेषाधिकार छुट्टी-

(2) एक सत्र में दस कार्य-दिवस तक की विशेषाधिकार छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी, और यह 60 कार्य दिवस तक संचित की जा सकती है।

कर्तव्य (ड्यूटी) छुट्टी-

(3) विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के, जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो या जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, को किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालित करने के लिए 15 कार्य दिवस तक की कर्तव्य (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी।

दीर्घकालीन छुट्टी-

(4) किसी एक सत्र में एक मास के लिए दीर्घकालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी, और जो बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन या निवृत्तिक पूर्वता के लिए दी जा सकती है:

परन्तु, यह कि लम्बी बीमारी की स्थिति में छुट्टी, कार्य-परिषद् के विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है। ऐसी छुट्टी, लम्बी बीमारी को छोड़कर, केवल पांच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकती है :

परन्तु यह और कि ऐसे अध्यापकों को, जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय या किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण अथवा अन्य के लिए चयन किया जाता है तो उन्हें अध्येतावृत्ति, शिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, छुट्टी दी जा सकती है।

असाधारण छुट्टी-

(5) असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें कार्य-परिषद् उचित समझे, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दी जा सकती है, किन्तु परिनियम 28 के खण्ड (22) में उल्लिखित परिस्थितियों के सिवाय, यह विशेष परिस्थितियों के अधीन दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।

स्पष्टीकरण: (1) अध्यापक जो कोई स्थायी पद धारण करता हो या जो निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति से, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय-मान में अपनी वेतनवृद्धि के लिए गणना किये जाने का हकदार होगा :

परन्तु यह कि उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों को सम्मिलित किया जा सकेगा :-

(क) संबंधित शिक्षक उच्चतर अध्ययन के लिए प्रदेश में या प्रदेश से बाहर जा रहा हो, जिसके लिए विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् एवं शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो। यदि पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है, तो ऐसा अवकाश देया नहीं होगा।

(ख) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन का आशय अन्यत्र सेवा करना नहीं है। (सामान्यतः शिक्षक उच्चतर वेतनमान में संवारत होने के उपरान्त एक या दो शोध पत्र सेमिनार आदि में प्रस्तुत करते हैं, जिससे वे उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन मानते हैं।)

(ग) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन पूर्णतः वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन होना चाहिए। यह अवकाश स्वीकृत करने के लिए आशय नहीं होना चाहिए।

(घ) यदि कोई अभ्यर्थी विदेश में उच्च वेतनमान में सेवा आदि करता है, साथ ही एक या दो शोध पत्र अथवा पुस्तक भी लिखता है, तो यह उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन नहीं समझा जायेगा।

(2) राज्य सरकार की सहमति से कोई अध्यापक, जो अस्थायी पद धारण करता हो, और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गयी हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर, फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से भाग 4 के मूल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समयमान में ऐसी अवस्था पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह छुट्टी पर न गया होता, परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत की गयी थी, लोकहित में रहा हो।

प्रसूति छुट्टी—

(6) अध्यापिकाओं को पूर्ण वेतन सहित 135 दिनों की अवधि तक प्रसूति छुट्टी दी जा सकेगी:

परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका को अस्थायी सेवा सहित, यदि कोई हो, सम्पूर्ण सेवा अवधि में दो बार से अधिक नहीं दी जायेगी।

(7) छुट्टी अधिकार स्वरूप नहीं मांगी जा सकती है। तात्कालिक की आवश्यकता को देखते हुए, स्वीकर्ता अधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है और पहले से स्वीकृत की गयी छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।

बीमारी की छुट्टी—

(8) किसी पंजीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी या लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिनों से अधिक हो तो कुलपति ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो उसके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण-पत्र मांगने के लिए सक्षम होगा।

(9) दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर, जो कार्य-परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायेगी, के सिवाय, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी कुलपति होगा।

33—अधिवर्षिता की आयु—

(1) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी :

परन्तु, यह कि यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून को न हो तो वह अध्यापक शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति की तारीख ऐसे अध्यापक के साठवें जन्म तारीख के ठीक पूर्व की तारीख होगी।

34—अन्य उपबन्ध—

(1) इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा, अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार और परिशिष्ट 'क' और परिशिष्ट 'ख' में दिये प्रपत्र की शर्तों के अनुसार उपांतरित समझी जायेगी।

(2) परिनियम 27 के खण्ड (9) के प्रस्तर (ख), (ग), (घ), (ङ.) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।

(4) कुलपति को प्रस्तुत करने से पूर्व मूल रिपोर्ट, निदेशक से मिन अध्यापक की दशा में संबंधित निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जायेगी।

(5) किसी शिक्षा सत्र के संबंध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के अन्दर, इनमें जो भी बाद में हो, दी जायेगी।

(6) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के संबंध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(7) जहां अधिनियम या इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेक्षित हो और ऐसा अध्यापक मुख्यालय पर न हो, वहां ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक से भेजी जा सकता है।

अध्याय—सात

कर्मचारी वर्ग (अध्यापक से भिन्न) की सेवा के निबन्धन और शर्तें

35—पुस्तकालयाध्यक्ष [धारा 30 (घ)]—

(1) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष को चयन समिति की सिफारिश पर कार्य-परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) कुलपति

अध्यक्ष

(ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे

सदस्य

(3) जब तक खण्ड (2) के अधीन नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पद का कार्यभार न सम्माले, तब तक कार्य-परिषद् ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

(4) पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी, जैसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर विहित की जायें।

(5) पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायें।

(6) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवाओं को ऐसी रीति से जो अध्यापन कार्य तथा अनुसंधान कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक हो, संगठित करना पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य होगा।

(7) पुस्तकालयाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेगा :

परन्तु यह कि उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरुद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध कार्य-परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा।

(8) पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी अध्यादेश में अधिकथित की जायें।

(9) अन्य अधिकारियों और शिक्षणोत्तर कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति और सेवा के निबन्धन और शर्तें और आचार संहिता, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा के निबन्धनों और शर्तों और आचार संहिता, जैसा कि अध्यादेश में अधिकथित है, द्वारा शासित होंगी।

(10) खण्ड (9) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारी वर्गों की परिलब्धियां ऐसी होंगी, जैसी समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

अध्याय—आठ

उपाधियां और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना

36—मानक उपाधि प्रदान करना [धारा 5 (चार)]—

(1) ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शन शास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी अथवा कला संकाय को सौंपे गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिए उल्लेखनीय सेवा की हो, डाक्टर आफ लेटर्स (डी०लिट०) अथवा महामहोपाध्याय की मानक उपाधि प्रदान की जा सकेगी।

(2) ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किसी शाखा के अगिर्वर्धन अथवा नियोजन या देश में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थाओं के संगठन या विकास में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, डॉ० ऑफ साइन्स (डी०एस—सी०) की मानक उपाधि प्रदान की जा सकेगी।

(3) ऐसे व्यक्ति को, जो प्रख्यात वकील, न्यायाधीश, ज्यूरी, राजनयिक है अथवा जनहित में उल्लेखनीय कार्य किया है, डा0 ऑफ लॉ (एल-एल0डी0) की मानक उपाधि प्रदान की जा सकेगी।

(4) कार्य-परिषद् स्वप्रेरण से अथवा विद्या-परिषद् की सिफारिश पर, जो उसकी कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा की जाय, मानक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति को पुष्टि के लिए प्रस्तुत कर सकती है :

परन्तु, यह कि किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य हो, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र को वापस लेने के लिए कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्ट करने के लिए, अवसर दिया जायेगा। कुल सचिव उसके विरुद्ध निर्मित आरोपों की सूचना पंजीकृत डाक से भेजेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षा की जायेगी कि वह आरोपों की प्राप्ति से कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।

(6) मानक उपाधि को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी।

अध्याय-नौ

किसी उच्च शिक्षा संस्था की मान्यता

37-(1) कार्य-परिषद् द्वारा मान्यता बोर्ड की सिफारिश पर संबंधित विद्याशाखा बोर्ड की सहमति और विद्या परिषद् की संस्तुति के पश्चात् किसी संस्था को, संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकेगी तथा प्रदत्त मान्यता, संबंधित विद्याशाखा बोर्ड की सहमति से विद्या परिषद् की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा प्रत्याहरित की जा सकती है।

(2) मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रबन्धन निम्नलिखित में निहित होगा :-

(क) संस्था का अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा नियुक्त प्रबन्ध समिति या अन्य समकक्ष निकाय में, जिसके गठन की सूचना कार्य परिषद् को दी जायेगी, या

(ख) संस्था का अनुरक्षण करने वाले निकाय या व्यक्ति द्वारा नियुक्त निदेशक।

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में शोध कार्य का मार्गदर्शन संस्था के निदेशक और अन्य अध्यापकों द्वारा किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय की डी0लिट0 या डी0एस-सी0 या एल-एलडी0 या डी0फिल0 उपाधियों हेतु मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक या सलाहकार हैं, द्वारा निर्देशन कार्य किया जायेगा।

(4) संस्था के निदेशक और अन्य अध्यापक, यदि वे ऐसे सहमत हों, संबंधित विभागाध्यक्ष की सहमति से विश्वविद्यालय के शोध छात्रों के लिए उच्च व्याख्यानमाला उपलब्ध करा सकते हैं।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो आवश्यक अर्हता रखता है और विश्वविद्यालय की शोध उपाधि हेतु संस्थान में शोध कार्य करने का इच्छुक हो, कुलसचिव को संस्था के निदेशक के माध्यम से आवेदन करेगा। प्राप्त प्रार्थना-पत्र, अध्यादेशों के अन्तर्गत गठित शोध उपाधि समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, के अनुमोदनोपरान्त आवेदक को अध्यादेशों द्वारा विहित ऐसे शुल्क का भुगतान कर, जो अध्यादेश द्वारा विहित हो, कार्य प्रारम्भ करने के लिये अनुमति दी जाएगी।

अध्याय-दस

दीक्षान्त समारोह

38-(1) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करने के लिये वर्ष में एक बार ऐसे तारीख को और ऐसे समय, जैसा कार्य परिषद् इस निमित्त नियत करे, एक दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(2) कुलाधिपति के पुर्वानुमोदन से, विश्वविद्यालय द्वारा कोई विशेष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(3) दीक्षान्त समारोह में धारा 3 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे, जिनसे विश्वविद्यालय का नियमित निकाय गठित हो।

(4) प्रत्येक संस्था या अध्ययन केन्द्र में ऐसी तारीख को और ऐसे समय, जैसा प्राचार्य कुलपति के लिखित पुर्वानुमोदन से नियत करे, स्थानीय दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(5) दो या दो से अधिक संस्थाएं या अध्ययन केन्द्रों के लिये, संयुक्त दीक्षान्त समारोह, परिनियम 38 के खण्ड (4) में विहित रीति से, आयोजित किया जा सकता है।

(6) इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षान्त समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इससे संबंधित अन्य विषय ऐसे होंगे, जैसा अध्यादेशों में निर्धारित हो।

(7) जहां विश्वविद्यालय या किसी संस्था या अध्ययन केन्द्र के दीक्षान्त समारोह आयोजित करना सुविधाजनक न हो वहां उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टता सम्बद्ध अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

अध्याय—ग्यारह

अधिमार

39—अधिमार (धारा 36)—

(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अध्याय में—

(क) "परीक्षक का तात्पर्य" परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड सरकार से है,

(ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है,

(ग) "विश्वविद्यालय का अधिकारी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ख) से (छ) तक के किसी भी खंड में उल्लिखित अधिकारी और इस परिनियमावली के अधीन इस रूप में घोषित अधिकारियों से है।

(2) किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें परीक्षक की राय हो कि किसी अधिकारी की उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति का हानि, अपव्यय या दुरुपयोग, जिसके अन्तर्गत दुर्विनियोग या अनुचित व्यय भी है, हुआ है तो वह अधिकारी से लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है कि क्यों न उस पर ऐसी घनराशि की हानि, धन के अपव्यय या दुरुपयोग के लिए या ऐसी घनराशि के लिए, जो सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के बराबर हो, अधिमार लगाया जाये, और ऐसा स्पष्टीकरण ऐसी अपेक्षा के संसूचित किये जाने की तारीख से दो मास से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा;

परन्तु, यह कि कुलपति से भिन्न किसी भी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से मांगा जायेगा।

टिप्पणी—(1) परीक्षक द्वारा या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रारम्भिक जांच के लिए अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की जाएगी या समस्त संबंधित पत्रादि और अभिलेख अधिकारी द्वारा या (यदि ऐसी सूचना, पत्रादि या अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न व्यक्ति के पास हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा) दो सप्ताह से अनधिक युक्ति युक्त समय के अन्दर दिखाए जाएंगे।

(2) खण्ड (1) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परीक्षक निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण मांग सकता है:—

(क) जहां व्यय, इस परिनियमावली या अधिनियम या अध्यादेश या इसके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया है,

(ख) जहां हानि, पर्याप्त अभिलिखित कारणों के बिना, कोई उच्चतर निविदा स्वीकार करने से हुई हो,

(ग) जहां विश्वविद्यालय को देय कोई घनराशि इस नियमावली, अधिनियम, अध्यादेशों या इनके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रेषित की गई हो,

(घ) जहां विश्वविद्यालय को अपने देयों को वसूल करने में उपेक्षा के कारण हानि हुई हो,

(ङ) जहां विश्वविद्यालय की निधि या सम्पत्ति को ऐसे धन या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये युक्तियुक्त सावधानी न बरतने के कारण हानि हुई हो।

(3) उस अधिकारी की लिखित मांग पर, जिससे स्पष्टीकरण मांगा गया हो, विश्वविद्यालय उसे संबंधित अभिलेखों या निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं देगा। परीक्षक सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन-पत्र पर उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए समय की युक्तियुक्त अवधि बढ़ा सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि आरोपित अधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए संबंधित, अभिलेखों का निरीक्षण अपने नियंत्रण से परे कारणों में नहीं कर सका।

स्पष्टीकरण—अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी परिनियमावलियों, अध्यादेशों का उल्लंघन करके, की गई कोई नियुक्ति, अवचार करना समझा जायेगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग समझा जायेगा।

(3) विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् और स्पष्टीकरण पर, यदि समय के भीतर प्राप्त हो, विचार करने के पश्चात्, परीक्षक अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिये, जिसके लिये ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लग सकता है;

परन्तु, यह कि यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अवचार के परिणाम स्वरूप हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग हो तो प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयुक्ततः और पृथकतः देनदार होगा;

परन्तु यह भी कि कोई भी अधिकारी किसी ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग होने की तारीख दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके ऐसा अधिकारी न रह जाने की तारीख से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इसमें जो भी बाध हो, किसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी न होगा।

(4) परीक्षक द्वारा पारित अधिभार संबंधी आदेश से व्यथित अधिकारी, उस मण्डल के आयुक्त को, जिसमें विश्वविद्यालय स्थित हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के अंदर अपील कर सकता है। आयुक्त परीक्षक द्वारा दिये गये आदेश को पुष्टि कर सकता है, उसे विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार दिया गया आदेश अन्तिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

(5) अधिकारी, जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनों से साठ दिन या ऐसे अग्रेत्तर समय के अन्दर, जो उक्त दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो, जैसी परीक्षक द्वारा अनुमति दी जाये, अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगा;

परन्तु, यह कि यदि परिनियम 39 के खण्ड (4) के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई हो तो अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से धनराशि की वसूली के लिए समस्त कार्यवाहियां आयुक्त द्वारा रोकी जा सकती हैं, जब तक कि अपील का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाय।

(6) यदि अधिभार की धनराशि का भुगतान खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाए तो उसकी वसूली मू-राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकेगी।

(7) जहां अधिभार के किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया जाये और ऐसे वाद में परीक्षक या राज्य सरकार प्रतिवादी हों, वहां वाद का प्रतिवाद करने में उपगत समस्त खर्चों का भुगतान, विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह बिना किसी विलम्ब के उसका भुगतान कर दे।

अध्याय—बारह

वार्षिक प्रतिवेदन

40—वार्षिक प्रतिवेदन [धारा 34 (2)]—

अधिनियम की धारा 34 के अनुसार तैयार की गई वित्तीय वर्ष विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के 30 सितम्बर को या उसके पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

अध्याय—तेरह

अध्यादेश और विनियम

41—अध्यादेशों और विनियमों की विरचना (धारा 32 और धारा 33)—

(1) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएंगे।

(2) इस परिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कार्य परिषद् समय-समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या परिनियम 41 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकेगी;

परन्तु, यह कि ऐसा कोई अध्यादेश बनाया, संशोधित या निरसित नहीं किया जायेगा, जिससे—

(क) छात्रों के प्रवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जानी वाली परीक्षाएँ अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रवेश के लिए और अधिक अर्हताओं को प्रभावित करें,

(ख) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्यों तथा परीक्षाओं या संबंधित शाखा के प्रस्ताव के सिवाय और जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो, किसी पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या

(ग) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियाँ अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जब तक कि उसका प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(3) कार्य परिषद् को परिनियम 41 के खण्ड (2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे विद्या परिषद् को पूर्णतः अथवा

मात्र: पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधनों के साथ वापस कर सकेगी, जिसका कार्य परिषद् सुझाव दे।

(4) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जैसा वह निर्देश दे और यथाशीघ्र कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) कुलाधिपति किसी समय कार्य परिषद् को परिनियम 41 के खण्ड (2) के परन्तुक खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों की अस्वीकृति से सूचित कर सकेगा और कार्य परिषद् को ऐसी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त होने की तारीख से ऐसे अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।

(6) कुलाधिपति यह निर्देश दे सकेगा कि परिनियम 41 के खण्ड (2) के परन्तुक खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक निलम्बित रहेंगा जब तक उसे अध्यादेश को अस्वीकृत करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस परिनियम के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

42-विनियमों का बनाया जाना-

(1) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा:-

(क) बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना,

(ख) ऐसे समस्त विषयों का प्राविधान करना, जो अधिनियम, परिनियमों या, अध्यादेशों में विनियमों द्वारा विहित किये जाने हों।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये विनियमों में, उसके सदस्यों को बैठकों की तारीख, और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसी बैठकों में किये जाने वाले कामकाज का अभिलेख रखने का प्राविधान किया जाएगा।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को यह निर्देश दे सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को रद्द कर दे या उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दे, जैसा निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाये, और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी तदनुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा;

परन्तु, यह कि यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का समाधान किसी ऐसे निर्देश से न हो तो वह कुलाधिपति को अपील कर सकता है, जो कार्य परिषद् के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(4) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए संबंधित विद्या शाखा बोर्ड के द्वारा उसके प्रारूप प्रस्तावित किये जाने के पश्चात् ही विनियम बना सकेगी।

(5) विद्या परिषद् को परिनियम 42 के खण्ड (4) के अधीन विद्या शाखा के बोर्ड द्वारा प्रस्तावित, किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ विचार करने के लिए वापस कर सकेगी।

परिशिष्ट 'क'

[परिनियम 27 का खण्ड (6) और (8) देखिये]

विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग के सदस्यों के साथ करार का प्रपत्र

यह करार आज दिनांक 2009 को श्री प्रथम पक्ष तथा विश्वविद्यालय (जिसे आगे 'विश्वविद्यालय' कहा गया है) दूसरे पक्ष के मध्य किया गया, एतद्द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है:-

(1) विश्वविद्यालय एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी को दिनांक से जब प्रथम, पक्ष का पक्षकार अपने पद के कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण करता है, विश्वविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करता है, और प्रथम पक्ष का पक्षकार एतद्द्वारा नियुक्ति स्वीकार करता है, और विश्वविद्यालय के ऐसे कार्यों में भाग लेने तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने का वचन देता है जिसकी उससे अपेक्षा की जाय, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या निधियों का प्रबन्ध और संरक्षण, औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षण और छात्रों की परीक्षाओं का आयोजन, अनुशासन बनाये रखने और किसी पाठ्यचर्या या नैवासिक कार्य कलाप के संबंध में छात्र-कल्याण को प्रोत्साहन और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पाठ्येत्तर कर्तव्यों का पालन करना भी है जो उसे सौंपे जाय, तथा ऐसे अधिकारियों की स्वयं को प्रस्तुत करता है जिनके अधीन वह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा तत्समय रखा जाय और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथा अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा कि समय-समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करेगा और उसके अनुरूप कार्य करेगा;

परन्तु, अध्यापक, प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेगा और कार्य परिषद् स्वविवेकानुसार परीक्षा-अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

(2) प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवानिवृत्त होगा।

(3) अध्यापक के पद का, जिस पर प्रथम पक्ष का पक्षकार नियुक्त किया गया है, वेतनमान होगा। प्रथम पक्ष के पक्षकार को उस दिनांक से जबसे वह अपने उक्त कर्तव्यों का भार ग्रहण करता है, उपर्युक्त वेतनमान में रुपया प्रतिमास की दर से वेतन दिया जायेगा और वह जब तक कि परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी नहीं जाती है, अनुवर्ती अवस्थाओं पर वेतन प्राप्त करेगा।

(4) प्रथम पक्ष का पक्षकार, जब यह करार प्रवृत्त हो, विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के, जिसके प्राधिकार के अधीन वह, उक्त अधिनियम के प्राविधानों या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन हो, विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उन्हें कार्यान्वित करेगा।

(5) प्रथम पक्ष का पक्षकार एतद्द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथा अध्यापकों की आचार संहिता का पालन करने और उसके अनुरूप चलने का वचन देता है।

(6) किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति पर प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तकें, साधित्र (एपरेट्स), अभिलेख और अन्य वस्तुयें, जो उसके अधिकार में हो, विश्वविद्यालय को वापस दे देगा।

(7) समस्त मामलों में, इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा, जिन्हें इसमें समाविष्ट और उसी प्रकार से इस करार का भाग समझा जायेगा मानों वे इसमें प्रतिकृति हों और उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

उपरोक्त के साक्ष्य में इन पक्षकारों ने प्रथम उपरिलिखित दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मुहर लगाई।

.....
अध्यापक के हस्ताक्षर

.....
विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व
करने वाले वित्त अधिकारी
के हस्ताक्षर

साक्षी

1.

2.

प्रथम अध्यादेश
(FIRST ORDINANCE)



अध्यादेश अनुक्रमणिका

अध्याय	अधिनियम/परिनियम की संबंधित धारा	विषय	पृष्ठ संख्या
1	1	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1
2	32(2) (क)	प्रवेश, अर्हता, अवधि एवं विभिन्न स्नातक उपाधि, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कार्यक्रमों की संरचना तथा अध्ययन पाठ्यक्रम	1
2		प्रवेश	1
2		कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों की अवधि	2
2		कार्यक्रम की संरचना एवं पद्धति	2
2		अध्ययन पाठ्यक्रम: डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट	2-3
2		शुल्क	3-4
2		डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट तथा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए अर्हतायें	4
3	32(2) (क)	छात्रवृत्तियाँ, अध्येतावृत्तियाँ एवं पारितोषिक	4-5
4	32(2) (ख)	परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षकों की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें	5
4		छात्र की प्रगति का मूल्यांकन	5
4		मूल्यांकन की विधि	5
		परीक्षकों/प्राशिनकों/अनुसीमकों की नियुक्ति	6
4		संचालन प्रक्रिया	6
4		पारिश्रमिक की दरें	6
4		परीक्षाओं का संचालन	6
5		विश्वविद्यालय के केन्द्रों का गठन	6
5	5-IX	क्षेत्रीय केन्द्रों का प्रबंधन	6
5	20 (1), (2)	अध्ययन केन्द्रों का प्रबंधन	6
6	5 (XX)	छात्र अनुशासन	7
6		छात्रों में अनुशासन बनाये रखना	7
6		विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में छात्र अनुशासन	7-9
7	5 (xxii)	शिक्षकों की मान्यता	9
8	परिनियम 4(19)	अनुदेशकों, पाठ्यक्रम लेखकों, पटकथा लेखकों, काउन्सलरों, परामर्शदाताओं, कलाकारों तथा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति जो दक्षतापूर्ण कार्य संचालन के लिए आवश्यक हो	9

8		नियुक्ति	9
8		चयन की रीति	9-10
9	परिनियम 35(9)	अन्य अधिकारियों एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ की नियुक्ति और सेवा के निबंधन व शर्तें एवं आचार संहिता	10
9		नियुक्त प्राधिकारी	10-11
9		नियुक्तियां	11
9		आरक्षण	11
9		सीधी भर्ती के पदों पर चयन की रीति	11-12
9		कोई कर्मचारी त्याग-पत्र दे सकता है	12
9		आचार संहिता	12
9		अनुशासनिक कार्यवाही	12-13
9		छुट्टी संबंधी नियम	13-15
10	परिनियम 37(5)	शोध उपाधि कार्यक्रम एवं समिति का गठन	15
10		प्रबन्धन एवं समन्वय	15
10		शोध उपाधि समिति	15-16
10		पंजीकरण एवं पर्यवेक्षण	16-17
10		पर्यवेक्षण	17
10		कार्यक्रम परिकल्पना	17
10		डिसटेंशन/थीसिस	17
10		अवधि	17-18
10		मूल्यांकन एवं उपाधियों प्रदान करना	18
10		शुल्क	18
10		एम०फिल/डी०फिल०(पी०एच०डी०) उपाधि प्रदान करना	18
11	परिनियम 38(1)	दीक्षांत समारोह	18-19

उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रथम अध्यादेश 2009

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-

- (1) इस अध्यादेशो का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश, 2009 है।
- (2) यह अध्यादेश दिनांक 3 नवंबर 2009 से प्रवृत्त समझे जायेंगे।
- (3) यदि इस अध्यादेशो के अर्थ या व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसे कार्य परिषद द्वारा निस्तारित किया जायेगा।

अध्याय-दो

प्रवेश, अर्हता, अवधि एवं विभिन्न स्नातक उपाधि, डिप्लोमा
एवं सर्टिफिकेट कार्यक्रमों की संरचना तथा अध्ययन पाठ्यक्रम
[धारा 32(2) (क) के अधीन]

1-प्रवेश-

- (1) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश उन सभी के लिए खुला है जो संबंधित कार्यक्रम/पाठ्यक्रम में प्रवेश की अपेक्षित अर्हता पूर्ण करते हैं।
- (2) प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए पूर्व शैक्षिक अर्हताएं, आयु एवं ऐसी अन्य अपेक्षाओं के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तें विद्यापरिषद द्वारा निर्धारित की जायेंगी तथा अपेक्षित अर्हताएं पूर्ण होने पर विश्वविद्यालय शैक्षिक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश देगा।
- (3) यह विश्वविद्यालय पर निर्भर करेगा कि वह चाहे तो विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समय-समय पर प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकेगा।

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय किसी ख्यातिप्राप्त बाह्य एजेन्सी से प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य ऐसी शर्तों व निबंधनों पर जैसा वह विनिश्चय करे, करा सकता है।

परन्तु यह और कि ऐसी एजेन्सी का चयन खुले टेण्डर के आधार पर होगा तथा कुलपति द्वारा इस निमित्त गठित एक समिति द्वारा टेण्डर्स को खोला एवं मूल्यांकित किया जायेगा। टेण्डर मूल्यांकन समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :-

1. निदेशक
(कुलपति द्वारा नामित) अध्यक्ष
 2. कुलपति द्वारा नामित कार्यपरिषद का एक सदस्य
 3. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक
 4. कुलसचिव
- (4) शैक्षिक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में 18 प्रतिशत शीट अनुसूचित जातियों, 4 प्रतिशत अनुसूचित जमजातियों तथा 14 प्रतिशत नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी।

परन्तु यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अर्ह छात्र उपलब्ध न होने पर अवशेष आरक्षित सीटें सामान्य वर्ग के छात्रों से भरी जा सकेंगी।

2-कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों की अवधि-

- (1) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट के शैक्षिक कार्यक्रमों की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि का निर्धारण प्रत्येक कार्यक्रम के लिए विद्यापरिषद की संस्तुति पर किया जायेगा। विद्यापरिषद डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट की पात्रता के लिए ऐसी अन्य शर्तें भी निर्धारित कर सकेगी जिन्हें छात्र पूरा करेंगे।
- (2) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि का निर्धारण विद्यापरिषद द्वारा किया जायेगा।

3-कार्यक्रम की संरचना एवं पद्धति-

विद्यापरिषद की संस्तुति पर विश्वविद्यालय डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों की संरचना एवं पद्धति निर्धारित कर सकेगा।

4-अध्ययन पाठ्यक्रम : डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट-

- (1) विश्वविद्यालय उन छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट प्रदान कर सकेगा, जिन्होंने प्रत्येक निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक, विद्यापरिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार पूरा कर लिया है।

(i) डी. फिल. (पी-एच.डी.)

(ii) एम.फिल.

(iii) मास्टर डिग्री

(iv) मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, मैनेजमेन्ट स्टडीज, स्वास्थ्य विज्ञान, कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान तथा वोकेशनल स्टडीज, फाईन आर्ट्स तथा संगीत में निम्न विषयों के साथ स्नातक डिग्री :-

(क) वाणिज्य

(ख) पर्यावरण

(ग) कम्प्यूटर एप्लीकेशन

(घ) अर्थशास्त्र

(ङ.) अंग्रेजी

(च) हिन्दी

(छ) इतिहास

(ज) लोक प्रशासन

(झ) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

(ञ) समाज शास्त्र

(ट) राजनीति विज्ञान

(ठ) समाज कार्य

(ड) पर्यटन

(ढ) हास्पिटलिटी तथा होटल एडमिनिस्ट्रेशन

(ण) भूगोल

(त) रसायन

(थ) भौतिकी

(द) गणित

(ध) प्राणि विज्ञान

(य) वनस्पति

(र) वानिकी

(ल) महिला अध्ययन

(व) सूचना प्रौद्योगिकी प्रबन्धन

(V) डिप्लोमा / उन्नत डिप्लोमा / पीओजीओडिप्लोमा :-

- (क) पत्रकारिता एवं जनसंचार
- (ख) प्रबंधन
- (ग) अनुवाद
- (घ) अन्तर्राष्ट्रीय विपणन एवं ई-बिजनेस
- (ङ) हिन्दी / अंग्रेजी में सृजनात्मक लेखन
- (च) शिक्षा प्रबंधन
- (छ) स्वास्थ्य शिक्षा एवं पोषण
- (ज) पर्यटन
- (झ) ग्राम्य विकास
- (ञ) मेडिकल टेक्नियन
- (ट) डाइटेक्स एण्ड न्यूट्रिशन
- (ठ) भारतीय भाषाएँ: उर्दू तथा संस्कृत
- (ड) कम्प्यूटर एप्लिकेशन
- (ढ) इन्टरनेट वेबसाइट डिजाइनिंग एण्ड मैनेजमेंट
- (ण) कम्प्यूटर द्वारा एकाउन्टेंसी
- (त) कार्यालय प्रबंधन में कम्प्यूटर
- (थ) कॉमर्शियल आर्ट्स
- (द) फैशन डिजाइनिंग
- (ध) इन्टीरियर डिजाइनिंग
- (य) टैक्सटाइल डिजाइनिंग
- (र) क्षेत्रीय भाषाएँ : गढ़वाली तथा कुमाऊँनी
- (ल) हारस्पिटलिटी एण्ड होटल एडमिनिस्ट्रेशन
- (व) आपदा प्रबंधन

(VI) सर्टिफिकेट कोर्स :-

- (क) चाइल्ड केयर एण्ड न्यूट्रिशन
- (ख) फूड एण्ड न्यूट्रिशन
- (ग) पर्यटन अध्ययन
- (घ) कम्प्यूटर्स
- (ङ) उपभोक्ता संरक्षण
- (च) पर्यावरणीय अध्ययन
- (छ) श्रम विकास
- (ज) मानवाधिकार
- (झ) डिजाइन मैनेजमेंट
- (ञ) उर्दू
- (ट) संस्कृत
- (ठ) ऑटोमोबाइल रिपेयर
- (ड) टी.वी. रिपेयरिंग एण्ड मेन्टेनेन्स
- (ढ) फ्रुट्स एण्ड वेजीटेबिल प्रोसेसिंग
- (ण) पोल्ट्री फार्म एण्ड मैनेजमेंट
- (त) आधुनिक सचिवालयी पद्धति
- (थ) डेयरी प्रोसेसिंग

5-शुल्क-

- (1) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रायुक्त्यों में प्रवेशित छात्र विद्या परिषद द्वारा समय-समय पर अवधारित शुल्क अदा करेंगे।
- (2) शुल्क की अदायगी ऐसी तिथियाँ एवं पद्धति से की जायेगी जैसी समय-समय पर अधिसूचित की जाय।

- (3) विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम न चलाये जाने अथवा किसी अन्य कारण के अलावा आवेदन-पत्र के साथ जमा की गई शुल्क वापस नहीं की जायेगी।

6-डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट तथा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए अर्हतायें-

- (1) प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम के लिए अर्हता, पात्रता की शर्तें एवं अन्य अपेक्षाएं ऐसी होंगी जैसी विद्या परिषद अवधारित करे।

अध्याय-तीन

छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां एवं पारितोषिक

[धारा 32(2) (क) के अधीन]

छात्रवृत्तियां

- (1) समस्त छात्रवृत्तियां कार्यपरिषद द्वारा एक समिति, जिसमें कुलपति, संबंधित विद्या शाखा का निदेशक एवं विद्या परिषद द्वारा नामित उसका एक सदस्य होगा, की संस्तुति पर प्रदान की जायेंगी।
इस प्रकार प्रदत्त पारितोषिकों के संबंध में विद्या परिषद को उसकी आगामी बैठक में अवगत करा दिया जायेगा।
- (2) विश्वविद्यालय द्वारा बी०ए० अथवा बी०एस-सी० अथवा पर्यटन, प्रथम वर्ष के छात्रों को छात्रवृत्तियां श्रेष्ठता के क्रम में उन छात्रों को जो उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड अथवा होटल प्रबन्धन की इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों, प्रदान की जायेंगी।
- (3) बी०काम० प्रथम वर्ष में छात्रवृत्तियां श्रेष्ठता के क्रम में उन छात्रों को जो उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों, प्रदान की जायेंगी।
- (4) सभी छात्रवृत्तियां चार किस्तों में, प्रथम तीन माह के लिए अक्टूबर में, द्वितीय तीन माह के लिए दिसम्बर में, तृतीय तीन माह के लिए मार्च में तथा चतुर्थ तीन माह के लिए अप्रैल में संबंधित विद्या शाखा के निदेशक की संस्तुति पर देय होंगी।
- (5) छात्रवृत्ति धारक का आचरण असन्तोषजनक होने पर, संबंधित निदेशक की संस्तुति पर कुलपति छात्रवृत्ति में कमी अथवा निरस्त कर सकते हैं।
- (6) छात्रवृत्तियों के लिए सभी आवेदन-पत्र कुलसचिव को सत्र प्रारम्भ होने के चार सप्ताह के अन्त तक पहुंच जाने चाहिए।
- (7) एक व्यक्ति को एक साथ दो अलग-अलग छात्रवृत्तियां नहीं दी जा सकती परन्तु न्यास छात्रवृत्ति किसी अन्य छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को प्रदान की जा सकेगी।

अध्येतावृत्तियां

उन्नत अध्ययन एवं शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए जहां वांछित हो, अध्येतावृत्तियां स्थापित की जायेंगी।

- (1) अध्येतावृत्तियां, विद्या परिषद के निर्णय के अनुसार विद्या शाखाओं को प्रदान की जायेंगी :
परन्तु विद्या परिषद को यह शक्ति होगी कि वह किसी विद्या शाखा के अभ्यर्थी को जिसकी विशेषतया उस उद्देश्य के लिए संस्तुति की गयी हो, अतिरिक्त अध्येतावृत्ति प्रदान कर सकेगी।
- (2) केवल वही अभ्यर्थी अध्येतावृत्ति के लिए पात्र होंगे जिन्होंने विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली हो।
- (3) अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन-पत्र संबंधित शाखा के निदेशक को प्रस्तुत किये जायेंगे तथा उनकी संस्तुतियां एक समिति जिसमें कुलपति, संबंधित विद्या शाखा के निदेशक तथा विद्या परिषद द्वारा वार्षिक आधार पर नामित एक सदस्य होगा, को प्रस्तुत की जायेंगी। आवेदन-पत्र में उस विशिष्ट शीर्षक का विस्तृत विवरण उल्लिखित होना चाहिए जिस पर शोध कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिस शिक्षक के मार्गदर्शन में शोध किया जाना प्रस्तावित है, के द्वारा यह प्रमाणित होना चाहिए कि आवेदक शोध कार्य करने के लिए पूर्णतया सक्षम है। अध्येतावृत्ति को संस्तुति करने के लिए समिति आवेदक के इण्टरमीडिएट से लेकर आगे तक के समस्त शैक्षिक अभिलेखों पर विचार करेगी।

परन्तु विभिन्न विद्या शाखाओं में अध्येतावृत्तियों के उचित विवरण प्राप्त करने में समिति अपने विवेक का प्रयोग कर सकेगी।

- (4) (क) अध्येतावृत्ति की अवधि में शोधकर्ता निदेशक के निर्देशन में रहेगा जो प्रत्येक शोधार्थी के कार्य के संबंध में कुलपति को त्रैमासिक आख्या प्रस्तुत करेगा।
- (ख) यदि शोधार्थी की उपस्थिति में अनियमितता अथवा आचरण असंतोषजनक हो तो कुलपति निदेशक से परामर्श कर अध्येतावृत्ति कम अथवा निरस्त कर सकेगा।
- (5) अध्येतावृत्ति का धारक कोई नियमित वैतनिक नियुक्ति अथवा निजी व्यवसाय पर नहीं लगेगा।
- (6) अध्येता द्वारा अध्येतावृत्ति की अवधि में नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र निदेशक एवं कुलपति के माध्यम से भेजा जा सकेगा।
- (7) विद्या परिषद अध्येतावृत्ति के लिए समय-समय पर ऐसी अन्य सामान्य अथवा विशेष शर्तें विहित कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे।

अध्याय-चार

परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षकों की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें

[धारा 32 (2) (ख) के अधीन]

क. मूल्यांकन :

(1) छात्र की प्रगति का मूल्यांकन-

उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम / अध्ययन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सुसंगत पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम में भर्ती छात्रों की प्रगति अध्यादेश में अधिकथित रीति के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(2) मूल्यांकन की विधि-

जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में भर्ती छात्र की प्रगति का निर्धारण निम्न प्रकार होगा :-

- (एक) प्रत्येक कार्यक्रम में प्रत्येक इकाई का छात्र द्वारा स्वमूल्यांकन किया जायेगा। यह मूल्यांकन परीक्षा परिणाम में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (दो) परीक्षक अथवा कम्प्यूटर की सहायता से सत्रीय कार्य का सतत् मूल्यांकन किया जायेगा। प्रयोगात्मक कार्य, सेमिनार, कार्यशाला अथवा प्रोजेक्ट का मूल्यांकन पृथक से किया जायेगा।
- (तीन) विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की प्रगति का स्तर अवधारित करने की विधि, छात्र की समग्र सत्रीय मूल्यांकन की प्रगति पर आधारित होगी, सत्रीय परीक्षा में बैठने के पूर्व छात्र द्वारा सत्रीय कार्य पूर्ण करना अपेक्षित होगा।
- (चार) सत्रीय कार्य का मूल्यांकन दो प्रकार से होगा, प्रथम: विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ परीक्षक द्वारा, मूल्यांकित दत्तकार्य के तौर से तथा द्वितीय : कम्प्यूटर द्वारा कम्प्यूटर मूल्यांकित दत्तकार्य के तौर से।
- (पाँच) दत्तकार्य की प्रकृति एवं प्रकार के संबंध में अभ्यर्थियों को अनुदेश तथा उनको प्रस्तुत करने की अनुसूची सुसंगत कार्यक्रम मार्गदर्शन अथवा पाठ्यक्रम में विहित की जायेगी।

ख. श्रेणीकरण :

- (एक) विश्वविद्यालय में संख्यात्मक अंकन प्रणाली है, यदि आवश्यक हुआ तो इसे श्रेणीकरण पद्धति में बदला जा सकता है।
- (दो) प्रत्येक कार्यक्रम के लिए छात्र की प्रगति का आंकलन सतत् मूल्यांकन के साथ-साथ टर्मइन्ड परीक्षा के आधार पर, संख्यात्मक अंकन से होगा। श्रेणी अन्तिम परीक्षा में निम्न प्रकार प्रदान की जायेगी-

प्रथम श्रेणी	-	60 प्रतिशत और अधिक
द्वितीय श्रेणी	-	50 प्रतिशत और अधिक 60 प्रतिशत से कम
तृतीय श्रेणी	-	35 प्रतिशत और अधिक 50 प्रतिशत से कम
अनुत्तीर्ण	-	35 प्रतिशत से न्यून

ग. परीक्षकों/प्राशिनकों/अनुसीमकों की नियुक्ति :

(एक) अध्ययन बोर्ड की संस्तुति पर प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए शाखा का बोर्ड प्राशिनकों, अनुसीमकों तथा परीक्षकों की एक सूची तैयार कर परीक्षा समिति को प्रस्तुत करेगा, जो उस सूची में से प्राशिनकों, अनुसीमकों एवं परीक्षकों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए करेगी, परन्तु सूची में सम्मिलित करने के लिए वही व्यक्ति पात्र होंगे जिन्हें पांच वर्ष का अध्यापन/शैक्षणिक अनुभव प्राप्त होगा :

परन्तु कुलपति विशेष परिस्थितियों में प्राशिनकों, परीक्षकों एवं अनुसीमकों की नियुक्ति कर सकेगा।

घ. संचालन प्रक्रिया :

(एक) प्रत्येक पाठ्य कार्यक्रम में टर्मइण्ड परीक्षा साधारणतया एक वर्ष में दो बार जुलाई एवं जनवरी में ऐसी तिथियों एवं स्थानों पर आयोजित की जायेगी जैसा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय। अभ्यर्थी जिसने अपेक्षित अवधि के लिए पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है तथा जिसने अपेक्षित संख्या में दत्त/सत्रीय कार्य प्रस्तुत कर दिये हैं, संबंधित पाठ्यक्रम की टर्मइण्ड परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

(दो) प्रत्येक अभ्यर्थी परीक्षा प्रपत्र भरेगा तथा उसे अधिसूचित अवधि के भीतर विश्वविद्यालय को भेजेगा।

(तीन) विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र बदलने की अनुमति दे सकेगा, बशर्ते कि अभ्यर्थी ने परीक्षा प्रारम्भ होने के तीस दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन कर दिया हो।

(चार) परीक्षा संचालन विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त विरचित नियमों के अनुसार होगा।

पारिश्रमिक की दरें—

(1) प्राशिनकों, अनुसीमकों, परीक्षकों एवं छात्र दत्तकार्य, उत्तर लिपियों, प्रोजेक्ट के मूल्यांकन कर्ताओं आदि को वित्त समिति की संस्तुति पर कार्य परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित पारिश्रमिक देय होगा।

(2) परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को देय पारिश्रमिक की दरें ऐसी होंगी जैसी वित्त समिति की संस्तुति पर कार्य परिषद समय-समय पर अवधारित करे।

3. परीक्षाओं का संचालन—

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम सं० 10, वर्ष 1973, यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) के परीक्षाओं के संचालन से सम्बन्धित प्राविधान यथा आवश्यक परिवर्तन सहित उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के संबंध में लागू होंगे।

अध्याय—पाँच

विश्वविद्यालय के केन्द्रों का गठन

(क) क्षेत्रीय केन्द्रों का प्रबन्धन [धारा 5-IX के अधीन]

ऐसे क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायें।

स्थापना, शक्तियाँ तथा कार्य—विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना, शक्तियाँ तथा कार्य, ऐसी रीति से निर्धारित किया जायेगा जैसा मान्यता बोर्ड द्वारा विहित तथा कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित हो।

(ख) अध्ययन केन्द्रों का प्रबन्धन [धारा 20(1), (2) के अधीन]

(1) अध्ययन केन्द्र इतनी संख्या में होंगे जितनी विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे।

(2) गठन, शक्तियाँ तथा कार्य—विश्वविद्यालय के अध्ययन-केन्द्रों का गठन, शक्तियाँ और कार्य ऐसी रीति से निर्धारित किया जायेगा जैसा मान्यता बोर्ड द्वारा विहित तथा कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित हो।

अध्याय - छः

छात्र अनुशासन

[धारा 5 (XX) के अधीन]

क. छात्रों में अनुशासन बनाये रखना-

- (एक) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन एवं अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्तियाँ कुलपति में निहित होंगी, कुलपति किन्हीं अथवा समस्त शक्तियों को जैसा वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- (दो) अपनी शक्तियों का व्यापकता पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के कुलपति अनुशासन बनाये रखने तथा ऐसी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में, जैसा वह अनुशासन बनाये रखने के लिए समुचित समझे, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी आदेश, निर्देश द्वारा किसी छात्र अथवा छात्रों को निष्कासित अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए निबंधित एवं विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश पर कथित अवधि के लिए रोक अथवा आदेश में विनिर्दिष्ट राशि से दण्डित अथवा विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में बैठने एवं एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का परीक्षाफल निरस्त कर सकेगा।

ख. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में छात्र अनुशासन-

- (एक) परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक नियंत्रण में होंगे, जो आवश्यक अनुदेश निर्गत करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अनुदेशों की अवज्ञा अथवा पर्यवेक्षण स्टाफ के किसी सदस्य अथवा केन्द्र के किसी अधीक्षक के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे सत्र की परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है।
- (दो) केन्द्राध्यक्ष तत्काल ऐसे मामलों की, छात्र के पूर्ण विवरण सहित तथ्यों की रिपोर्ट कुलसचिव को करेगा जो उस मामले को परीक्षा समिति को सन्दर्भित करेगा। समिति जैसा वह उचित समझे, अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए कुलपति को संस्तुति करेगी।
- (तीन) प्रतिदिन परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व अधीक्षक सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा करेगा कि वे अपने शरीर, टेबल्स, डेस्क आदि की तलाशी कर ले और उनसे कहेंगे कि ऐसे समस्त पेपर्स, किताबें, मोबाइल पेजर, नोट्स अथवा संदर्भ सामग्री जिनकी उन्हें कब्जे में रखने की अनुमति नहीं है अथवा परीक्षा हाल में जूनके पहुंच में है, उन्हें सौंप दें। जहां किसी देर से आने वाले को सम्मिलित किया जाता है तो यही चेतावनी उसे परीक्षाहाल में प्रवेश करते समय दोहराई जायेगी। वे यह भी देखेंगे कि प्रत्येक अभ्यर्थी के पास उसका परिचय-पत्र है।
- (चार) अभ्यर्थी किसी परीक्षा के संबंध में अनुचित साधनों का इस्तेमाल नहीं करेगा।
- (पाँच) निम्न अनुचित साधन समझे जायेंगे :-
- (क) पर्यवेक्षण स्टाफ के सदस्य की अनुमति के बिना, परीक्षा हाल के अन्दर या बाहर परीक्षा समय की अवधि में किसी अन्य अभ्यर्थी या व्यक्ति से बातें करना।
- (ख) संबंधित केन्द्राध्यक्ष अथवा पर्यवेक्षक को उत्तर पुस्तिका और या अनुवर्ती पन्ने परिदत्त किये बिना परीक्षाहाल छोड़ना एवं उत्तर पुस्तिका ले जाना, फाड़ना अथवा उसको या उसके किसी भाग को नष्ट करना।
- (ग) अभ्यर्थी को दी गयी उत्तर पुस्तिका या अनुवर्ती पन्नों के सिवाय, प्रश्न या प्रश्न से संबंधित बात या प्रश्न का हल सौख्ता कागज या कागज के किसी टुकड़े पर लिखना।
- (घ) उत्तर पुस्तिका में गाली-गलोज या अश्लील भाषा का प्रयोग करना।
- (ङ) उत्तर पुस्तिका में जानबूझकर अपनी पहिचान प्रकट करना या उस उद्देश्य के लिए कोई सुभिन्न चिन्ह बनाना।
- (च) उत्तर पुस्तिका के माध्यम से परीक्षक से अपील करना।
- (छ) अभ्यर्थी के कब्जे या पहुंच में किताब, मोबाइल पेजर, नोट्स, पेपर या कोई अन्य सामग्री चाहे लिखित अन्तर्लिखित या उत्किरक्त या कोई अन्य उपाय जो प्रश्न पत्र का उत्तर देने में सहायक हो सके।
- (ज) किताब, नोट्स, पेपर या कोई अन्य सामग्री या उपाय जो किसी प्रश्न का उत्तर देने में सहायक या मददगार हो, का उपयोग या प्रयोग करने का प्रयास किया हो या इनमें से किसी चीज को छिपाने, नष्ट करने, विदूषित करने, अपठनीय बनाने, निगलने, भाग जाने, विलुप्त करने का कार्य किया हो।
- (झ) परीक्षा समय के दौरान प्रश्न की प्रति या उसके कोई भाग या प्रश्न-पत्र या उसके किसी भाग का हल किसी अन्य अभ्यर्थी या व्यक्ति को देना या देने का प्रयास करना।

- (अ) परीक्षा के दौरान या बाद में परीक्षा से संबंधित किसी व्यक्ति या अभिकरण के जिस किसी माध्यम से उसकी मौनानुकूलता या उसके बिना परीक्षाहाल के भीतर उत्तर पुस्तिका अथवा अनुवर्ती-पत्रों की तस्करी या उत्तर पुस्तिका अथवा अनुवर्ती पन्ने बाहर ले जाना या भेजना अथवा प्रतिस्थापित या बदलने का प्रयास करना।
- (ट) पर्यवेक्षक या अन्य स्टाफ के सदस्य या किसी व्यक्ति की मौनानुकूलता की मदद से या बिना किसी प्रश्न अथवा उसके किसी भाग का हल प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना।
- (ठ) प्राश्निक, परीक्षक, मूल्यांकनकर्ता, अनुसीमक, सारणीकार या विश्वविद्यालय परीक्षा से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचना या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना।
- (ड) परीक्षा के पूर्व, दौरान एवं परीक्षा के बाद कोई अभ्यर्थी या उसकी ओर से कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के पर्यवेक्षण या निरीक्षण-स्टाफ के सदस्य के कर्तव्य निर्वहन को प्रभावित करना या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास करना।

परन्तु व्यापकता पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले इस खण्ड के उपबंध, उसमें विनिर्दिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति जो-

- (एक) पर्यवेक्षण या निरीक्षण स्टाफ के किसी सदस्य को गाली देता है, अपमानित करता है, अभित्रास करता है, प्रहार करता है या ऐसा करने की धमकी देता है।
- (दो) किसी अन्य अभ्यर्थी को गाली देता है, अपमानित करता है, अभित्रास करता है, प्रहार करता है, विघ्न डालता है, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण स्टाफ के कर्तव्यों के निर्वहन को प्रभावित करना माना जायेगा।
- (ढ) किसी किताब, नोट्स पेपर या अन्य सामग्री या उपाय या किसी अभ्यर्थी की मदद से नकल करना, नकल करने का प्रयास करना या इनमें से कोई बात करना या किसी अन्य अभ्यर्थी को इनमें से कोई बात करने के लिए मदद करके सरल बना देना।
- (ण) जहां कहीं अपेक्षित हो, अभ्यर्थी द्वारा ऐसी थीसिस, डिजटेशन, प्रेक्टिकल या क्लास नोट बुक प्रस्तुत करना जो अभ्यर्थी द्वारा स्वयं तैयार या रचित न हो।
- (त) किसी व्यक्ति के लिए चाहे वह जो कोई हो, भेष बदलने की व्यवस्था करना अथवा परीक्षा में किसी अभ्यर्थी के लिए भेष बदलना।
- (थ) परीक्षा से संबंधित किसी मामले में जानबूझ कर अभिलेख कूटरचित करना या कूटरचित अभिलेख का इस्तेमाल करना।
- (द) कार्यपरिषद किसी अथवा समस्त परीक्षाओं के संबंध में किसी कार्य लोप या करणत्रुटि को अनुचित साधन घोषित कर सकती है।
- (छः) यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी विशिष्ट/केन्द्रों पर सामूहिक नकल अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग हुआ है तो वह सभी संबंधित अभ्यर्थियों की परीक्षा निरस्त कर सकता है तथा फिर से परीक्षा कराने का आदेश दे सकता है।

नोट : जहां प्रभारी अधीक्षक का यह समाधान हो जाता है, किसी विशिष्ट परीक्षा हॉल में 33-1/3 प्रतिशत या अधिक छात्र अनुचित साधनों का इस्तेमाल या नकल करने में अन्तर्ग्रस्त हैं तो यह सामूहिक नकल का मामला समझा जायेगा।

- (सात) (क) परीक्षा केन्द्र का अधीक्षक घटना घटित होने के दिन ही, यदि संभव हो तो ऐसे प्रत्येक मामले की जहां परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग का संदेह या पता लग जाता है, की रिपोर्ट या समर्थन में साक्ष्य सहित पूर्ण विवरण तथा अभ्यर्थी का कथन, यदि कोई हो, बिना विलम्ब कुलसचिव द्वारा दिये गये प्रपत्र पर कुलसचिव को रिपोर्ट करेगा।
- (ख) अभ्यर्थी को कथन देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा परन्तु अधीक्षक द्वारा इस तथ्य को कि अभ्यर्थी ने कथन देने से इनकार किया, अभिलिखित किया जायेगा तथा घटना घटित होते समय कर्तव्यारूढ़ निरीक्षण स्टाफ के दो सदस्यों से प्रमाणित किया जायेगा।
- (ग) परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधन इस्तेमाल करने का पता लग जाये अथवा संदेह हो तो उसे पृथक उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने की अनुमति दी जा सकती है। उत्तर पुस्तिका जिसमें अनुचित साधन प्रयोग का संदेह हो, अधीक्षक द्वारा अभिग्रहित कर ली जायेगी, जो दोनों पुस्तिकाओं को अपनी रिपोर्ट सहित कुलसचिव को भेजेगा।

(आठ) अनुचित साधन इस्तेमाल के सभी अधिकथित मामले परीक्षा समिति को संदर्भित किये जायेंगे।

(नौ) परीक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय कुलपति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(दस) परीक्षा समिति यह संस्तुति कर सकती है कि—

- (1) उस पत्र की परीक्षा अथवा प्रश्न-पत्र, जिसके संबंध में अभ्यर्थी ने अनुचित साधन इस्तेमाल किया है, निरस्त कर दिया जाय।
- (2) उस पत्र की परीक्षा अथवा प्रश्न पत्र अथवा सम्पूर्ण परीक्षा जिसके संबंध में अभ्यर्थी ने अनुचित साधन इस्तेमाल किया है, निरस्त कर दिया जाय।
- (3) अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा जिसके संबंध में अनुचित साधन इस्तेमाल किया है, निरस्त कर दी जाय तथा अगले एक वर्ष के लिए किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से निरहित कर दिया जाय।
- (4) अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा जिसके संबंध में अनुचित साधन इस्तेमाल किया है, निरस्त कर दी जाय तथा अगले तीन वर्ष के लिए किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से निरहित कर दिया जाय।

अध्याय—सात

शिक्षकों की मान्यता

[धारा 5 (xxii) के अधीन]

अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं अथवा संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों की विश्वविद्यालयों के अध्यापक के रूप में मान्यता के निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसी विश्वविद्यालय की विद्या परिषद द्वारा विहित की जायं।

अध्याय—आठ

अनुदेशकों, पाठ्यक्रम लेखकों, पटकथा लेखकों, काउन्सलरों, परामर्शदाताओं, कलाकारों तथा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति जो दक्षतापूर्ण कार्य संचालन के लिए आवश्यक हो

[परिनियम 4(19) के अधीन]

क. नियुक्ति :

- (1) कुलपति अनुदेशकों, पाठ्यक्रम लेखकों, पटकथा लेखकों, काउन्सलरों, परामर्शदाताओं, प्रोग्रामरों, कलाकारों एवं ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। जिन्हें विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिये आवश्यक समझा जाय।
- (2) कुलपति ऐसे व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए आवश्यक हों, अल्पकालिक नियुक्ति जो एक बार में छः माह से अनधिक हो, कर सकता है।

ख. चयन की रीति :

- (क) (1) परिनियम 4(19) (एक) के अधीन नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, अन्य विश्वविद्यालयों शोध संस्थानों, प्रयोगशालाओं, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार आदि में कार्यरत व्यक्तियों का बायोडाटा विद्या शाखाओं की विशेषज्ञ समिति के सदस्यों, पाठ्यक्रम लेखकों एवं अन्य स्रोतों द्वारा संस्तुत नामों पर एक समिति जिसमें विद्या शाखा का निदेशक तथा कुलपति द्वारा नामित एक निदेशक होगा, द्वारा विचार किया जायेगा।
- (2) यह समिति किसी व्यक्ति को नियुक्त के लिए विचारार्थ संस्तुति करती है तो उसके बायोडाटा अनुमोदनार्थ कुलपति को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (3) उपयुक्त व्यक्तियों के नियुक्ति के प्रस्ताव कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (4) ऐसी नियुक्तियों के निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसी कार्यपरिषद् द्वारा अवधारित की जाय।

- (ख) (1) परिनियम 4(19) (दो) के अधीन ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए जो विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण कार्य संचालन के लिए आवश्यक समझे जाँय, के बायोडाटा एक समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जिनका गठन निम्न प्रकार होगा :
- | | | |
|-------|-----------------------|---------|
| (एक) | कुलपति या उनकी नामिती | अध्यक्ष |
| (दो) | कुलसचिव | सदस्य |
| (तीन) | वित्त अधिकारी | सदस्य |
- (2) ऐसे व्यक्तियों के बायोडाटा पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
- (3) समिति यह संस्तुति करेगी कि व्यक्ति अथवा व्यक्तियों नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं।
- (4) संस्तुति को कुलपति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
- (5) कार्यपरिषद् को ऐसी नियुक्तियों के संबंध में अवगत किया जायेगा।
- (6) इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को वित्त समिति द्वारा संस्तुत तथा कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित मासिक मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- (7) अकुशल व्यक्तियों/कर्मचारों को उन दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जायेगा, जो वित्त विभाग के समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुरूप शासकीय विभागों पर लागू हों।
- (8) नियुक्ति एक बार में छः माह से अनधिक अवधि के लिए की जा सकती है।
- (9) इस अध्याय के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्तियों का यात्रा भत्ता वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए विहित किया हो।

परन्तु जब सेवानिवृत्ति राज्य कर्मचारी नियुक्त किया जाय तो वह सेवानिवृत्ति के समय आहरित अपने अन्तिम वेतन के आधार पर यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते पाने का हकदार होगा।

(ग) (एक) परिनियम 4(19) (तीन) समय-समय पर यथाअपेक्षित रूप से विभिन्न स्थानों पर अध्ययन केन्द्रों और प्रोग्राम केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण करेगा और विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित करेगा जो उक्त केन्द्रों के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझी जायें;

(दो) परिनियम 4(19) (चार) विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और प्रशासकों की समिति या समितियाँ गठित करेगा, जो कि विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक हों।

अध्याय-नौ

अन्य अधिकारियों एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ की नियुक्ति और सेवा के निबंधन व शर्तें एवं आचार संहिता

[परिनियम 35 (9) के अधीन]

(1) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ, इस अध्याय में विहित निबंधनों व शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(क) नियुक्त प्राधिकारी :

- (1) विश्वविद्यालय के अध्यापन एवं शैक्षणिक स्टाफ को छोड़कर, शिक्षणोत्तर स्टाफ के संबंध में नियुक्त प्राधिकारी कुलसचिव होगा।
- (2) नियुक्त प्राधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही करने एवं दण्ड देने की शक्ति उन कर्मचारी वर्ग के संबंध में होगी जिनका वह नियुक्त प्राधिकारी है।
- (3) नियुक्त प्राधिकारी का प्रत्येक निर्णय कार्य परिषद् को रिपोर्ट किया जायेगा :

परन्तु इस अध्यादेश की कोई बात ऐसे निलम्बन के आदेश पर जिसमें जांच विचाराधीन हो, लागू नहीं होगी, किन्तु कोई ऐसा आदेश कार्यपरिषद् द्वारा स्थगित, प्रति संहत या उपांतरित किया जा सकता है।

- (4) किसी भी कर्मचारी को तब तक हटाया नहीं जायेगा जब तक कि उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में उसे कारण बताने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया हो।

(ख) नियुक्तियाँ :

- (क) कार्यालय अधीक्षक पद पर नियुक्ति वरिष्ठ सहायकों में से उपयुक्तता और योग्यता के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जायेगी।
- (ख) वरिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति कनिष्ठ सहायक में से उपयुक्तता और योग्यता के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति द्वारा दी जायेगी।
- (ग) कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति नैतिक लिपिकों में से उपयुक्तता और योग्यता के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायेगी।
- (घ) निजी सचिव के पद पर नियुक्ति आशुलिपिकों में से उपयुक्तता और योग्यता के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायेगी।
- (ङ) लेखाकार के पद पर नियुक्ति सहायक लेखाकारों में से उपयुक्तता और योग्यता के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायेगी।
- (च) 15 प्रतिशत नैतिक लिपिक के पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जो पांच वर्ष की अनवरत सेवा तथा न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण करते हों, में से उपयुक्तता और योग्यता के अधीन रहते हुए श्रेष्ठता के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

- (2) स्थायी पदों पर नियुक्ति एक वर्ष के परीक्षा पर होगी, कर्मचारी का कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने पर परीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी :

परन्तु सम्पूर्ण परीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, बढ़ाई गई परीक्षा अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी।

- (3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी एक लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायेगा, और ऐसी संविदा अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों के उपबंधों से असंगत न होगी।
- (4) संविदा विश्वविद्यालय में रहेगी उसकी प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जायेगी।
- (5) कोई विवाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो अधिनियम या परिनियम या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी है या की जाने के लिए तात्पर्यित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी।

(ग) आरक्षण :

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए अठारह प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए चार प्रतिशत एवं नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए चौदह प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। आरक्षित श्रेणियों हेतु आरक्षण की व्यवस्था वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिये अवधारित की जायेगी।

(घ) सीधी भर्ती के पदों पर चयन की रीति :

- (1) कुलसचिव रिक्तियों की सूचना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करके तथा दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अधिसूचित करेगा,
- (2) न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए अवधारित की जायेगी।
- (3) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं वही होंगी जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अवधारित की जायेगी।
- (4) अन्य अधिकारियों एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :
- (क) कुलपति अथवा उसका नामिती जो अध्यक्ष
आचार्य से अनिम्न स्तर का न हो

- | | | |
|-----|---|-------|
| (ख) | कुलसचिव | सदस्य |
| (ग) | वित्त अधिकारी | सदस्य |
| (घ) | दो सदस्य, जिनमें से एक अनुसूचित जाति/
जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का होगा,
कुलपति द्वारा नामित किये जायेंगे | सदस्य |
- (5) चयन समिति के कुल सदस्यों की बहुसंख्या से गणपूर्ति होगी।
- (6) कुलपति के आदेश से चयन समिति की बैठक आहूत की जायेगी।
- (7) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए एक पखवाड़े की नोटिस दी जायेगी।
- (8) अभ्यर्थियों के मूल्यांकन की रीति के संबंध में चयन समिति स्वयं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंगीकार करने के लिए सक्षम होगी।
- (9) नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व उसके चरित्र एवं चिकित्सीय स्वस्थता के संबंध में अपना समाधान कर ले।
- (10) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की परिलक्षियां ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायेगी।
- (11) अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति वरिष्ठ वेतनमान व चयन वेतनमान अनुमन्य होगा।
- (12) कर्मचारी जिन्होंने अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा है, को राज्य कर्मचारियों की भांति परिवार कल्याण भत्ता अनुमन्य होगा।
- (13) कर्मचारी विश्वविद्यालय के अंशदायी भविष्य निधि अथवा जी.पी.एफ. में अंशदान करने के हकदार होंगे।

(ड) कोई कर्मचारी त्याग-पत्र दे सकता है:

- (क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो नियुक्त प्राधिकारी को तीन मास की लिखित नोटिस देकर अथवा उसके बदले में तीन माह का वेतन देकर,
- (ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो नियुक्त प्राधिकारी को एक मास की लिखित नोटिस देकर अथवा उसके बदले में एक माह का वेतन देकर।
- (ग) त्याग-पत्र नियुक्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगा।
- (घ) नियुक्त प्राधिकारी नोटिस की अवधि को किसी भी तरह अधित्यजित कर सकेगा।

(च) आचार संहिता :

- (1) प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्य एवं आचरण के संबंध में उच्चतम स्तर की निष्ठा रखेगा।
- (2) प्रत्येक कर्मचारी, कुलसचिव अथवा उस अधिकारी जिसके अधीन वह कार्यरत है, के आदेशों का पालन करेगा।
- (3) प्रत्येक कर्मचारी की चरित्र पंजिका बनायी जायेगी जिसमें उसके कार्य एवं आचरण के संबंध में गोपनीय प्रविष्टि प्रत्येक वर्ष अभिलिखित की जायेगी, प्रतिकूल प्रविष्टि संबंधित कर्मचारी को सूचित की जायेगी ताकि वह अपना कार्य एवं आचरण सुधार सके।
- (4) प्रतिकूल प्रविष्टि से व्यथित कर्मचारी प्रतिकूल प्रविष्टि हटाये जाने के लिए कुलसचिव के माध्यम से कुलपति को प्रत्यावेदन कर सकता है। कुलपति को औचित्य के आधार पर प्रतिकूल प्रविष्टि हटाने की शक्ति होगी।
- (5) प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका कुलसचिव के नियंत्रण में रखी जायेगी।

(छ) अनुशासनिक कार्यवाही :

- (1) कोई कर्मचारी जो कुलसचिव या उस अधिकारी, जिसके नियंत्रणाधीन वह कार्यरत है, के आदेशों का अनुपालन नहीं करता है अथवा जिसका कार्य व आचरण संतोषजनक नहीं है, अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा,
- (2) किसी कर्मचारी को निम्नलिखित किसी एक या अधिक कारण से सेवा से हटाया जा सकेगा—
- (क) कर्तव्यों की घोर उपेक्षा।

- (ख) अवचार ।
(ग) अनधीनता या अवज्ञा ।
(घ) कर्तव्यों के पालन में शारीरिक या मानसिक दृष्टि से अनुपयुक्तता ।
(ङ) सरकार या विश्वविद्यालय के विरुद्ध प्रतिकूल आचरण या कार्यकलाप ।
(च) नैतिक अधमता संबंधित आरोप पर किसी विधि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ।
(छ) पद की समाप्ति ।

(3) किसी कर्मचारी को पदच्युत करने या उसको सेवा से हटाने का कोई आदेश, सिवाय ऐसे अपराध के लिए जिनमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो, दोष सिद्ध होने पर या पद समाप्त किये जाने की स्थिति में तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि कर्मचारी को, उसके विरुद्ध आरोप न लगाया गया हो और उसकी सूचना जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, उसके विवरण सहित न दी जाय और उसको -

(क) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का ।

(ख) व्यक्तिगत सुनवाई का यदि वह ऐसा चाहें ।

(ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्ष्यों को बुलाने और परीक्षण करने का, जिन्हें वह चाहें, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय :

परन्तु कुलपति या जांच करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी साक्षी को बुलाने से इनकार कर सकता है ।

(4) कार्य परिषद् किसी समय जांच अधिकारी की रिपोर्ट की दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर संबंधित कर्मचारी को सेवा से पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिनमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे ।

(5) प्रस्ताव की सूचना संबंधित कर्मचारी को तुरन्त दी जायेगी ।

(6) कार्य परिषद्, कर्मचारी को सेवा से पदच्युत करने या हटाने के बजाय तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कर्मचारी का वेतन कम करने या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धियाँ रोक करके अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का संकल्प पारित कर सकती है या कर्मचारी को उसके निलंबन के अवधि के, यदि कोई हो, वेतन से वंचित कर सकती है ।

(7) विश्वविद्यालय के कर्मचारी को निलंबित समझा जायेगा-

(क) यदि किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध की स्थिति में उसे 48 घंटे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया गया हो और उसे इस प्रकार दोष सिद्ध के परिणाम स्वरूप तुरन्त पदच्युत या सेवा से हटाया न जाये तो उसको दोष सिद्ध के दिनांक से ।

(ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाये, चाहे निरोध किसी अपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा हो, उसके निरोध की अवधि तक के लिए निलंबित समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विनिर्दिष्ट 24 घंटे की अवधि की गणना दोष सिद्ध के पश्चात कारावास के प्रारम्भ होने से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की सविराम अवधि पर भी यदि कोई हो, विचार किया जायेगा ।

(8) विश्वविद्यालय का कर्मचारी अपने निलंबन की अवधि में समय-समय पर यथासंशोधित वित्तीय हस्त पुस्तिका का खण्ड-2 के भाग 2 के अध्याय-8 के उपबन्धों के अनुसार, जो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे, जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा ।

ज- छुट्टी संबंधी नियम

(परिनियम 32 के अधीन)

छुट्टी निम्नलिखित प्रकार की होगी-

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| (1) आकस्मिक छुट्टी | [परिनियम 32 (1) के अन्तर्गत] |
| (2) विशेषाधिकार छुट्टी | [परिनियम 32 (2) के अन्तर्गत] |
| (3) कर्तव्य छुट्टी | [परिनियम 32 (3) के अन्तर्गत] |
| (4) दीर्घकालीन छुट्टी | [परिनियम 32 (4) के अन्तर्गत] |
| (5) असाधारण छुट्टी | [परिनियम 32 (5) के अन्तर्गत] |
| (6) प्रसूति छुट्टी | [परिनियम 32 (6) के अन्तर्गत] |
| (7) बीमारी की छुट्टी | [परिनियम 32 (8) के अन्तर्गत] |

- (1) आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी जो एक मास में सात दिन अथवा एक सत्र से चौदह दिन से अधिक नहीं होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलायी नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को त्याग सकता है।
- (2) एक सत्र में दस कार्य-दिवस तक की विशेषाधिकार छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी, और यह 80 कार्य दिवस तक संचित की जा सकती है।
- (3) विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के, जिसमें कोई अध्यापक पदेन संदस्य हो या जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालित करने के लिए 15 कार्य दिवस तक की कर्तव्य (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी।
- (4) किसी एक सत्र में एक मास के लिए दीर्घ कालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी, और जो बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन या निवृत्तिक पूर्वता के लिए दी जा सकती है।

परन्तु, यह कि लम्बी बीमारी की स्थिति में छुट्टी, कार्य परिषद् के विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है। ऐसी छुट्टी, लम्बी बीमारी को छोड़कर, केवल पांच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् ही दी जा सकती है :

परन्तु यह और कि ऐसे अध्यापकों को, जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद्, विश्वविद्यालय या किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण अथवा के लिए चयन किया जाता है तो उन्हें अध्येतावृत्ति, शिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायं, छुट्टी दी जा सकती है।

- (5) असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें कार्य परिषद् उचित समझे, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दी जा सकती है, किन्तु परिनियम 27 के खण्ड (22) में उल्लिखित परिस्थितियों के सिवाय, यह विशेष परिस्थितियों के अधीन दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।

स्पष्टीकरण: (1) अध्यापक जो कोई स्थायी पद धारण करता हो या जो निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति से, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय-भान में अपनी वेतनवृद्धि के लिए गणना किये जाने का हकदार होगा :

परन्तु यह कि उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों को सम्मिलित किया जा सकेगा—

- (क) संबंधित शिक्षक उच्चतर अध्ययन के लिए प्रदेश में या प्रदेश से बाहर जा रहा हो, जिसके लिए विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् एवं शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो। यदि पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है, तो ऐसा अवकाश देय नहीं होगा।
 - (ख) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन का आशय अन्यत्र सेवा करना नहीं है। (सामान्यतः शिक्षक उच्चतर वेतनमान में सेवारत होने के उपरान्त एक या दो शोध पत्र सेमिनार आदि में प्रस्तुत करते हैं, जिसे वे उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन मानते हैं।)
 - (ग) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन पूर्णतः वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन होना चाहिए। यह अवकाश स्वीकृत करने के लिए आशय नहीं होनी चाहिए।
 - (घ) यदि कोई अभ्यर्थी विदेश में उच्च वेतनमान में सेवा आदि करता है, साथ ही एक या दो शोध पत्र अथवा पुस्तक भी लिखता है, तो यह उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन नहीं समझा जायेगा।
- (2) राज्य सरकार की सहमति कोई अध्यापक, जो अस्थायी पद धारण करता हो, और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गयी हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 2, भाग 2 से भाग 4 के मूल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समयमान में ऐसी अवस्था पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह छुट्टी पर न गया होता, परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत की गयी थी, लोकहित में रहा हो।
 - (6) अध्यापिकाओं को पूर्ण वेतन सहित 135 दिनों की अवधि तक प्रसूति छुट्टी दी जा सकेगी। परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका को अस्थायी सेवा सहित, यदि कोई हो, सम्पूर्ण सेवा अवधि में दो बार से अधिक नहीं दी जायेगी।

- (7) किसी पंजीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी या लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिनों से अधिक हो तो कुलपति ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो उसके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण पत्र मांगने के लिए सक्षम होगा।
- (8) दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर, जो कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायेगी, के सिवाय, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी कुलपति होगा।

(9) सामान्य :

- (1) छुट्टी अधिकार स्वरूप नहीं मांगी जा सकती है। परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए स्वीकर्ता अधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है और पहले से स्वीकृत की गयी छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।
- (2) छुट्टी के लिए हमेशा पहले से ही आवेदन किया जाना चाहिए और उपभोग करने से पूर्व समक्ष अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली हो।
- (3) जब तक छुट्टी की स्वीकृति जारी नहीं हो जाती तब तक कर्मचारी स्टेशन नहीं छोड़ेगा।
- (4) रविवार एवं अन्य सार्वजनिक छुट्टियों को, छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमित छुट्टी के साथ जोड़ने (प्रोफिक्स एवं सफिक्स) की अनुमति दी जा सकती है।

(10) अधिवर्षिता आयु—(परिनियम 33 के अधीन) :

- (क) विश्वविद्यालय के कर्मचारी की अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष होगी। परन्तु, यह कि यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून को न हो तो वह अध्यापक शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्ष के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा।
- (ख) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति का दिनांक उस कर्मचारी के 60 वें जन्म के ठीक पूर्व माह का अन्तिम दिनांक होगा।

अध्याय—दस

शोध उपाधि कार्यक्रम एवं समिति का गठन
[परिनियम 37 (6) के अधीन]

(क) प्रबन्ध एवं समन्वय :

- (1) मास्टर ऑफ फिलासौफी (एम. फिल.) एवं डाक्टर ऑफ फिलासौफी (डी. फिल.) (पी-एच.डी.) अथवा ऐसी अन्य उपाधि विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत छात्रों को, उनके विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिस्थापित विहित शोध कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रदान की जा सकती है।
- (2) मास्टर ऑफ फिलासौफी (एम. फिल.) अथवा डाक्टर ऑफ फिलासौफी (डी. फिल.) (पी-एच.डी.) तथा ऐसी ही अन्य उपाधि प्रदान करने के लिए शोध अध्ययन का संचालन एवं प्रबन्धन निम्न निकायों द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट अपनी-अपनी भूमिका के अनुसार किया जायेगा।
- (3) विश्वविद्यालय के शोध उपाधि कार्यक्रम विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के अधीन विद्यापरिषद् द्वारा अपनायी गयी शोध नीति के अनुसार होंगे।

(ख) शोध उपाधि समिति :

- (1) एक शोध समिति होगी जो विद्या परिषद् के सम्पूर्ण मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए शोध कार्यक्रमों के नियोजन, प्रबन्धन, संगठन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगी।
- (2) शोध उपाधि समिति अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्न कार्यों का सम्पादन करेगी —
- (एक) शोध नीति का प्रबंधन एवं प्रशासन, कार्यक्रम परिकल्पना, मूल्यांकन एवं शोध उपाधियां प्रदान करना।

- (दो) पंजीकरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों को विनिर्मित करना, पर्यवेक्षण, कार्यक्रम परिकल्पना, मूल्यांकन एवं शोध उपाधियां प्रदान करना।
- (तीन) मूल्यांकन के लिए शोध सूचकों का अनुश्रवण।
- (चार) विद्या शाखा के बोर्ड के लिए सुसंगत शोधक्षेत्र के मानदण्ड/ संक्षिप्त लेख/ विषयों का अवधारण।
- (पाँच) शोध प्राथमिकताओं एवं शोध के लिए साधन आवंटन करने के लिए परामर्श देना।
- (छः) विश्वविद्यालय के शोध प्रयासों पर समेकित रिपोर्ट तैयार करना।
- (सात) शोध विकास एवं समन्वय से संबंधित कोई अन्य कार्य।

(3) शोध उपाधि समिति का गठन निम्न प्रकार होगा—

- (एक) कुलपति शोध उपाधि समिति का अध्यक्ष होगा।
- (दो) दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों, कुलपति द्वारा नामित किए जायेंगे।
- (तीन) कुलपति द्वारा नामित योजना बोर्ड एवं विद्या परिषद् का एक-एक प्रतिनिधि।
- (चार) शोध विकास एवं समन्वय का प्रभारी अधिकारी शोध समिति का सदस्य सचिव होगा।

(4) सदस्यों का कार्यकाल नामित किये जाने की तिथि से तीन वर्ष होगा।

(5) शोध उपाधि समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी, बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(ग) पंजीकरण एवं पर्यवेक्षण :

- (1) शोध उपाधि समिति द्वारा समय समय पर दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया एवं अनुसूची बनायी एवं घोषित की जायेगी।
- (2) अभ्यर्थी जिसने किसी विश्वविद्यालय की मास्टर की उपाधि प्रदान करने हेतु अर्हता प्राप्त कर ली हो या अध्ययन के क्षेत्र में समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया हो प्राप्त कर ली हो, एम.फिल./डी.फिल.(पी-एच.डी.) कार्यक्रम के लिए पंजीकृत किये जाने के लिए अर्ह होगा, बशर्ते कि उसने 55 प्रतिशत अंक (50 प्रतिशत अंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए) या उसके समकक्ष श्रेणी ऐसी उपाधि/अर्हता प्रदान करके वाली परीक्षा में प्राप्त किये हों।
- (3) एम.फिल./डी.फिल.(पी-एच.डी.) छात्रों की दो कोटियाँ पूर्णकालिक एवं अंशकालिक होंगी।
- (क) वे सभी जिन्हें विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है और विश्वविद्यालय के शोध उपाधि कार्यक्रम का पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में पंजीकृत है, पूर्ण कालिक छात्रों की कोटि के अंग होंगे, असाधारण मामलों में शोध उपाधि समिति उन छात्रों को जिन्हें अध्येतावृत्ति प्राप्त नहीं है, को पूर्णकालिक छात्रों के रूप में पंजीकरण की मंजूरी दे सकती है। पूर्णकालिक छात्र अपनी परियोजनाओं (प्रोजेक्ट) पर हल्दानी अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य शोध केन्द्र में कार्य करेंगे।
- (ख) छात्र जो किसी संगठन में नियोजित है और शोध उपाधि कार्यक्रम में अध्ययन के इच्छुक हैं, को अंशकालिक छात्रों के रूप में पंजीकरण की अनुज्ञा दी जा सकती है। साधारणतया विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य शैक्षिक स्टाफ अपनी-अपनी सेवा में रहते हुए इस कोटि के अंग होंगे, शोध उपाधि समिति एम.फिल./डी.फिल.(पी-एच.डी.) कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों के संबंध में भी विचार कर सकती है।
- (4) एम.फिल./डी.फिल.(पी-एच.डी.) कार्यक्रम के लिए सभी पंजीकरण अनंतिम होंगे, जिनकी पुष्टि शोध उपाधि समिति द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।
- (5) अभ्यर्थी जिन्हें पंजीकृत किया गया है, पंजीकरण की तिथि के तीन मास के भीतर विहित पंजीकरण शुल्क जमा करेंगे, शुल्क जमा न होने पर पंजीकरण निरस्त माना जायेगा। तथापि विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष का विस्तरण दिया जा सकता है।

(6) निम्न कारणों से छात्र का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है—

- (एक) शुल्क का भुगतान न करने पर।
- (दो) असंतोषजनक प्रगति।
- (तीन) अध्यादेशों के उपबन्धों का अनुपालन करने पर।
- (चार) विहित समय सीमा के भीतर डिसर्टेशन/थीसिस प्रस्तुत न करने पर।

(7) शोध उपाधि समिति उन छात्रों के पुनर्पंजीकरण अनुरोध पर विचार कर सकती है जिनका पंजीकरण निरस्त किया गया है। पुनर्पंजीकरण के लिए आवेदन यदि छात्र के पंजीकरण निरस्त होने से एक वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर किया गया हो तो सम्बन्धित निदेशक द्वारा संस्तुति करने पर विचार किया जा सकता है।

(8) कार्यक्रम शुल्क में, पंजीकरण शुल्क, पाठ्यकार्य शुल्क, मूल्यांकन शुल्क एवं कोई अन्य शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विहित की जाय सम्मिलित होंगे और सदैव वार्षिक आधार पर प्रभारित होंगे।

घ. पर्यवेक्षण :

- (1) शोध उपाधि कार्यक्रम के लिए पंजीकृत प्रत्येक छात्र के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक के अधीन कार्यक्रम का अध्ययन करे। छात्रों के लिए पर्यवेक्षक/संयुक्त पर्यवेक्षण का कार्य संबंधित विद्या शाखा के बोर्ड द्वारा अपनी इच्छानुसार विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षकों की सूची में से समनुदेशित किया जायेगा।
- (2) संबंधित विद्या शाखा का बोर्ड शोध उपाधि समिति को एक विशेषज्ञों की सूची शोध पर्यवेक्षकों के रूप में मान्यता दिये जाने हेतु संस्तुत करेगा।
- (3) एक शैक्षिक (शैक्षिक एवं अन्य शैक्षिक स्टाफ सम्मिलित) जो डी.फिल.(पी-एच.डी.) उपाधि धारक है एवं कम से कम पांच वर्ष पोस्ट डाक्टोरल शोध अथवा पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव रखता है, शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दिये जाने हेतु पात्र होगा।
- (4) एक बार में पर्यवेक्षक पांच से अधिक छात्रों का मार्गदर्शन नहीं करेगा।

ङ. कार्यक्रम परिकल्पना :

- (1) पाठ्यकार्य में पाठ्यक्रम से संबंधित थ्रस्ट एरियाज ऑफ रिसर्च एवं रिसर्च मैथडालौजी सम्मिलित होगी।
- (2) पाठ्यक्रम सम्बन्धित विद्या शाखा के बोर्ड द्वारा विहित किया जायेगा, परन्तु जहाँ पाठ्यक्रम अनावश्यक समझा जाये तो संबंधित विद्या शाखा के बोर्ड द्वारा छूट दिये जाने के निर्देश शोध उपाधि समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (3) संबंधित विद्या शाखा का बोर्ड उपाधि समिति द्वारा पृष्ठांकित होने पर अभ्यर्थी को पाठ्यकार्य की अपेक्षाओं से (पूर्ण या आंशिक) छूट दे सकता है।
- (4) सभी मामलों में पाठ्यकार्य पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना होगा।

च. डिसर्टेशन/थीसिस :

- (1) एम.फिल. उपाधि के लिए छात्र से एक डिसर्टेशन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। विद्या शाखा के बोर्ड द्वारा अनुमोदित विषय पर डिसर्टेशन कार्य फील्ड वर्क, शोध अध्ययन, अन्वेषणिक/प्रयोगशाला कार्य, अथवा अन्य रूप में हो सकता है।
- (2) पी-एच.डी. उपाधि के लिए छात्र को संबंधित विद्या शाखा के बोर्ड द्वारा विहित प्रपत्र पर थीसिस प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी, थीसिस मूल शोध कार्य की कृति का चित्रण या तो नये तथ्यों की खोज द्वारा अथवा नये विचारों का आविष्कार या सिद्धांतों का नया निर्वचन होना चाहिए।

छ. अवधि :

- (1) कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि क्रमशः दो से चार वर्ष एम.फिल. के लिए एवं तीन से पांच वर्ष डी.फिल. के लिए होगी, जिसकी गणना पंजीकरण की तिथि से की जायेगी, परन्तु कुलपति के अनुमोदन से अपघटनी अथवा बढ़ाई जा सकती है।
- (2) यदि छात्र बढ़ाई गई अवधि के भीतर डिसर्टेशन/थीसिस प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसका पंजीकरण निरस्त हो जायेगा।

- (3) पंजीकरण के दिनांक के प्रारम्भ से छात्र समय-समय पर (छ: माह में एक बार) निर्धारित प्रपत्र पर प्रगति रिपोर्ट पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करेगा जो अब तक के कार्य के निर्धारण के बारे में अपनी टिप्पणी के साथ संबंधित विद्या शाखा बोर्ड के माध्यम से शोध उपाधि समिति को पुनर्विलोकन के लिए अग्रसारित करेगा।

ज. मूल्यांकन एवं उपाधियाँ प्रदान करना :

- (1) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर अपने पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन के अधीन अपने शोध कार्य का अध्ययन करना छात्र के लिए अनिवार्य होगा, जिसके अंत में वह संबंधित विद्या शाखा के बोर्ड द्वारा विहित प्रपत्र एवं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप एक डिसेटेशन/थीसिस जो भी स्थिति हो, लिखेगा और विहित अवधि के भीतर कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा।
- (2) छात्रों द्वारा पाठ्यकार्य किये जाने हेतु संबंधित विद्या शाखा का बोर्ड एक मूल्यांकन योजना विहित करेगा। पाठ्यक्रम की प्रकृति एवं विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर रहते हुए मूल्यांकन पद्धति में निम्न सम्मिलित हो सकता है:
- (क) मूल्यांकन पद्धति अथवा व्यापक परीक्षा जो विहित क्रेडिट बेस्ड पाठ्यक्रम पर लागू है।
(ख) निर्धारित विषय पर एक टर्म पेपर या सेमिनार में एक असाइनमेंट का प्रस्तुतीकरण।
(ग) मौखिक परीक्षा।
(घ) इन पद्धतियों का कोई मिश्रण।
- (3) छात्र द्वारा उसका पाठ्यकार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया माना जायेगा यदि वह पाठ्यक्रम में अधिकतम स्कोर का 50% प्राप्त कर लेता है।
- (4) संबंधित विद्या शाखा का बोर्ड शोध उपाधि समिति एवं कार्य परिषद् के अनुमोदन के लिए डिसेटेशन/थीसिस की स्वीकृति/पुनरीक्षण/अस्वीकृति के लिए ऐसे नियम विहित करेगा जो आवश्यक हों।

झ. शुल्क :

- (1) विश्वविद्यालय की एम. फिल. या डी. फिल. (पी-एच.डी.) कार्यक्रम में प्रवेशित छात्र विद्या परिषद् द्वारा अवधारित शुल्क का भुगतान करेंगे।
- (2) शुल्क का भुगतान ऐसे तिथि एवं ऐसी शीति से होगा जैसा अधिसूचित किया जाए।

ञ. एम. फिल./डी. फिल.(पी.-एच.डी.) उपाधि प्रदान करना :

छात्र को एम.फिल./डी. फिल.(पी.-एच.डी.) की उपाधि विद्या परिषद् के अनुमोदन से प्रदान की जायेगी।

अध्याय—ग्यारह

दीक्षांत समारोह

[परिनियम 38 (1) के अधीन]

- (1) उपाधियाँ/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन वर्ष में एक बार हलद्वानी अथवा ऐसे स्थान या केन्द्र पर होगा, जैसा कार्य परिषद् अवधारित करें :
परंतु मानक उपाधि प्रदान करने के लिए विशेष दीक्षांत समारोह हलद्वानी में होगा।
- (2) यदि कुलाधिपति उपस्थित न हो तो सभी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुलपति करेगा और उपाधियाँ/डिप्लोमा प्रदान करेगा।
- (3) कुलपति किसी विशिष्ट व्यक्ति को दीक्षांत भाषण देने के लिए दीक्षांत समारोह में इलाहाबाद अथवा किसी अन्य केन्द्र /स्थान पर आमंत्रित कर सकता है।
- (4) कुलपति वार्षिक दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की प्रगति के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (5) छात्र जिन्होंने उस वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जिस वर्ष के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित है, दीक्षांत समारोह में सम्मिलित किये जाने के पात्र होंगे :

परन्तु किसी विशेष वर्ष में किसी कारण से दीक्षांत समारोह का आयोजन नहीं हुआ हो तो कुलपति, उस वर्ष से संबंधित उपाधि/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को उनकी उपस्थिति में उपाधि/डिप्लोमा, विहित शुल्क के भुगतान पर निर्भर करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए सक्षम होगा।

- (6) ऐसे छात्र जो दीक्षांत समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हों, को उनके अनुरोध एवं विहित शुल्क का भुगतान करने पर कुलपति द्वारा उनकी अनुपस्थिति में उपाधि/डिप्लोमा प्रदान करने की अनुमति दी जायेगी। और कुलसचिव या कुलपति द्वारा इस परियोजन हेतु नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उपाधि/डिप्लोमा निर्गत करेगा।
- (7) अनुपस्थिति में उपाधि/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए शुल्क ऐसी होगी जो विद्या परिषद् द्वारा अवधारित की जाए।
- (8) अभ्यर्थी दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि के अनुसार समुचित शैक्षिक पोषाक पहनेंगे, कोई भी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा विहित उचित शैक्षिक पोषाक के बिना दीक्षांत समारोह में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (9) दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान करने के लिए संबंधित विद्या परिषद् के निदेशक द्वारा उच्चतम डाक्टोरल उपाधि (डी. लिट, डी. एस. सी.) के अभ्यर्थियों को कुलपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।
- (10) निचले स्तर के शोध उपाधि यथा डी. फिल. या एम. फिल./पी.-एच.डी. एवं स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा के अभ्यर्थियों को विद्या शाखा के निदेशकों द्वारा विद्या शाखा वार एक समूह में (सभी विषयों के एक साथ) प्रस्तुत किये जायेंगे। ज्यों ही संबंधित निदेशक द्वारा नाम पढ़े जायेंगे, अभ्यर्थी अपनी-अपनी सीट पर खड़े हो जायेंगे और कुलपति द्वारा उपाधि प्रदान की जायेगी।
- (11) कुलाधिपति, कुलपति एवं कुलसचिव अपने विशेष रोब पहनेंगे, कार्यपरिषद् एवं विद्या परिषद् के सदस्य विश्वविद्यालय की समुचित शैक्षिक पोषाक पहनेंगे, जिसके वे स्नातक हैं या मास्टर ऑफ आर्ट्स उपाधि के लिए विहित समुचित शैक्षिक पोषाक पहनेंगे।
- (12) कुलाधिपति, कुलपति के कार्यपरिषद् के सदस्य एवं विद्यापरिषद् के सदस्य निर्धारित समय पर हाल में एकत्रित होंगे और शोभायात्रा के रूप में निम्नक्रम में दीक्षांत समारोह पंडाल की ओर चलेंगे।

कुल सचिव
विद्यापरिषद् के सदस्य
कार्यपरिषद् के सदस्य
विद्या शाखाओं के निदेशक
कुलपति
मुख्य अतिथि
कुलाधिपति
ए. डी. सी.

- (13) कुलाधिपति, कुलपति एवं कार्यपरिषद् के सदस्य मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और विद्या परिषद् के सदस्य मंच के सामने इन निकायों हेतु आरक्षित जगह पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे।
- (14) शोभायात्रा के पंडाल में प्रवेश करने पर सभी अभ्यर्थी अपने-अपने स्थान पर तब तक खड़े रहेंगे जब तक कुलाधिपति, कुलपति एवं कार्यपरिषद् के सदस्य अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते।
बन्देमातरम् गीत साधारणतया विश्वविद्यालय की कुछ छात्राओं द्वारा यदि उपलब्ध हों अन्यथा छात्रों द्वारा गाया जायेगा, सभी व्यक्ति खड़े होंगे।
- (15) कुलपति, कुलाधिपति की आज्ञा से यदि वह उपस्थित हों, दीक्षांत समारोह के प्रारम्भ होने की घोषणा करेंगे, जब कुलाधिपति उपस्थित न हों तो कुलपति दीक्षांत समारोह प्रारम्भ होने की घोषणा करेंगे।
- (16) इसके बाद कुलपति कहेंगे :-
" इस दीक्षांत समारोह का आयोजन वर्ष के स्नातकों को उपाधियां प्रदान करने के लिए किया गया है। स्नातक अग्रसर हों। "

कुलपति के इस आदेश के पश्चात् सभी स्नातक अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायेंगे फिर कुलपति कुलाधिपति की आज्ञा से उनको अनुशासनादेश प्रदान करेंगे जो नीचे वर्णित हैं-

कुलपति द्वारा उपदेश के समय अभ्यर्थी खड़े हो जायेंगे तथा प्रत्येक खंड के अन्त में प्रतिजाने कहकर प्रत्युत्तर देंगे-

कुलपति

अहं त्वामेवमुपदिशामि ।
सत्यं वद । धर्मं चर ।
स्वाध्यायान्मा प्रमदः ।
आचार्याय प्रियं धमनाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः

विद्यार्थी

प्रतिजाने ।

कुलपतिः

सत्यान्न प्रमदितव्यम् ।
धर्मान्न प्रमदितव्यम् ।
कुशलान्न प्रमदितव्यम् ।
भृत्यै न प्रमदितव्यम्
स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ।

विद्यार्थीः

प्रतिजाने ।

कुलपतिः

देवपितृकार्याभ्यो न प्रमदितव्यम् ।
मातृदेवो भव ।
पितृदेवो भव ।
आचार्यदेवो भव ।
अतिथिदेवो भव ।
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि ।
यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि नो इतराणि ।

विद्यार्थीः

प्रतिजाने ।

कुलपतिः

येके चास्मच्छेयांसो ब्राह्मणाः तेषां
त्वयासने प्रश्वसितव्यम् ।
श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया न देयम् ।
श्रिया देयम् । ह्रया देयम् ।
सविदा देवम् ।

विद्यार्थीः

प्रतिजाने ।

कुलपतिः

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा बृत्तविचिकित्सा वा
स्यात् । ये तत्र ब्राह्मणाः समर्शिनः युक्ता आयुक्ता
अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते ह वर्तन्त तथा तत्र
वर्तथा । अथान्वाख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः समर्शिनः,
युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु
वर्तन्त तथा तेषु वर्तथा ।

अध्ययन की समाप्ति पर तुम लोगों के लिए मेरा यह उपदेश है ।

सत्य बोलो । धर्म का आचरण करो ।

स्वाध्याय में प्रमाद न करो ।

अपने आचार्य की सेवा में अभीष्ट धन अर्पित करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते
हुए संतान परंपरा को उछिन्न न करो ।

हम प्रतिज्ञा करते हैं ।

सत्य में प्रमाद न करो ।

धर्म में प्रमाद न करो ।

कुशल व्यय में प्रमाद न करो ।

ऐश्वर्य कार्य में प्रमाद न करो ।

स्वाध्याय एवं प्रवचन में प्रमाद न करो ।

हम प्रतिज्ञा करते हैं ।

देव और पितरों के कार्य में प्रमाद न करो ।

माता को देवता समझो ।

पिता को देवता समझो ।

आचार्य को देवता समझो ।

अतिथि को देवता समझो ।

जो निर्दोष कर्म हों उन्हें करो, दूसरे कर्मों को नहीं ।

उपासना करनी चाहिए, दूसरे कर्मों पर नहीं ।

हम प्रतिज्ञा करते हैं ।

जो हमारे श्रेष्ठ विद्वान हों, उन्हें आसन देकर अश्वस्त करना चाहिए ।

श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए । ऐश्वर्य के अनुसार देना
चाहिए । लज्जापूर्वक देना चाहिए । भय मानते हुए देना चाहिए ।
मैत्री भाव से देना ।

हम प्रतिज्ञा करते हैं ।

यदि तुम्हें कर्म या आचरण के विषय में संदेह हो, तो समाज में जो
विचारवान कर्मठ संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा विद्वान हो, व उस विषय में जो
व्यवस्था करें, वैसा ही तुम भी करो । इसी प्रकार जिन पर मिथ्या आरोप लगाये
गये हों उनके विषय में भी समाज में जो विचारवान कर्मठ, संवेदनशील,
धर्मनिष्ठ तथा अधिकारी विद्वान हों, वे जैसा उनके साथ व्यवहार करें, वैसा ही
तुम भी करो ।

विद्यार्थी:	हम प्रतिज्ञा करते हैं।
प्रतिजाने।	हम प्रतिज्ञा करते हैं।
कुलपति:	
एष आदेशः। एष उपदेशः।	यह आदेश है यह उपदेश है।
ऐषा वेदोमनिषत्।	यह वेद का रहस्य है।
एतदनुशासनम्। एवमुपासितव्यम् एवम् चैतदुपास्यम्।	यह अनुशासन है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए। ऐसी ही उपासना करनी चाहिए।
शिवास्तेपन्थानस्सन्तु।	आपका मार्ग मंगलमय हो।

(17) तब कुलपति कहेंगे—
“ विभिन्न उपाधियों के लिए अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किया जाय”

(18) कुलसचिव कहेंगे—

“अमुक”, विद्याशाखा के निदेशक से अनुरोध है कि वह श्री को मानक उपाधि के लिए प्रस्तुत करें और प्रशस्ति पत्र पढ़ने के लिए भी उनसे अनुरोध करेंगे।

संबंधित विद्याशाखा के निदेशक अभ्यर्थियों के सम्मान में प्रशस्ति पत्र पढ़ेंगे और कुलाधिपति से मानद उपाधि प्रदान करने हेतु अनुरोध करेंगे।

तब कुलाधिपति निम्न विधि से मानद उपाधि प्रदान करेंगे—

“ उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में निहित प्राधिकार के बल पर मैं श्री को की मानद उपाधि प्रदान करता हूँ।”

(19) डी. लिट्. एवं डी. एस. सी. उपाधियों के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित विद्या शाखा के निदेशक द्वारा व्यक्तिगत रूप से निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जायेगा—

“ श्रीमन् मैं श्री को प्रस्तुत करता हूँ जिनकी परीक्षा ले ली गयी है और मैं डाक्टर ऑफ की उपाधि के लिए उपयुक्त पाया गया, को उपाधि प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ।”

तब कुलपति अभ्यर्थियों की निम्न शब्दों में डी. लिट्. एवं डी.एस.-सी. उपाधि प्रदान करेंगे:

“उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित प्राधिकार के बल पर मैं श्री को इस विश्वविद्यालय की डाक्टर ऑफ की उपाधि प्रदान करता हूँ और आपको जीवन भर इस उपाधि के योग्य सिद्ध होने की प्रेरणा देता हूँ।”

(20) डी.फिल./ (पी-एच.डी.) अथवा एम. फिल. के अभ्यर्थियों को विद्या शाखावार समूहों में संबंधित विद्या शाखा के निदेशकों द्वारा कुलपति के समक्ष निम्न रूप में प्रस्तुत किया जायेगा।

- 1.
- 2.
- 3.

हिन्दी

- 1
- 2
- 1
- 2
- 3

संस्कृत

अंग्रेजी

(और इसी प्रकार आगे)

जिनकी परीक्षा ले ली गयी है और जो डाक्टर ऑफ फिलासफी या एम. फिल. उपाधि के लिए उपयुक्त पाये गये, को मैं उपाधि प्रदान करने का अनुरोध प्रदान करता हूँ।

"उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित प्राधिकार के बल पर मैं आपको इस विश्वविद्यालय की डी. फिल./ उपाधि/ पी.एच.डी. या एम.फिल. उपाधि प्रदान करता हूँ और आपको जीवन भर इस उपाधि के योग्य सिद्ध होने की प्रेरणा देता हूँ।"

(21) कुलपति द्वारा डाक्टर्स की उपाधियाँ प्रदान कर देने के पश्चात् कुलसचिव, अन्य उपाधियों के लिए अभ्यर्थियों को एक साथ एक ही समय में निम्न रीति से प्रस्तुत करेंगे, "श्रीमन् मैं आपके समक्ष

मास्टर ऑफ आर्ट्स
मास्टर ऑफ साइंस
मास्टर ऑफ कामर्स
मास्टर ऑफ एजुकेशन
मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इंफारमेशन साइंस,
(और इसी प्रकार आगे)

की उपाधि के लिए अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ जिनकी परीक्षा ले ली गयी है एवं संबंधित उपाधि के लिए उपयुक्त पाया गया है, को उपाधियाँ प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूँ।"

तब कुलपति अभ्यर्थियों को निम्न शब्दों में मास्टर की उपाधियाँ प्रदान करेंगे—

"उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित प्राधिकार के बल पर, मैं आपको मास्टर की उपाधि प्रदान करता हूँ जिसकी आपने इस विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।"

(22) स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए अभ्यर्थियों को कुलसचिव द्वारा कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा—

" श्रीमन् मैं आपके समक्ष—

.....में डिप्लोमा

.....में डिप्लोमा

.....में डिप्लोमा

.....में डिप्लोमा

.....में डिप्लोमा

.....में डिप्लोमा

के लिए अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ जिनकी परीक्षा ले ली गयी है एवं संबंधित डिप्लोमा के लिए उपयुक्त पाया गया है को उपाधियाँ प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूँ। "

तब कुलपति अभ्यर्थियों को निम्न शब्दों में डिप्लोमा प्रदान करेंगे—

" उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित प्राधिकार के बल पर मैं आपको डिप्लोमा प्रदान करता हूँ जिसकी आपने इस विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। "

(23) अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के उपरान्त कुलपति द्वारा अभ्यर्थियों को स्नातक उपाधि प्रदान की जाएगी और वह कहेंगे—

" अभ्यर्थी जिन्हें की स्नातक की उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया है खड़े हो जायें। "

बी० ए०

बी० एस० सी०

बी० काम०

बी० एड०

बी० लिब० एण्ड आई० एस० सी०

बी०टी०एस०

फिर कुलपति अभ्यर्थियों को निम्न शब्दों में उपाधि प्रदान करेंगे—

‘उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में विहित प्राधिकार के बल पर मैं आपको इस विश्वविद्यालय की
..... उपाधि प्रदान करता हूँ और आपको जीवन भर इस उपाधि के योग्य होने की प्रेरणा देता हूँ’।

- (24) उपाधि प्रदान करने के पश्चात् विश्वविद्यालय के पदक एवं पुरस्कार विजेताओं के नाम व्यक्तिगत रूप से कुलसचिव द्वारा पुकारे जायेंगे और अभ्यर्थी कुलाधिपति के समक्ष खड़े होंगे, जो उन्हें पदक, पुरस्कार एवं ट्राफी प्रदान करेंगे।
- (25) समस्त अभ्यर्थियों को उपाधियाँ, पदक एवं ट्राफीज प्रदान करने के पश्चात् कुलपति विश्वविद्यालय की गत वर्ष की समीक्षा रिपोर्ट पढ़ेंगे।
- (26) कुलाधिपति मुख्य अतिथि का परिचय करायेंगे और उनसे दीक्षान्त भाषण देने के लिए अनुरोध करेंगे।
- (28) इसके पश्चात् कुलपति, कुलाधिपति की आज्ञा से यदि वह उपस्थित हों, दीक्षान्त समारोह के समापन की घोषणा करेंगे।
- (29) विश्वविद्यालय की कुछ छात्राओं द्वारा यदि उपलब्ध हों अन्यथा छात्रों द्वारा राष्ट्रगान ‘जनगणमन’ होगा।
- (30) इसके पश्चात् शोभा यात्रा दीक्षान्त समारोह पंडाल से निम्न विपरीत क्रम में प्रस्थान करेगी, सभी स्नातक खड़े हो जायेंगे—

ए० डी० सी०

कुलाधिपति

मुख्य अतिथि

कुलपति

विद्या शाखाओं के निदेशक

कार्यपरिषद् के सदस्य

विद्यापरिषद् के सदस्य

कुल सचिव

आज्ञा से,

राधिका झा,

अपर सचिव

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 14-11-2009, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 11 शिक्षा/595-30-11-2009-100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।



2. संगठन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य:—

विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी हैं:—

1. कुलाधिपति की शक्तियाँ— परिनियम की धारा 3

- 3.(1) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर, जो उन्हें धारा 40 के अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिसे वह आवश्यक समझे, मांग सकते हैं, और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं और ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं, जिसे वह उचित समझें।
- (2) निम्नलिखित किन्हीं परिस्थितियों में कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिए, जैसा वह विनिर्दिष्ट करें, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेंगे—
- (क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुल सचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जायेगी,
- (ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे परिनियम 3 के खण्ड (1) से खण्ड (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो,
- (ग) किसी अन्य आपात स्थिति में,
- परन्तु यह कि कुलाधिपति इस परिनियम के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय-समय पर बढ़ा सकेंगे, किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि, जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है, एक वर्ष से अधिक न हो।
- (3) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जानबूझकर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।
- (4) परिनियम 2 के खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाये,

- (क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे वह परिलब्धियां प्राप्त होती रहेगी, जिनके लिए वह अन्यथा, परिनियम 4 के खण्ड (8) के अधीन हकदार था।
- (ख) कुलपति के पद के कृत्यों का निर्वहन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

2. कुलपति – परिनियम की धारा 4

- 4(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा परिनियम 3 के खण्ड (2) या परिनियम 4 के खण्ड (5) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम परिनियम 4 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों।
- (2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी, अर्थात्:—
- (क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य,
- (ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रख्यात शिक्षाविदः
- (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव, जो सदस्य संयोजक होगा।
- (3) परिनियम 4 के अधीन, पदावधि की समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाए, ऐसी तारीख के पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय ऐसे व्यक्तियों में से, जिनकी संस्तुति की गयी है, प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी, किन्तु वह उनमें कोई अधिमान कम उपदर्शित नहीं करेगी।
- (4) जहां कुलाधिपति ऐसे व्यक्तियों में से, जिनकी संस्तुति की गयी है या जिनकी समिति द्वारा सिफारिश की गयी है, किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझते हैं, अथवा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गयी है उनमें से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो कुलाधिपति समिति से, परिनियमों के अनुसार, नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।
- (5) यदि समिति परिनियम 4 के खण्ड (3) या परिनियम 4 के खण्ड (4) में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में

असमर्थ है, या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नामों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं, तो कुलाधिपति शिक्षा-क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्ति करेगा, जो परिनियम 4 के खण्ड (3) के अनुसार नाम प्रस्तुत करेगी।

- (6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थीं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसके संबंध में बाद में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।
- (7) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा,

परन्तु यह कि कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा कुलपति किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपने पद पर नहीं बना रहेगा।

- (8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।
- (9) कुलपति अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा;

परन्तु यह कि जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाये तो उसे उस भविष्य निधि में जिसका वह अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा, जिस सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा है।

- (10) जब तक कि कोई कुलपति परिनियमावली के अधीन अपने पद का कार्यभार न संभाल ले, तब तक विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।
- (11) कुलपति—
- (क) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की बैठकों और विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा,
- (ख) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि ऐसी परीक्षाओं का

परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र समुचित दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

- (12) कुलपति धारा 16 के अधीन यथा उल्लिखित विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।
- (13) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु उसे इस परिनियम के अधीन मत देने का हकदार नहीं होगा।
- (14) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 10 तथा 40 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो उस निमित्त आवश्यक हों।
- (15) कुलपति को कार्य परिषद् योजना बोर्ड, विद्यापरिषद् वित्त-समिति तथा सभी अन्य साविधिक समितियों की बैठकें बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी।
- (16) जहाँ विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन राशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना तत्काल कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण प्रक्रिया में मामले के संबंध में कार्यवाही करते ;

परन्तु यह कि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा;

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी शीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित के रूप में प्रभावी होगी। किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तरण से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

परन्तु अग्रत्तर यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस परिनियमावली के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के उस तारीख से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के अन्दर कार्यपरिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त

कार्यपरिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्टि या उपांतरित कर सकेगी या उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगी।

- (17) परिनियम 4 के खण्ड (6) में किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में न की गयी हो।
- (18) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जाये।
- (19) कुलपति,—
 - (एक) अनुदेशकों, पाठ्यक्रम लेखकों, पटकथा लेखकों, काउन्सलरों, परामर्शदाताओं, प्रोग्रामरों, कलाकारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझा जाये,
 - (दो) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक समझे जायें, और अध्यादेशों में अधिकथित प्रक्रिया अनुसार चयनित हो, एक समय में छः मास से अनधिक की अवधि के लिए अल्पकालिक नियुक्तियां कर सकता है;
 - (तीन) समय-समय पर यथाअपेक्षित रूप से विभिन्न स्थानों पर अध्ययन केन्द्रों और प्रोग्राम केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण करेगा और विश्वविद्यालय अपने किसी कर्मचारी को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा जो उक्त केन्द्रों के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझी जायें;
 - (चार) विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और प्रशासकों की समिति या समितियां गठित करेगा, जो कि विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक हों।

3. निदेशक— परिनियम की धारा 5

- 5(1) निदेशक, प्रत्येक विद्या शाखा से वरिष्ठता के आधार पर आचार्यों में से चक्रानुक्रम के अनुसार कुलपति द्वारा अधिकतम 3 वर्षों हेतु अथवा अधिवर्षता पूर्ण होने जो भी पहले हो तक नियुक्त किये जायेंगे। निदेशक विद्या शाखा के अन्तर्गत समस्त विभागों/विषयों में अकादमिक कार्यों में समन्वय स्थापित करेंगे।
- (2) निदेशकों की सेवा की अन्य शर्तें एवं वेतन परिलब्धियां इत्यादि ऐसी होंगी जैसी कि विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग के लिए विहित हैं।

4. कुलसचिव— परिनियम की धारा 6

- 6(1) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की जायेगी। कुलसचिव के नियंत्रणाधीन उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव भी अन्य राज्य विश्वविद्यालय की तरह ही राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे :

परन्तु यह कि यदि किन्ही कारणों से लोक सेवा आयोग कुलसचिव की नियुक्ति करने में असमर्थ रहता है अथवा यह पद रिक्त रहता है तो कुलपति राज्य सरकार से परामर्श कर विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त कर सकेगा या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त करने का निर्देश ले सकेगा।

- (2) कुलसचिव की परिलक्षियां ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
- (3) कुलसचिव की सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) के अधीन बनाई गयी उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।
- (4) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। कुलसचिव, कार्य-परिषद् योजना बोर्ड, विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गठित प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह मत देने का हकदार न होगा।
- (5) कुलसचिव को अधिनियम और परिनियमावली में यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जाएगा और न ही वह स्वीकार करेगा।
- (6) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुलसचिव का अनुशासनिक नियंत्रण निम्नलिखित के सिवाय विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों पर होगा:-
 - (क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण ;
 - (ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या पारिश्रमिक वाले कोई पद धारण कर रहे हों या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अंतरीक्षक (इनविजिलेटर) हों,
 - (ग) पुस्तकालयाध्यक्ष ;
- (7) परिनियम 6 के खण्ड (6) में निर्दिष्ट अनुशासनिक नियंत्रण से सम्बन्धित किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तागील

किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, परिनियम 18 के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को कुल सचिव के माध्यम से अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

- (8) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगा:—
- (क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य-परिषद् द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो,
- (ख) विभिन्न प्राधिकारियों की बैठक से संबंधित प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिए समस्त सूचनायें जारी करना और ऐसे समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखना;
- (ग) कार्य-परिषद्, विद्या-परिषद्, योजना बोर्ड और मान्यता बोर्ड का सरकारी पत्राचार;
- (घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना, जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो;
- (ङ.) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनाम पर हस्ताक्षर करना अभिवचनों का सत्यापन करना।

5. वित्त अधिकारी— परिनियम की धारा 7

- 7(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा। वित्त अधिकारी की नियुक्ति वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों में से की जायेगी। उसकी परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, राज्य सरकार के वित्त एवं लेखा सेवा के लेखाधिकारियों पर लागू नियमों और आदेशों द्वारा शासित होगी। वित्त अधिकारी को संदेय परिलब्धियों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
- (2) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा, नाम-निर्दिष्ट किसी एक विद्या-शाखा निदेशक द्वारा किया जायेगा और यदि किसी कारण ऐसा करना साध्य न हो तो कुल सचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जायें।
- (3) वित्त अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे:—
- (क) कार्य परिषद् में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

- (ख) विश्वविद्यालयों के क्रिया-कलापों से संबंधित ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करना, ऐसी सूचना को प्रस्तुत करना, जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक हों;
- (ग) कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण;
- (घ) यह सुनिश्चित करना, कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय, जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाए;
- (ङ) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जिससे अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो;
- (च) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाए और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;
- (छ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है;
- (ज) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना;
- (झ) किसी वित्तीय मामले में स्वतः या अपेक्षित होने पर उसका परामर्श देना ;
- (ञ) नकदी तथा बैंक में जमा राशि तथा विनिधान की स्थिति पर लगातार निगरानी रखना;
- (ट) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का संवितरण करना और उसके लेखे रखना ;
- (ठ) यह सुनिश्चित करना कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपकरण के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय में उपकरण तथा उपभोग्य अन्य सामग्रियों के भण्डार (स्टॉक) की नियमित जांच की जाती है;
- (ड) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं जांच करना और समक्ष प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देना;
- (ढ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी मांगना, जिसे यह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे;
- (ण) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक लेखा परीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करना, और उन बिलों की पूर्व लेखा परीक्षा करना, जो तत्संबंधी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हों;
- (त) वित्तीय मामलों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन, जो उसे कार्य-परिषद् अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें;

(थ) विश्वविद्यालय के लेखा और लेखा परीक्षा अनुभाग के सहायक कुलसचिव (लेखा), यदि कोई हो, से निम्न स्तर के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखना और उप-कुलसचिव, सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखाधिकारी, यदि कोई हो के कार्य का पर्यवेक्षण करना।

(4) यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के संबंध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाये, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

6. परीक्षा नियंत्रक— परिनियम की धारा 8

(8) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुत व्यक्ति विश्वविद्यालय के उपाचार्य से निम्न पंक्ति का नहीं होगा ;

परन्तु यह कि यदि किन्हीं कारणों से पूर्णकालिक परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति न हो पाने की दशा में कुलपति विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी को तात्कालिक व्यवस्था के रूप में परीक्षा नियंत्रक नियुक्त कर सकेगा।

(1) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायें।

(2) परीक्षा नियंत्रक की सेवा की अन्य शर्तें, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए इस परिनियमावली द्वारा विहित की गयी सेवा की शर्तों द्वारा शासित होंगी।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जायें या कार्य-परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय, या विद्या-शाखा या अध्ययन केन्द्र से कोई सूचना, ऐसे विवरण प्रस्तुत करने या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(4) परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

- (5) कुलपति और परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्संबंधी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तदायी होगा।
- (6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार स्वीकार्य के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

7. ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें

विश्वविद्यालय के लिये शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर पदों की व्यवस्था, जैसा कि परिनियमावली में उल्लिखित है, निम्नवत् हैं:-

8. विश्वविद्यालय के अध्यापक-परिनियम की धारा 20

20 विश्वविद्यालय में अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे:-

- (क) आचार्य,
 (ख) उपाचार्य,
 (ग) प्राध्यापक

21 प्राध्यापक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु प्राध्यापकों/असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

22 उपाचार्य के लिए समय-समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु उपाचार्य/एसोसिएट प्रोफेसर की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

23. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु आचार्यों/प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

24 कुलसचिव वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा तथा प्रवृत्त नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसे अनुमोदन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा।

- 25(1) कुलसचिव, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा कराकर और दो व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों में और रोजगार समाचार में विज्ञापन देकर, रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा।
- (2) आचार्य, उपाचार्य और प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होगी। चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे—
- | | | |
|-----|---|---------|
| (क) | कुलपति | अध्यक्ष |
| (ख) | सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष | सदस्य |
| (ग) | कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ आचार्यों और उपाचार्यों के लिए और एक विशेषज्ञ प्राध्यापक के लिए | सदस्य |
- (3) चयन समिति के कुल सदस्यों के बहुमत से गणपूर्ति होगी, परन्तु, यह कि आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थिति व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ और प्राध्यापक के मामले में एक विशेषज्ञ होना आवश्यक है।
- (4) चयन समिति द्वारा की गयी कोई संस्तुति, तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन के लिए सहमत न हो।
- (5) यदि कार्य-परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को स्वीकार में असमर्थ है तो ऐसी अस्वीकृति के लिए, कारणों को अगिलिखित करते हुए, अंतिम आदेशों के लिए मामले को कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।
- (6) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए, चयन समिति की बैठक कुलपति के आदेशों के अधीन, बुलाई जायेगी।
- (7) साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- (8)(क) चयन समिति, नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थियों की संस्तुत कर सकती है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनके नामों को श्रेष्ठताक्रम में व्यवस्थित करेगी।
- (ख) चयन समिति यह संस्तुति कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायेगा।
- (9) चयन समिति की बैठक साधारणतया विश्वविद्यालय के मुख्यालय में होगी। विशेष परिस्थितियों में, कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, चयन समिति की बैठक अन्यत्र की जा सकती है।
- (10) चयन समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना कम से कम पन्द्रह दिन दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने के तारीख से की जायेगी। नोटिस की तामीली व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।

- (11) अभ्यर्थियों को चयन समिति की बैठक सूचना कम से कम पन्द्रह दिन से पूर्व दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने के तारीख से की जायेगी। सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।
- (12) चयन समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान, अध्यादेशों में विहित दरों पर किया जायेगा।
- 26 परिनियम 4 के खण्ड (19) अधीन, कुलपति में निहित शक्तियों के सिवाय, प्रत्येक अध्यापक इस परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य-परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
- 27(1) प्रत्येक अध्यापक एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
- (2) कार्य-परिषद्, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परीक्षा की अवधि को बढ़ा सकती है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक की अवधि बढ़ायी जाय:
- परन्तु यह कि किसी भी परिस्थिति में, परीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी;
- परन्तु यह और कि कार्य-परिषद्, कारणों को अभिलिखित करते हुए, परीक्षा अवधि की शर्तों को छोड़ सकती है;
- परन्तु यह और भी कि यदि किसी मामले में कार्य-परिषद् कोई कार्यवाही करने में विफल रहती है, तो अध्यापक, परीक्षा की अवधि के पश्चात्, स्थायी समझा जायेगा।
- (3) (क) परीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परीक्षा अवधि या कार्य-परिषद् द्वारा बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा।
- (ख) कुलसचिव कार्य-परिषद् के समक्ष स्थायीकरण के लिए अध्यापकों की सूची, उनकी परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत करेगा।
- (ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय:
- (4) कोई अध्यापक, लिखित रूप में, उचित माध्यम से, कार्य-परिषद् को तीन मास की सूचना देते हुए किसी भी समय त्याग-पत्र दे सकता है;
- परन्तु, यह कि कार्य-परिषद् अपने विवेक से सूचना अवधि की बाध्यता को समाप्त कर सकती है।
- (5) विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों का वेतन और भत्ता वहीं होंगे, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।
- (6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक से, परिशिष्ट 'क' में दिये गये प्रपत्र में, एक लिखित सविदा पर, हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी।

- (7) विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता का पालन करेगा।
- (8) परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन, परिनियम 27 के खण्ड (9) उपखण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत अवचार समझा जायेगा।
- (9) अध्यापक को निम्नलिखित कारणों से, पदच्युत या उसके पद से हटाया जा सकता है:-
- (क) कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा,
- (ख) अवचार,
- (ग) सेवा संविदा की किसी शर्तों का उल्लंघन,
- (घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में बेईमानी,
- (ङ) अपवादजनक आवरण या नैतिक दृष्टि से अघम अपराध के लिए दोषसिद्ध;
- (च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता ;
- (छ) अक्षमता;
- (ज) पद की समाप्ति।
- (10) परिनियम 27 के खण्ड (4) में की गयी व्यवस्था के सिवाय, कम से कम तीन मास का नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दिया जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो इनमें भी अवधि अधिक हो) दिया जायेगा या नोटिस के बदले में, तीन मास (या ऐसी उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया जायेगा;

परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय खण्ड (9) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करें या हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करें या कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी किसी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करें, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी;

परन्तु यह और कि दोनों पक्षकार परस्पर समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

- (11) परिनियम 27 के खण्ड (7) में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा, नियुक्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए कुलसचिव के यहां सुरक्षित रखी जायेगी।
- (12) परिनियम 27 के खण्ड (9) में उल्लिखित किसी कारण से, विश्वविद्यालय के किसी प्राध्यापकों को पदच्युत करने या उसको सेवा से हटाने का कोई आदेश (सिवाय ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित हो, सिद्ध दोष होने पर पद समाप्त किये जाने की स्थिति में) तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक

उसके विरुद्ध आरोप न लगाया गया हो और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, उसके विवरण सहित उसकी सूचना उसे न दे दी जाय, और उसको—

- (क) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का,
- (ख) व्यक्तिगत सुनवाई का यदि वह ऐसा चाहे,
- (ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय:

परन्तु कार्य-परिषद् या जांच करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

- (13) कार्य-परिषद् किसी समय, जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर, संबंधित अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या पद से हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें पदच्युत करने, पद से हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।
- (14) प्रस्ताव की सूचना सम्बंधित अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी।
- (15) कार्य-परिषद्, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने के बजाय, तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन कम करके या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धियां रोक कर या अध्यापक को उसके निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन से वंचित कर अपेक्षाकृत हल्का दंड देने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।
- (16) यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जांच चल रही है या जांच प्रारम्भ करने का विचार हो तो परिनियम 18 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम 27 के खण्ड (9) के उपखण्ड (क) से (ड.) तक में उल्लिखित आधारों पर निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती है यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश पारित किया जाय कि अध्यापक के विरुद्ध जांच करने का विचार है तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त हो जायेगा, जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय, जिनके बारे में जांच कराने का विचार था।
- (17) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को—
 - (क) यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध की स्थिति में, उसे 48 घंटे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाये और उसे इस प्रकार दोषसिद्धि के परिणाम स्वरूप परन्तु पदच्युत या सेवा से हटाया न जाये तो उसकी दोषसिद्धि के दिनांक से,

(ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाये, चाहे निरोध किसी अपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि तक के लिए, निलम्बित समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण— ऊपर निर्दिष्ट 48 घंटे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ होने से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की सविराम अवधि पर भी, यदि कोई हो, विचार किया जायेगा।

(18) जहां विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने का या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप या अन्यथा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरुद्ध अग्रतर जांच करे का विनिश्चय करें, वहां यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने के ठीक पूर्व निलम्बित था, तो यह समझा जायेगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युत या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और दिनांक से प्रवृत्त है।

(19) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि में, समय-समय पर यथासंशोधित, वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-2 के भाग-2 के अध्याय-8 के उपबन्धों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।

(20) परिनियम 27 के खण्ड (12) एवं (13) और खण्ड (16) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में उस अवधि को, जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रवर्तन में हो, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(21) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी कलेण्डर वर्ष में, विश्वविद्यालय में किसी परीक्षा या परीक्षाओं के संबंध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिए, उस विशिष्ट कलेण्डर वर्ष में अपने औसत वेतन का 1/6 या तीस हजार रूपये, इसमें जो भी कम हो, से अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

(22) इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी—

(क) विश्वविद्यालय को कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा।

(ख) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के तारीख के पहले ही विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण कर रहा, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन के तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उस पर नहीं रह जायेगा।

(ग) कार्य-परिषद उन दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी, जिनके दौरान ऐसे अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिए विश्वविद्यालय में उपलब्ध होंगे।

परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायेगा, जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

28(1) विश्वविद्यालय का कोई प्राध्यापक वरिष्ठ वेतन में नियोजन के लिए पात्र होगा। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) को प्राध्यापक (चयन वेतनमान) या उपाचार्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) की श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक पद पर न्यूनतम सेवा की अवधि, पी-एच0डी0 की उपाधि के साथ चार वर्ष, एम0फिल0 की उपाधि के साथ पांच वर्ष अन्य के लिए छः वर्ष होगी और प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य की

श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान के रूप में न्यूनतम सेवा की अवधि, समान रूप से पांच वर्ष होगी।

(2) उपाचार्य और आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता का मानदण्ड पी-एच0डी0 या उसके समकक्ष प्रकाशित कृतियां होगी।

(3) केवल वही उपाचार्य आचार्य के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के लिए पात्र होगा, जिसने उक्त श्रेणी में न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा की हो।

(4) प्राध्यापक (चयन वेतनमान) उपाचार्य और आचार्य के लिए चयन समिति का गठन परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन किया जाएगा ;

परन्तु यह कि उक्त परिनियम 28 के अन्तर्गत कैरियर अभिवर्धन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता एवं समयावधि को लागू किया जायेगा।

29(1) वरिष्ठ वेतनमान में नियोजन ऐसी संवीक्षा समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(क)	कुलपति	अध्यक्ष
(ख)	संबन्धित विद्या-शाखा का निदेशक	सदस्य
(ग)	दो विषय विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा	सदस्य
(घ)	संबन्धित विभागाध्यक्ष	सदस्य

(2) वरिष्ठ वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;

(3) चयन वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;

- (4) उपाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;
- (5) उपाचार्य के रूप में पदोन्नति एक ऐसी चयन समिति की चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी, जिसका गठन परिनियम 25 के खण्ड(2) के उपबन्ध के अनुसार किया जाएगा।
- (6) आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;
- (7) परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन कैरियर अभिवर्धन/ पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति परिनियमावली के अधीन उसके समक्ष रखे जाने वाली सभी सुसंगत सामग्री और अभिलेखों पर विचार करेगी।
- (8) संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियां कार्य-परिषद् को विनिश्चय के लिए प्रस्तुत की जाएगी। यदि कार्य-परिषद्, संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों से सहमत न हो तो कार्य-परिषद् ऐसी असहमति के कारणों के साथ, मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा। यदि कार्य-परिषद् संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों पर, ऐसी समिति के अधिवेशन के दिनांक से चार माह की अवधि के अन्दर कोई निर्णय नहीं लेती है तो भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट हुआ समझा जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
- (9) यदि कोई पदधारी प्राध्यापक, वरिष्ठ वेतनमान/प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य (पदोन्नति) हेतु सम्यक् रूपेण गठित संवीक्षा/चयन समिति द्वारा प्रथमतः उपयुक्त पाया जाता है और तदनुसार अगले वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान/उपाचार्य/आचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए उसकी सिफारिश की जाती है, तो उसे उच्चतर वेतनमान अर्हता के तारीख से अनुमन्य होगा, परन्तु उसे पदनाम (यदि कोई हो) कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से दिया जायेगा।
- (10) यदि पदधारी, प्रथमतः परिनियम 29 के खण्ड (9) के अधीन उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो वह प्रत्येक एक वर्ष के बाद ऐसी पदोन्नति हेतु अपने को पुनः प्रस्तुत कर सकता है और उस पर वह संवीक्षा/चयन समिति द्वारा ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जायेगा, जो उस समय तक पात्र हो चुके हैं। यदि उसकी द्वितीय या पश्चातवर्ती प्रयासों में पदोन्नति के लिए संस्तुत किया जाती है, तो उसे यथास्थिति प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान/प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य (पदोन्नति)/आचार्य (पदोन्नत) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से वेतनमान और पदनाम प्रदान किया जायेगा।

- (11) उपाचार्य या आचार्य के ऐसे पदों को, जिस पर पदोन्नति की गयी हो, पदधारी की सेवानिवृत्ति तक, यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के संवर्ग में उतने पदों को वृद्धि समझी जाएगी और उसके पश्चात् पद अपने मौलिक रूप में प्रतिवर्तित हो जाएंगे।
 - (12) वर्तमान परिनियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व, सीधी भर्ती द्वारा या व्यक्तिगत पदोन्नति द्वारा या कैरियर अभिवर्धन द्वारा शिक्षण पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए सम्यक् रूप से गठित चयन समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के, किसी भी चयन पर वर्तमान परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके पास उस समय यथा विहित न्यूनतम अपेक्षित योग्यता रही हो।
 - (13) संवीक्षा/चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से समिति की गणपूर्ति होगी परन्तु अध्यक्ष और कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होगी।
 - (14) संवीक्षा/चयन समिति द्वारा की गयी किसी संस्तुति को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ चयन से सहमत न हो।
 - (15) चयन समिति के सदस्यों को बैठक से पहले कम से कम 15 दिन से नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषण की तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।
 - (16) अग्यर्थियों को, चयन समिति के बैठक से पहले, कम से कम 15 दिन की नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषण होने के तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।
 - (17) ऐसे प्राध्यापकों का कार्यभार, जिन्हें कैरियर अभिवर्धन स्कीम के अधीन चयन वेतनमान या उपाचार्य पदोन्नत या आचार्य पदोन्नत पद पर नियोजित किया गया है, अपरिवर्तित रहेगा।
- 30(1) इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व से विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इसके पश्चात् आये परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के संबंध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे।
 - (3) विद्या-शाखा के निदेशकों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विद्या-शाखा के निदेशक के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा; परन्तु जब दो या इससे अधिक निदेशकों का उक्त पद पर सेवाकाल समान अवधि का हो, तो आयु में ज्येष्ठ निदेशक को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।
 - (4) विद्या-शाखा के विभागाध्यक्षों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण, उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा:

परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों, तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

31(1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा:-

- (क) किसी आचार्य को प्रत्येक उपाचार्य के ज्येष्ठ समझा जायेगा, और किसी उपाचार्य को प्रत्येक प्राध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायेगा;
- (ख) एक ही संवर्ग में पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता, ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी;

परन्तु, यह कि जहां सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियां एक ही समय में की गयी हों, और यथास्थिति, चयन समिति या कार्य-परिषद् द्वारा अधिमान्यता या योग्यता का कम इंगित किया गया हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित कम द्वारा नियंत्रित होगी;

परन्तु यह और कि जहां एक से अधिक नियुक्तियां एक ही बार में पदोन्नति द्वारा की गयी हों, वहां इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वहीं होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धारित पद पर थी।

(ग) यदि (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय के किसी संस्थान में चाहे वह उत्तराखण्ड या उत्तराखण्ड से बाहर स्थित हो, मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक, विश्वविद्यालय में तत्स्थानी पद या श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाये, तो अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उक्त श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा।

(घ) यदि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक चाहे इस परिनिर्णयमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त किया जाये तो अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा अवधि की आधी अवधि को उसकी सेवा-अवधि में सम्मिलित किया जायेगा।

(2) जहां एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत् सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहां ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जाएगी:-

- (क) आचार्यों के मामले में, उपाचार्य के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;

- (ख) उपाचार्यों के मामले में, प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;
- (ग) उन आचार्यों की स्थिति में, जिनकी उपाचार्य के रूप में भी सेवा अवधि उतनी ही हो तो प्राध्यापक के रूप में उनकी सेवा अवधि पर विचार किया जायेगा।
- (3) जहाँ एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है तो ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता, आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी।
- (4) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्य परिषद्—
- (क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हों, और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय, ऐसे अध्यापकों का योग्यता क्रम अवधारित करेगी;
- (ख) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हों और परिनियम 25 के उपखण्ड (5) के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करे तो कुलाधिपति उन मामलों में, जहाँ एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तर्ग्रस्त हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता क्रम अवधारित करेगा।
- (5) ऐसे योग्यताक्रम की जिसमें खण्ड (4) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जायं, सूचना संबंधित अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी।
- (6) कुलपति समय-समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे। जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में स्वयं कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो विद्या-शाखाओं के निदेशक होंगे;
- परन्तु यह है कि ऐसे विद्या-शाखा का निदेशक, जिसके अध्यापक की वरिष्ठता विवादित हो, उपर्युक्त ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा;
- परन्तु यह और कि यदि निदेशक, नियुक्त न होने के कारण या पदों का सृजन न होने के कारण, उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय से या उससे बाहर से दो आचार्यों को नाम-निर्दिष्ट कर सकता है।
- (7) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद, ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारणों को उल्लिखित करते हुए, उसे विनिश्चित करेगी।
- (8) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के अंदर कार्य परिषद् को अपील कर सकता

है। यदि कार्यपरिषद समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी।

- 32(1) आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी जो एक मास में सात दिन अथवा एक सत्र से चौदह दिन से अधिक नहीं होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलायी नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलप्रति उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को त्याग सकता है।
- (2) एक सत्र में दस कार्य-दिवस तक की विशेषाधिकार छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी, और यह 60 कार्य दिवस तक संचित की जा सकती है।
- (3) विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के, जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो या जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालित करने के लिए 15 कार्य दिवस तक की कर्तव्य (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी।
- (4) किसी एक सत्र में एक मास के लिए दीर्घ कालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी, और जो बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन या निवृत्तिक पूर्वता के लिए दी जा सकती है:

परन्तु, यह कि लम्बी बीमारी की स्थिति में छुट्टी, कार्य परिषद के विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है। ऐसी छुट्टी, लम्बी बीमारी को छोड़कर, केवल पांच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकती है,

परन्तु यह और कि ऐसे अध्यापकों को, जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय या किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण अथवा के लिए चयन किया जाता है तो उन्हें अध्येतावृत्ति, शिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, छुट्टी दी जा सकती है।

- (5) असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें कार्य परिषद उचित समझे, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दी जा सकती है, किन्तु परिनिधम 28 के खण्ड (22) में उल्लिखित परिस्थितियों के सिवाय, यह विशेष परिस्थितियों के अधीन दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।

स्पष्टीकरण: (1) अध्यापक जो कोई स्थायी पद धारण करता हो या जो निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य

कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति से, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय-मान में अपनी वेतनवृद्धि के लिए गणना किये जाने का हकदार होगा :

परन्तु यह कि उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों को सम्मिलित किया जा सकेगा—

- (क) संबंधित शिक्षक उच्चतर अध्ययन के लिए प्रदेश में या प्रदेश से बाहर जा रहा हो, जिसके लिए विश्वविद्यालय की कार्य परिषद एवं शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो। यदि पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है, तो ऐसा अवकाश देय नहीं होगा।
- (ख) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन का आशय अन्यत्र सेवा करना नहीं है। (सामान्यतः शिक्षक उच्चतर वेतनमान में सेवारत होने के उपरान्त एक या दो शोध पत्र सेमिनार आदि में प्रस्तुत करते हैं, जिसे वे उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन मानते हैं।)
- (ग) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन पूर्णतः वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन होगा चाहिए। यह अवकाश स्वीकृत करने के लिए आशय नहीं होनी चाहिए।
- (घ) यदि कोई अभ्यर्थी विदेश में उच्च वेतनमान में सेवा आदि करता है, साथ ही एक या दो शोध पत्र अथवा पुस्तक भी लिखता है, तो यह उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन नहीं समझा जायेगा।
- (2) राज्य सरकार की सहमति कोई अध्यापक, जो अस्थायी पद धारण करता हो, और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गयी हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर, फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से भाग 4 के मूल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समयमान में ऐसी अवस्था पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह छुट्टी पर न गया होता, परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत की गयी थी, लोकहित में रहा हो।
- (6) अध्यापिकाओं को पूर्ण वेतन सहित 135 दिनों की अवधि तक प्रसूति छुट्टी दी जा सकेगी:
परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका को अस्थायी सेवा सहित, यदि कोई हो, सम्पूर्ण सेवा अवधि में दो बार से अधिक नहीं दी जायेगी।
- (7) छुट्टी अधिकार स्वरूप नहीं मांगी जा सकती है। तात्कालिक की आवश्यकता को देखते हुए, स्वीकर्ता अधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है और पहले से स्वीकृत की गयी छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।
- (8) किसी पंजीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी या लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।

यदि ऐसी छुट्टी 14 दिनों से अधिक हो तो कुलपति ऐसे रजिस्ट्रीकृत विकित्सक का, जो उसके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण पत्र मांगने के लिए सक्षम होगा।

(9) दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर, जो कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायेगी, के सिवाय, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी कुलपति होगा।

33(1) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी :

परन्तु, यह कि यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून को न हो तो वह अध्यापक शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति की तारीख ऐसे अध्यापक के साठवें जन्म तारीख के ठीक पूर्व की तारीख होगी।

34(1) इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा, अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार और परिशिष्ट 'क' और परिशिष्ट 'ख' में दिये प्रपत्र की शर्तों के अनुसार उपांतरित समझी जायेगी।

(2) परिनियम 27 के खण्ड (9) के प्रस्तर (ख), (ग), (घ), (ङ) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।

(4) कुलपति को प्रस्तुत करने से पूर्व मूल रिपोर्ट, निदेशक से भिन्न अध्यापक की दशा में संबंधित निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जायेगी।

(5) किसी शिक्षा सत्र के संबंध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के अन्दर, इनमें जो भी बाद में हो, दी जायेगी।

(6) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के संबंध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

- (7) जहां अधिनियम या इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेक्षित हो, और ऐसा अध्यापक मुख्यालय पर न हो, वहां ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक से भेजी जा सकता है।

कर्मचारी वर्ग (अध्यापक से भिन्न) की सेवा के निबन्धन और शर्तें— परिनियम की धारा 35

35(1) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष, का चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् —

(क) कुलपति अध्यक्ष

(ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ जो
कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे सदस्य

(3) जब तक खण्ड (2) के अधीन नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पद का कार्यभार न सम्भाले तब तक कार्य परिषद् ऐसी अवधि, के लिए, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अद्वैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

(4) पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी जैसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जायें।

(5) पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायें।

(6) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवाओं को ऐसी रीति से जो अध्यापन कार्य तथा अनुसंधान कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक को, संगठित करना पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य होगा।

(7) पुस्तकालयाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेगा,
परन्तु यह कि उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरुद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा।

(8) पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी अध्यादेश में अधिकथित की जायें।

(9) अन्य अधिकारियों और शिक्षणोत्तर कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति और सेवा के निबन्धन और शर्तें और आचार संहिता, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा के निबन्धनों और शर्तों और आचार संहिता, जैसा कि अध्यादेश में अधिकथित है, द्वारा शासित होगी।

- (10) खण्ड (9) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारी वर्गों की परिलब्धियां ऐसी होंगी, जैसी समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

3. लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कार्यों के सम्पादन के लिये प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूचना:—

विश्वविद्यालय के लोक प्राधिकारियों तथा उसके कर्मियों द्वारा कार्य सम्पादन विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों के अन्तर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यकतानुसार नये अध्यादेश जारी कर सकता है तथा विनियम भी बना सकता है।

लेखा, भण्डार तथा अन्य कार्यों के लिये समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सरकारी नियमों को आधार माना जाता है।

विश्वविद्यालय के नीतिगत, शैक्षणिक तथा अन्य विषयों पर अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकारियों एवं अन्य समितियों द्वारा विचार कर निर्णय लिया जाता है।

4. लोक प्राधिकारी द्वारा नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये कोई व्यवस्था की गयी हो तो उस संबंध में सूचना:-

विश्वविद्यालय अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार जहाँ शासन अथवा कुलाधिपति द्वारा सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किये जाने की व्यवस्था है, संबंधित द्वारा नामांकन किया जाता है। विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यकलाप में जनता के सदस्यों से परामर्श लेने की अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है।

5. दस्तावेजों, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्राधीन है, श्रेणियों (Categories) के अनुसार विवरण:—

कुलसचिव के नियंत्रणाधीन

1. विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश
2. कार्य परिषद सम्बन्धी सभी दस्तावेज
3. योजना बोर्ड सम्बन्धी सभी दस्तावेज
4. अध्ययन बोर्ड, मान्यता बोर्ड, विद्याशाखा की संस्तुतियों
5. विद्या परिषद सम्बन्धी सभी दस्तावेज
6. नियुक्ति सम्बन्धी सभी दस्तावेज
7. विश्वविद्यालय सम्पत्ति सम्बन्धी सभी अभिलेख
8. न्यायालयों में विश्वविद्यालय द्वारा दायर किये जाने वाले अथवा उसके विरुद्ध दायर होने वाले वादों सम्बन्धी अभिलेख
9. सामान्य प्रशासनिक दस्तावेज
10. अध्ययन केन्द्रों की स्थापना तथा उनसे किये जाने वाले अनुबन्धों सम्बन्धी अभिलेख
11. शासन से प्राप्त आदेशों एवं निर्देशों सम्बन्धी अभिलेख
12. ऐसे अन्य अभिलेख जिनका दायित्व कुलपति अथवा किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो।

वित्त अधिकारी

1. वार्षिक बजट व लेखा सम्बन्धी अभिलेख।
2. लेखा परीक्षा सम्बन्धी अभिलेख।
3. विश्वविद्यालय निधियों के परिवेक्षण सम्बन्धी अभिलेख।
4. नकदी व बैंक में जमा राशि की समीक्षा सम्बन्धी अभिलेख।
5. विश्वविद्यालय के भवन, भूमि, फर्नीचर और अन्य वस्तुओं की जाँच तथा भण्डार के निरीक्षण सम्बन्धी अभिलेख।
6. लेखा सम्बन्धी ऐसे सभी अभिलेख जिनको अभिरक्षित किया जाना वांछनीय हो।
7. ऐसे अन्य अभिलेख जो किसी प्राधिकारी अथवा कुलपति द्वारा निर्देशित किये गये हों।

परीक्षा नियंत्रक

1. परीक्षा संचालन सम्बन्धी सभी अभिलेख यथा उत्तर पुरितकार्ये, प्रश्न पत्र, परीक्षको से पत्र व्यवहार (गोपनीय) परीक्षा केन्द्रों से पत्र व्यवहार तथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यकलाप।
2. परीक्षाफल बनाने तथा घोषित किये जाने सम्बन्धी समस्त अभिलेख।
3. मूल्यांकन सम्बन्धी सभी अभिलेख।
4. परीक्षा समिति सम्बन्धी सभी अभिलेख।
5. ऐसे अन्य अभिलेख जैसा परिनियम, प्राधिकारी, अध्यादेश अथवा कुलपति द्वारा निर्देशित किये जाय।

उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (भण्डार)

1. कुलपति/कुलसचिव/ वित्त अधिकारी द्वारा आवंटित कार्य सम्बन्धी अभिलेख।
2. सहायक कुलसचिव (भण्डार) सम्बन्धी सभी अभिलेखों का अनुरक्षण करेंगे।

निदेशक, विद्याशाखा

1. सम्बन्धित विद्याशाखा सम्बन्धी सभी अभिलेख।
2. विद्याशाखा के अधीन आने वाले अध्ययन बोर्डों से सम्बन्धित सभी अभिलेख।
3. विद्याशाखा से सम्बन्धित विशेषज्ञों की सूची।
4. कार्यपरिषद, विद्या परिषद अथवा योजना बोर्ड द्वारा निर्देशित कार्य सम्बन्धी अभिलेख।

8. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण। साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों कि बैठकें जनता कि लिए खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी:—

विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय में निम्न बोर्ड एवं समितियाँ हैं:—

1. कार्य परिषद— परिनियम की धारा 9

9(1) कार्य-परिषद में निम्नलिखित होंगे:—

- | | | |
|------|--|------------|
| (क) | कुलपति | अध्यक्ष |
| (ख) | परिनियम 13 में उल्लिखित विद्या शाखा से ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो निदेशक: | सदस्य |
| (ग) | ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक आचार्य; | सदस्य |
| (घ) | ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक उपाचार्य; | सदस्य |
| (ङ) | ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक प्राध्यापक; | सदस्य |
| (च) | कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पन्द्रह नामों के पैनल (सूची) में से कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले चार व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं— | |
| (एक) | दो प्रख्यात शिक्षाविद् | सदस्य |
| (दो) | अग्रणी उद्योग से दो व्यक्ति | सदस्य |
| (छ) | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति या उसका नाम-निर्देशिनी जो प्रति उप कुलपति से निम्न पद का न हो: | सदस्य |
| (ज) | राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | पदेन सदस्य |
- (2) कुलपति के सिवाय कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए कार्य-परिषद का सदस्य नहीं रहेगा ;

परन्तु यह कि यदि इस परिनियम में (ख) से (ङ) तक के पदेन सदस्यों में चक्रानुक्रम में चयन के लिए अन्य व्यक्ति उपलब्ध न हो तो ज्येष्ठता क्रम में ही पुनः किसी सदस्य को नियुक्त किया जा सकेगा।

- (3) कार्य-परिषद के सदस्यों की पदावधि का आरम्भ, चयन या नाम-निर्देशन के तिथि से प्रारम्भ होगा।
- (4) कार्य-परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, कार्य-परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा की जाएगी।

- (5) परिनियम 9 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम-निर्देशित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह स्नातक न हों।
- (6) कोई व्यक्ति परिषद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह या उसका संबंधी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल की आपूर्ति करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है।

परन्तु यह कि इस परिनियम की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी हॉल या छात्रावास के अधीक्षक या अभिरक्षक (वार्डन) अथवा कुलानुशासक (प्रॉक्टर) या उप शिक्षक (ट्यूटर) के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा विश्वविद्यालय के संबंध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

पदावधि

- 7) पदेन सदस्यों से गिन्न, कार्य परिषद् के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।
- (8) कार्य-परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्—
- (एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;
- (दो) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से अध्यापकों और शिक्षणेत्तर पदों का सृजन करना ;
- (तीन) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को परिभाषित करना ;
- (चार) यथास्थिति, शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग की नियुक्तियों को अनुमोदित करना ;
- (पांच) शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग की अस्थायी रिक्तियों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना ;
- (छः) अतिथि आचार्यों प्रतिष्ठित (इमेरिटस) आचार्य, कलाकारों और पाठ्यक्रम लेखकों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना और अध्यादेशों में विहित मानदेय के आधार पर ऐसी नियुक्तियों के निबन्धनों और शर्तों को अवधारित करना ;
- (सात) विश्वविद्यालय के ऐसे अतिरिक्त धन को ऐसी प्रतिभूतियों में जैसा वह ठीक समझे या विश्वविद्यालय के विकास के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति की खरीद में निवेश करना:

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन कोई कार्यवाही वित्त-समिति के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं की जायेगी।

- (आठ) अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के अनुसार अध्यापक और शिक्षणोत्तर कर्मचारी वर्ग में अनुशासन को विनियमित और प्रवर्तित करना;
- (नौ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से व्यथित अनुभव करें, शिकायतों का विचार करना, न्यायनिर्णीत करना, और शिकायतों को दूर करना;
- (दस) वित्त समिति के अनुमोदन से पाठ्यक्रम लेखकों, संविदा व्यक्तियों, परीक्षकों और अन्वेषकों को देय पारिश्रमिक, यात्रा एवं अन्य भत्तों को नियत करना;
- (ग्यारह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा के प्रयोग की व्यवस्था करना;
- (बारह) अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति संस्थित करना;
- (तेरह) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना और निरसित करना;
- (चौदह) विश्वविद्यालय के लिए बजट तैयार करना;
- (पन्द्रह) विभिन्न कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों और अन्य विषयों के लिए कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम फीस, परीक्षा फीस और अन्य फीस/प्रभार विहित करना—

2. विद्या परिषद— परिनियम की धारा 10

- 10(1) विद्या-परिषद् में निम्नलिखित होंगे—
- | | |
|---|------------|
| (एक) कुलपति | अध्यक्ष |
| (दो) विद्या-शाखाओं में सभी निदेशकगण | सदस्य |
| (तीन) ज्येष्ठताक्रम में चकानुक्रम में चयनित किये जाने वाले दो आचार्य, दो उपाचार्य और दो प्राध्यापक | सदस्य |
| (चार) पुस्तकालयाध्यक्ष | सदस्य |
| (पांच) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो | सदस्य |
| (छः) ऐसी रीति में, जैसा विद्या-परिषद् उचित समझे, सहयोजित किये जाने वाले शिक्षा के क्षेत्र में पांच व्यक्ति | सदस्य |
| (सात) कुलसचिव | सदस्य/सचिव |
- (2) किसी बैठक की गणपूर्ति विद्या-परिषद् के आठ सदस्यों द्वारा होगी।
- (3) कुलपति के सिवाय, कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए विद्या-परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा।
- (4) कोई भी सदस्य दो से अधिक कमवर्ती पदावधि के लिये नामित नहीं किया जायेगा।

- (5) विद्या-परिषद् की अन्य शक्तियाँ और कृत्य निम्नलिखित होंगे—
- (क) विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और अनुदेश की पद्धतियों या शैक्षणिक मानकों में सुधार के संबंध में निर्देश देना;
- (ख) योजना बोर्ड या विद्या शाखा या कार्य-परिषद् से किसी निर्देश पर या स्वप्रेरणा से सामान्य हित के मामलों पर विचार करना ; और
- (ग) शिक्षा संबंधी सभी विद्या-संबंधी मामलों पर कार्य-परिषद् को परामर्श देना।

3. योजना बोर्ड – परिनियम की धारा 11

11(1) योजना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

- (एक) कुलपति अध्यक्ष;
- (दो) अध्यापकवर्ग में से; ज्येष्ठता क्रम में, कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट चार व्यक्ति;
- (तीन) विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति को विशेषज्ञता के लिए कार्य-परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले पांच व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों—

- (क) वाणिज्यिक प्रबंधन;
- (ख) विद्वतापूर्ण वृत्तियाँ ;
- (ग) विज्ञान/मानविकी/समाज विज्ञान/पर्यावरण;
- (घ) दूरस्थ शिक्षा, और
- (ङ) वाणिज्य तथा उद्योग।

- (2) योजना बोर्ड के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।
- (3) (क) कुलपति और प्रतिकुलपति के सिवाय कोई भी व्यक्ति दो से अधिक क्रमवर्ती अवधि के लिए योजना बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।
- (ख) योजना बोर्ड की बैठक ऐसे अंतराल पर होगी, जैसा वह समीचीन समझे, किन्तु इसकी वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें होगी।
- (ग) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति योजना बोर्ड के छः सदस्यों द्वारा होगी।
- (4) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय हेतु समुचित कार्यक्रम और क्रियाकलापों को अभिकल्पित और तैयार करेगा और विषय पर जिसे वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे, उसे कार्य-परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा, परन्तु यह कि किसी विषय पर शिक्षा-परिषद् और योजना बोर्ड के मध्य मतभेद होने की दशा में उसे कार्य-परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

4. मान्यता बोर्ड – परिनियम की धारा 12

12(1) मान्यता बोर्ड निम्नवत् संरचित होगा—

(एक) कुलपति अध्यक्ष

(दो) प्रत्येक विद्या-शाखा का निदेशक सदस्य

(तीन) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये गये विद्या परिषद् के दो सदस्य सदस्य

(चार) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट योजना बोर्ड का एक सदस्य सदस्य

(पांच) कार्य-परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया कार्य-परिषद् का एक सदस्य सदस्य

(छः) कुलसचिव सदस्य सचिव

(2) मान्यता बोर्ड की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे—

(क) विद्या-परिषद् और कार्य-परिषद् के अनुमोदन से संस्थाओं की मान्यता के लिए मानक निर्धारित करना;

(ख) कुलपति द्वारा उसको निर्दिष्ट किये गये संस्थाओं की मान्यता हेतु आवेदनों का परीक्षण करना और अपनी संस्तुतियों को विद्या-परिषद् को प्रस्तुत करना;

(ग) ऐसी संख्या में, जैसी आवश्यक हो, समितियां नियुक्त करना;

(घ) ऐसे कृत्यों का निष्पादन करना, जो उसे विद्या-परिषद् द्वारा सौंपे जाय।

5. अध्ययन शाखा बोर्ड— परिनियम की धारा 13

13(1) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित विद्या शाखाएँ होंगे, अर्थात्—

(क) मानविकी

(ख) समाज विज्ञान

(ग) प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य

(घ) विज्ञान

(ङ) कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान

(च) भाषा विज्ञान

(छ) पर्यटन, होटल प्रबन्धन एवं खाद्य प्रौद्योगिकी (फूड टेक्नोलाजी)

(ज) ऐसे अन्य पाठ्यक्रम/विद्या शाखा, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाये:

परन्तु यह कि कार्य-परिषद् द्वारा अनुमोदित तिथि से विद्या शाखा कार्य करना आरम्भ करेंगे।

- (2) कार्य-परिषद्, कुलपति की संस्तुति से विद्या शाखा को एक या अधिक विषय सौंप सकती है, जैसा कि कृत्यों के उचित निर्वहन के हित में हो।
- (3) प्रत्येक विद्या शाखा का एक बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित होंगे—
 - (क) विद्या शाखा का निदेशक अध्यक्ष
 - (ख) विद्या शाखा के सभी आचार्य सदस्य
 - (ग) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो उपाचार्य सदस्य
 - (घ) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो प्राध्यापक सदस्य
- (4) कुलपति के सिवाय विद्या शाखा बोर्ड के सदस्यों की अवधि दो वर्ष होगी।
- (5) 3 (क) तथा 3 (ख) के सिवाय, कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए विद्या शाखा बोर्ड का सदस्य नहीं रह सकेगा।
- (6) विद्या शाखा बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—
 - (एक) विद्या शाखा में अनुरांधान कार्यों का संवर्धन,
 - (दो) शैक्षिक परिषद् के निर्देशों के अनुसार विद्या शाखा के शैक्षिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम के ढांचे को अनुमोदित करना,
 - (तीन) कुलपति द्वारा गठित विशेषज्ञ-समिति (समितियों) के परामर्श पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार पाठ्यक्रम का अनुमोदन,
 - (चार) विद्या शाखा को समनुदेशित विद्याओं के आचार्यों के परामर्श से तैयार किये गये विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, अध्ययन केन्द्र में निदेशक के प्रस्ताव पर, पाठ्यक्रम लेखकों, परीक्षकों और अनुसंगकों (मॉडरेटर) के नामों को कुलपति को संस्तुत करना और,
 - (पांच) अन्य विद्या शाखा के सहयोग से पाठ्यक्रम लेखकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
 - (छ:) उप शिक्षकों (ट्यूटर्स) और परामर्शियों के लिए कार्यक्रमों/ पुनश्चर्या/ ग्रीष्म कालीन पाठ्यक्रमों अथवा संगोष्ठियों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
 - (सात) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए सामान्य अनुदेश तैयार करना;
 - (आठ) विद्या शाखा के समनुदेशित विद्याओं के पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सामग्री की तैयारी के लिए अपनायी गयी कार्य-प्रणालियों की समीक्षा करना, शैक्षिक सामग्री का मूल्यांकन करना, और विद्या परिषद् को उपयुक्त संस्तुतियां करना;

- (नौ) पहले से प्रयोग में चल रहे पाठ्यक्रमों का समय-समय पर, यदि आवश्यक हो तो, बाहरी विशेषज्ञों की सहायता से समीक्षा करना और पाठ्यक्रमों में ऐसे परिवर्तन करना, जो अपेक्षित हों;
- (दस) अध्ययन/सम्पर्क/कार्यक्रम केन्द्रों की सुविधाओं और प्रयोगशाला/क्षेत्र कार्य के लिए सुविधाओं की नियत कालिक रूप से, जैसा कि विद्या शाखाओं द्वारा अवधारित किया जाय, समीक्षा करना;
- (ग्यारह) ऐसे समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें, और सभी ऐसे विषयों पर विचार करना जो उसे कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, योजना बोर्ड या कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किये जायें, और
- (बारह) ऐसी सामान्य या विशिष्ट शक्तियों को, जो समय-समय पर विद्या शाखा द्वारा विनिश्चित की जायें, निदेशक बोर्ड के या किसी अन्य सदस्य या किसी समिति को प्रत्यायोजित करना।
- (7) गानविकी विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी:-
- (1) संस्कृत और प्राकृत भाषा
 - (2) हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषाएं
 - (3) अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय भाषाएं
 - (4) दर्शनशास्त्र
 - (5) मनोविज्ञान
 - (6) अर्थशास्त्र
 - (7) प्राच्य विद्या
 - (8) पत्रकारिता एवं जनसंचार
 - (9) उर्दू
 - (10) पुस्तकालय और सूचना विज्ञान
- (8) समाज विज्ञान विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी-
- (1) राजनीति शास्त्र
 - (2) प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विज्ञान
 - (3) मध्ययुगीन और आधुनिक इतिहास
 - (4) समाज विज्ञान
 - (5) समाज कार्य
 - (6) लोक प्रशासन
- (9) प्रबंधन अध्ययन, विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी-
- (1) वाणिज्य

- (2) थ्योर एंड एप्लाइड इकोनोमिक्स (विशुद्ध एवं अनप्रयुक्त अर्थशास्त्र)
- (3) व्यवसाय प्रशासन और व्यवसाय प्रबंधन
- (4) वित्तीय विश्लेषण एवं लेखाशास्त्र
- (10) विज्ञान विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी—
- (क) रसायन
- (ख) भौतिकी
- (ग) गणित
- (घ) वनस्पति
- (ङ) वानिकी
- (च) प्राणि
- (छ) भूगोल
- (11) कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी—
- (क) कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं कम्प्यूटर अभियांत्रिकी
- (ख) सूचना प्रौद्योगिकी
- (12) भाषा विज्ञान
- (13) पर्यटन, आतिथ्य सेवा एवं होटल प्रबंध विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी
- (क) पर्यटन
- (ख) आतिथ्य सेवा, होटल मैनेजमेंट एण्ड खाद्य प्रौद्योगिकी (फूड टेक्नोलॉजी)

6. वित्त समिति – परिनियम की धारा 14

- 14(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे—
- (क) कुलपति अध्यक्ष
- (ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी सदस्य
- (ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव
या उसका नामित अधिकारी सदस्य
- (घ) कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ऐसा व्यक्ति
जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी न हो सदस्य
- (2) वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
- (3) वित्त समिति, कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बंधित विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय

की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद पर बाध्यकर होगी।

- (4) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्य परिषद उस पर कोई निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्यपरिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वो निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपने असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापिस करेगी और यदि कार्यपरिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (5) यदि कार्यपरिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करें, जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, तो कार्य परिषद् वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी।
- (6) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ और तत्पश्चात् कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
- (7) वित्त समिति के सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत न हो तो असहमति टिप्पणी अभिलिखित करने का अधिकार होगा।
- (8) लेखाओं की जांच करने तथा व्यय के प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का प्रति वर्ष कम से कम दो बार बैठक होगी।

7. परीक्षा समिति – परिनियम की धारा 15

15(1) परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे,

(एक) कुलपति	अध्यक्ष
(दो) शैक्षिक शाखाओं के सभी निदेशक	सदस्य
(तीन) शैक्षिक परिषद् का एक सदस्य	सदस्य
(चार) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्य परिषद का एक सदस्य	सदस्य
(पांच) परीक्षा नियंत्रक	सदस्य सचिव

- (2) परिनियम 15(1) के (तीन) एवं (चार) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।
- (3) परीक्षा समिति की बैठकें कुलपति द्वारा, जैसे और जब आवश्यक हो, बुलायी जायेगी।

- (4) परीक्षा समिति विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी, और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्:-
- (क) अध्ययन बोर्ड की सिफारिश पर परीक्षकों तथा अनुसूचितों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;
- (ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और अनुमोदन के लिए उसे विद्या परिषद् को प्रस्तुत करना;
- (ग) शैक्षिक परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम की घोषणा करना;
- (घ) परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए विद्या परिषद् से सिफारिश करना।
- (5) परीक्षा समिति परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से संबंधित मामलों के संबंध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने के लिए उतनी उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी, जितनी वह ठीक समझे।
- (6) इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, परीक्षा समिति या उपसमिति को, जिसे परीक्षा समिति के परिनियम 15 के खण्ड (5) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति प्राधिकृत की हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करने की शक्ति होगी।

8. अध्ययन बोर्ड – परिनियम की धारा 16

- 16(1) एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य प्राधिकारी होंगे—
- (2) प्रत्येक विषय में एक अध्ययन बोर्ड होगा, जिसका गठन, शक्तियां और कृत्य नीचे दिये गये हैं:-
- (एक) अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे—
- (क) अध्ययन बोर्ड के सभी आचार्य;
- (ख) चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता के आधार पर, एक वर्ष के लिए दो उपाचार्य;
- (ग) चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता के आधार पर, एक वर्ष के लिए दो प्राध्यापक;
- (घ) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये छः नामों की नामिका (पैनल) में से विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ।

परन्तु यह कि यदि अध्ययन बोर्ड या विद्या परिषद् विशेषज्ञों के नामों को प्रस्तुत करने में विफल रही है, तो कुलपति तीन विशेषज्ञों को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(दो) अध्ययन बोर्ड को निम्नलिखित कृत्यों के निष्पादन की शक्ति होगी:-

- (क) विषय में प्रदान किये जाने वाले पाठ्यक्रम तैयार कर निर्माण करना और उसे विद्या शाखा के बोर्ड को उसके विचार के लिये सौंपना, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा;
- (ख) अध्ययन केन्द्र के बोर्ड द्वारा यथावांछित पाठ्यक्रम लेखकों, समीक्षकों और विशेषज्ञों की पहचान करना;
- (ग) शिक्षा सत्र के कार्यों के लिये परीक्षकों व अनुसीमकों की नामिका (पैनल) तैयार करना;
- (घ) कुलपति द्वारा अनुमोदित किसी अभिकरण की माध्यम से नामावली या परीक्षा परिणामों की कम्प्यूटरीकृत निर्मिति को प्राधिकृत करना;
- (ङ) ऐसे विषय से संबंधित कोई अन्य मामला, जो कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो;
- (3) अध्ययन बोर्ड की कार्यवाही अध्ययन-शाखा के बोर्ड के माध्यम से विद्या-परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।

9. विशेषज्ञ समितियाँ – परिनियम की धारा 17

- 17(1) कुलपति उतनी संख्या में विशेषज्ञ समितियों का गठन कर सकता है, जितनी वह उचित समझे और विषय विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है, जो अध्ययन बोर्ड के सदस्य न हों।
- (2) इस परिनियमावली के अधीन नियुक्त कोई समिति अध्ययन बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किसी विषय के संबंध में कार्यवाही कर सकती है।
- (3) विशेषज्ञ समिति की कार्यवाही अध्ययन केन्द्रों के बोर्ड के माध्यम से विद्या-परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।

10. अनुशासन समिति – परिनियम की धारा 18

- 18(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उचित समझे, एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी, जिसमें कुलपति और उसके समिति द्वारा या कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे;
परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद् समीचीन समझे तो वह विभिन्न मामलों या विभिन्न श्रेणियों के मामलों पर विचार करने के लिए ऐसी एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।
- (2) ऐसा कोई भी अध्यापक, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला निलम्बित हो, किसी अनुशासनिक समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।
- (3) कार्य परिषद् कोई मामला किसी भी अवस्था में एक अनुशासनिक समिति से किसी दूसरी अनुशासनिक समिति आन्तरित कर सकती है।

- (4) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-
- (क) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी अपील पर विनिश्चय करना;
- (ख) ऐसे मामलों में जांच करना, जिसमें विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकालयाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त हो;
- (ग) उपर्युक्त खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने की संस्तुति करना, जिसके विरुद्ध जांच विचाराधीन हो ;
- (घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसे समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाय।
- (5) समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा।
- (6) अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र कार्य परिषद् के समक्ष रखी जायेगी, जिससे कार्य परिषद् मामले में निर्णय ले सकें।

11. विषय समिति – परिनियम की धारा 19

19(1) विश्वविद्यालय में विद्या शाखा की प्रत्येक इकाई में एक विषय समिति होगी, जो इस परिनियम के अधीन नियुक्त विद्याशाखा के निदेशक की सहायता करेगी।

(2) विषय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) विद्याशाखा का निदेशक अध्यक्ष

(ख) इकाई के समस्त आचार्य सदस्य

परन्तु जहाँ किसी इकाई में, कोई आचार्य न हो, इकाईयों के समस्त उपाचार्य सदस्य

परन्तु यह और कि किसी ऐसी इकाई में, जहाँ आचार्य और उपाचार्य दोनों न हों, वहाँ दो वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के चक्रानुक्रम में दो प्राध्यापक सदस्य

परन्तु यह भी कि किसी ऐसी इकाई में जिसमें उपाचार्य और प्राध्यापक दोनों हों, वहाँ एक प्राध्यापक और दो उपाचार्य और किसी इकाई में जिसमें कोई उपाचार्य न हो, तो वहाँ ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से दो वर्ष की अवधि के लिए दो प्राध्यापक;

परन्तु अग्रत्तर यह कि किसी मामले में विनिर्दिष्ट तथा किसी विषय या विशेषज्ञता के संबंध में, उस विषय या विशेषज्ञता के ज्येष्ठतम अध्यापक को, यदि पहले से पूर्वकथित पूर्ववर्ती शीर्षों में सम्मिलित न हो, मामले के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।

(3) विद्याशाखा बोर्ड के अनुज्ञा के अधीन रहते हुए, विषय समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

- (क) इकाई के अध्यापकों के मध्य अध्यापक कार्य के वितरण के संबंध में संस्तुतियां करना,
- (ख) इकाई के अनुसंधान और अन्य क्रिया-कलापों के समन्वय के संबंध में सुझाव देना,
- (ग) इकाई के सामान्य और शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना।
- (4) समिति की कम से कम तीन माह में एक बार बैठक होगी। समिति की बैठकों का कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

6. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ:-

1. लोक सूचना अधिकारी- श्री डी०के० सिंह, उपकुलसचिव, दूरभाष संख्या- 05946-261123
2. अपीलीय अधिकारी- प्रोफेसर आर०सी० मिश्र, कुलसचिव 05946-261123

7. निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित):—

(अ) प्राधिकारी

समस्त नीतिगत निर्णय— कार्य परिषद—प्रधान कार्यपालक

विद्या परिषद:— विद्या, शिक्षा, शिक्षण व्यवस्था तथा मूल्यांकन आदि के लिए उत्तरदायी।

योजना बोर्ड:— प्रधान योजना निकाय, विश्वविद्यालय के विकास योजना बनाने के लिए उत्तरदायी।

विद्याशाखा:— शिक्षा एवं अनुसंधान ढांचा बनाना तथा उनका क्रियान्वयन

वित्त समिति:— विश्वविद्यालय सम्पत्ति एवं निधियों का प्रशासन, आय—व्ययक बनाना आवर्ती एवं अनावर्ती ऋणों की सीमा तय करना तथा कार्य परिषद को प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

(ब) अन्य समितियां

मान्यता बोर्ड:— अध्ययन केन्द्रों के लिए मानकों का निर्धारण।

अध्ययन केन्द्र:— शिक्षण कार्य सम्पादन करना।

परीक्षा समिति:— परीक्षा संबंधी सभी कार्यों का सम्पादन।

अध्ययन बोर्ड:— पाठ्यक्रमों को तैयार करना।

विशेषज्ञ समिति:— प्रत्येक विषय से संबंधित पाठ्य सामग्री तैयार करना।

अनुशासन समिति:— विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखना तथा आवश्यकतानुसार जाँच सम्पादित करना।

विषय समिति:— इकाई के शिक्षा, अनुसंधान व अन्य सुझाव देना।

(स) अधिकारी वर्ग

(1) कुलाधिपति:— प्रदेश का राज्यपाल:— अधिनियम/परिनियमों में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करना।

(2) कुलपति:— विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक एवं कार्यपालक अधिकारी अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों, विनियमों के प्राविधानों के परिपालन के लिए उत्तरदायी।

- (3) कुलसचिव:—विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा, कार्यपरिषद, योजना बोर्ड, विद्या परिषद, अध्यापकों की वयन समिति का पदेन सचिव तथा उनके समक्ष पूर्ण जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी। अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, कुलपति द्वारा दिये गये अन्य कार्यों का सम्पादन।
- (4) उपकुल सचिव:—कुलसचिव/वित्त नियंत्रक/कुलपति द्वारा दिए गये कार्यों का निस्ताकरण एवं उसके प्रति उत्तरदायी।
- (5) सहायक कुलसचिव:—कुलसचिव/वित्त नियंत्रक/कुलपति द्वारा दिए गये कार्यों का निस्ताकरण एवं उसके प्रति उत्तरदायी तथा अधिष्ठान संबंधी कार्य का निस्तारण।
- (6) सहायक कुलसचिव (क्य):—(अ) वित्त नियंत्रक/कुलसचिव/कुलपति के निर्देशानुसार कार्य निस्तारण।
(ब) क्य तथा वित्तीय नियमों के पालन के प्रति उत्तरदायी।
- (7) निदेशक (विद्याशाखा):— विभागों एवं विषयों के अकादमिक कार्यों का समन्वयन।
- (8) वित्त अधिकारी:— विश्वविद्यालय का बजट बनाना, लेखाओं का प्रस्तुत करना, बजट में प्राविधानित व्यय के अतिरिक्त किसी व्यय की स्वीकृति न करना, अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों के उपबंधों का परिपालन, लेखा संपरीक्षा कराना, विश्वविद्यालय सम्पत्ति तथा विनिधानों का परिक्षण और प्रबन्धन आदि।
- परीक्षा नियंत्रक:— परीक्षा संबंधी अभिलेखों की अभिरक्षा तथा परीक्षा संबंधी सभी कार्यों का सम्पादन करेगा। अधिनियम परिनियम, अध्यादेशों की व्यवस्थाओं का परिपालन/परीक्षा संबंधी सभी अभिलेखों को परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

8. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका:—

1. डा० विनय कुमार पाठक, कुलपति
2. प्रोफेसर आर०सी० मिश्र, कुलसचिव, अतिरिक्त प्रभार
3. श्री डी०के० सिंह, उपकुलसचिव, प्रतिनियुक्ति पर
4. श्री एम०सी० जोशी, सहायक कुलसचिव, प्रतिनियुक्ति पर
5. श्री एम०पी०एस० बिष्ट, सहायक कुलसचिव, प्रतिनियुक्ति पर
6. श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त अधिकारी, प्रतिनियुक्ति पर
7. प्रो० जे०के० जोशी, (पुनर्नियुक्ति पर), निदेशक, शिक्षाशास्त्र एवं स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा
8. प्रो० आर०सी० मिश्र, (प्रतिनियुक्ति पर), निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा एवं होटल मैनेजमेन्ट एवं पर्यटन विद्याशाखा
9. प्रो० एन०पी० सिंह, (पुनर्नियुक्ति पर), निदेशक, कृषि, विज्ञान विद्याशाखा
10. प्रो० अजय रावत, (पुनर्नियुक्ति पर), निदेशक, मानवीकी विद्याशाखा
11. प्रो० एच.पी.शुक्ल, (प्रतिनियुक्ति पर), निदेशक, भाषा विज्ञान विद्याशाखा
12. प्रोफेसर दुर्गेश पन्त, (प्रतिनियुक्ति पर), निदेशक, कम्प्यूटर एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्याशाखा
13. वरिष्ठ परामर्शदाता (1) मासिक मानदेय पर
14. अकादमिक परामर्शदाता (30) मासिक मानदेय पर
15. प्रशासनिक परामर्शदाता (07) मासिक मानदेय पर
16. सहायक परामर्शदाता (19) मासिक मानदेय पर
17. चालक (03) मासिक मानदेय पर
18. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (11) मासिक मानदेय पर

9. अपने प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति:-

नाम	पदनाम	मासिक वेतन/मानदेय (रु०)	वेतन निर्धारण का स्वरूप
डा० विनय कुमार पाठक	कुलपति	108750 / -	नियत वेतन तथा उस पर देय महंगाई भत्ता
प्रोफेसर आर०सी० मिश्र	कुलसचिव	निदेशक पद के विपरीत	-
डा० आर०के० गुप्ता	परीक्षा नियंत्रक	93,687 / -	
श्री डी०के० सिंह	उपकुलसचिव	37,999 / -	वेतनमान के अनुसार
श्री एम०सी० जोशी	सहायक कुलसचिव	33,110 / -	तदैव
श्री एम०पी०एस० बिष्ट	सहायक कुलसचिव	27,271 / -	तदैव
श्री पी.सी. तिवारी	सहायक कुलसचिव	37,160 / -	
श्रीमती आभा गर्खाल	वित्त अधिकारी	48,007 / -	तदैव
प्रो० जे०के० जोशी	निदेशक	12,903 / -	अन्तिम आहरित वेतन - पेन्सन
प्रो० आर०सी० मिश्र	निदेशक	90,160 / -	वेतनमान के अनुसार
प्रो० एन०पी० सिंह	निदेशक	28,870 / -	अन्तिम आहरित वेतन - पेन्सन
प्रो० अजय रावत	निदेशक	29,740 / -	अन्तिम आहरित वेतन - पेन्सन
प्रो० एच.पी. शुक्ल	निदेशक	97,003 / -	वेतनमान के अनुसार
प्रो० दुर्गेश पन्त	निदेशक	84,083 / -	तदैव
-	वरिष्ठ परामर्शदाता	25,000 / -	मासिक मानदेय
-	अकादमिक परामर्शदाता	1	

1. वरिष्ठ परामर्शदाता (1) मासिक मानदेय पर
2. अकादमिक परामर्शदाता (30) मासिक मानदेय पर
3. प्रशासनिक परामर्शदाता (07) मासिक मानदेय पर
4. सहायक परामर्शदाता (19) मासिक मानदेय पर
5. चालक (03) मासिक मानदेय पर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (11) मासिक मानदेय पर

10. प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना सहित)

विश्वविद्यालय में पृथक से कोई ईकाई नहीं है अतः विश्वविद्यालय का आय व्यय जो बिन्दु 11 पर दिया गया है, के अनुसार व्यय स्वीकृत किया जाता है।

11. अनुदान/राज्यसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्मिलित हैं

सरकार एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदानों तथा व्यय का वर्षवार विवरण निम्नवत् है—

(अ) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा व्यय का वर्ष वार विवरण:—

**DETAIL OF GRANT RECEIVED & SPENT FROM
STATE GOVERNMENT FOR THE YEAR 2005-2006 TO 2009-2010**

SL. NO.	FINANCIAL YEAR	AMOUNT RECEIVED	AMOUNT SPENT
1.	2005-2006	1,18,39,000.00	16,20,165.00
2.	2006-2007	2,00,00,000.00	1,84,18,672.00
3.	2007-2008	60,00,000.00	99,13,658.00
4.	2008-2009	NIL	79,54,816.00
5.	2009-2010	88,74,000.00	72,76,795.00

(ब) दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदान तथा व्यय का वर्ष वार विवरण:-

**DETAIL OF GRANT RECEIVED & SPENT FROM
DISTANCE EDUCATION COUNCIL, NEW DELHI**

Sl. No.	FINANCIAL YEAR	AMOUNT RECEIVED	TOTAL AMOUNT	AMOUNT SPENT
1.	2005-2006	25.00 lakh	55.00 lakh	283495.00
2.	2005-2006	5.00 lakh		
3.	2005-2006	25.00 lakh		
4.	2006-2007	3.00 lakh	173.00 lakh	10223413.00
5.	2006-2007	50.00 lakh		
6.	2006-2007	50.00 lakh		
7.	2006-2007	70.00 lakh		
8.	2007-2008	50.00 lakh	53.00 lakh	4299866.00
9.	2007-2008	3.00 lakh		
10.	2008-2009	3.00 lakh	83.00 lakh	5560779.00
11.	2008-2009	80.00 lakh		
12.	2009-2010	250.00 lakh	253.00 lakh	203.85 lakh
13.	2009-2010	3.00 lakh		

Note: In the end of every financial year, the unspent amount of the total grant has to return back to Distance Education Council, New Delhi with interest.

12. रियायतों, अनुज्ञा-पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

उक्त के सम्बन्ध में अधिनियम एवं परिनियम में विश्वविद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है।

13. कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमों में विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं प्राधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्यों का उल्लेख है (अधिनियम एवं परिनियम बिन्दु-2 पर है)। प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी से परिनियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है। इसी प्रकार विभिन्न प्राधिकारियों एवं समितियों को जो भी दायित्व दिये जाते हैं उन्हें अधिनियम एवं परिनियम की व्यवस्था के अनुसार अपनी शक्तियों की सीमा में निर्वहन किये जाने की अपेक्षा होती है।

14. किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के संबंध में ब्यौरे

विश्वविद्यालय की अधिकांश जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में वर्तमान में उपलब्ध जानकारियों निम्नवत् हैं:-

1. विश्वविद्यालय सम्बन्धी सूचना जिसमें प्रस्तावना एवं उद्देश्य उल्लिखित हैं- हिन्दी तथा अंग्रेजी में।
2. विश्वविद्यालय में स्थापित विद्याशाखायें।
3. विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, प्राध्यापक एवं शोध एवं डिजाइन सेल के सम्बन्ध में सूचना- हिन्दी तथा अंग्रेजी में।
4. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश अर्हता, अवधि आदि की सूचना
5. क्षेत्रीय निदेशकों एवं केन्द्रों के सम्बन्ध में सूचना।
6. विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के सम्बन्ध में सूचना जिसमें उन्हें आवंटित पाठ्यक्रम एवं कोर्स आदि उल्लिखित है के सम्बन्ध में सूचना।
7. विश्वविद्यालय का शैक्षिक कलेण्डर।
8. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत विज्ञप्तीयों।
9. विश्वविद्यालय विवरणिका।
10. आवश्यक प्रपत्र।
11. प्रेस कवरेज।
12. फोटो गैलेरी।
13. परीक्षा विषयक सूचना एवं परीक्षाफल।
14. निविदायें।
15. संयुक्त पाठ्यक्रमों तथा सहयोगियों की सूचना।
16. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित अधिकारियों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अध्ययन केन्द्रों के टेलीफोन एवं ई-मेल पता
17. लाइव सपोर्ट सिस्टम/ऑन लाइन काउन्सलिंग।

15. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गयी हो, तो उसका भी विवरण:—

सूचना प्राप्त करने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की व्यवस्थाओं के अनुसार प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जाता है।

16. ऐसी अन्य सूचना जो विहित हो -

क) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिये चयनित अध्ययन केन्द्रों एवं उनमें पंजीकृत विद्यार्थी की संख्या का विवरण :-

S.NO	Study Centre Name & Address	No. Of Students
1	SGRR Public school, Sahaspur, dehradun	24
2	Himalayiya Ayurvedic Medical college & Hospital, Gr. Fatehpur tanda, Jeewanwala Dehradun	10
3	Alpine Institute of management & technology, Nanda ki chowki, premnagar, dehradun	
4	Vision & Beyond Institute, B-169 prakash nagar Idgah Govind Garh Road, Dehradoon	87
5	Nav chetna college of teacher's, Shastri nagar haridwar road, Dehradun	15
6	Uttaranchal college of technology & biomedical Science, Sewla Khubd, S.P Road Dehradun	-
7	Daksh Institute of management & technology, Near ujjawal bhawan, GMS road, Ballupur Chowk Dehradoon	22
8	SGRR public school Bindal, Dehradoon	-
9	SGRR public school Nehrugram, Dehradoon	-
10	Boxa janjati krishak inter college, sheesambara, PO sherpur, Dehradun	26
11	Doon Institute, 9th Mile stone, hardwar rishikesh highway, Shyampur, rishikesh	-
12	Sheetal College of Biomedical Science, Gram Falsur Badkot, Dandi via ranipokhri, Dehradoon	-
13	ACME Academy, 9B EC Road, Dehradoon	18
14	DASS College, 17th New Survey Road, Opp Vikas Bhawan, Dehradun, 248001	3
15	Sri Ayush Hospital & Research Centre, Drona Hotel, Dehradoon	31
16	Vinayak Institute of Technology & Management, 60 chakrata road, Dehradun	2
17	Uttaranchal ayurvedic college, 107 old mussorie Road, Rajpur, Dehradun	36

18	Amazon Institute Of Hotel Tourism & management, PO-kandoli, Near Assaram Bapu Ashram, Sahastradhara Road, dehradun	8
19	Bright Angel School, Chakrata Road, Jeewangarh Post Ambari, Dehradun	-
20	SGRR PG college, Pathribagh, Dehradun	269
21	Doon Shikshak Sansthan "Career House" behind kamla palace hotel indira puram, GMS road Dehradun	43
22	Indira rashtriya chetna evem samajotthan Sansthan, hoshiyari mandir, Raiwala, Dehradun	109
23	Herbo Ved Gram Uhhyog Sansthan, Near Country Inn hotel, Haripur via Raiwala, Dehradun	5
24	Netcom Computers, Near Mandi gate vikasnagar, Dehradun	49
25	TASMIA, 1 Inder Road, Dalanwala, Dehradun, 248001	52
26	Institute of Hospitality Management (IHM), 9th Mile stone, Shyampur Gari, Prem Vihar, PO Satya Narayan, Rishikesh	32
27	Himalayan Action Research centre (HARC), 744, Indra nagar, P.O New Forest, Phase-2 Dehradun	44
28	Godawari Academy, 5, shastri nagar, near riswana bridge Dehradun	5
29	IICI College of Advance studies, Vidhya Peeth Marg, Vikas Nagar, 248198	6
30	Shri Guru Nanak Public Boys Inter College, Chukhuwala, Dehradun	-
31	Daksh Institute Of Management Studies, Barlowganj, Mussoorie, 248122	-
32	Culinary College of Hotel Management & Catering, Rageshwari Puram, Haridwar Road, Mokhampur, Dehradun	13
33	BABA Farid Institute Of Technology, Sudhowala, Mandowala Road, Dehradun, 248007	7
34	Renaissance Institute Of Management & Technology, ISBT Road, Saraswati Vihar, E Block, Dehradun, 248001	45
35	Institute Of Information Technology And Management, 168 Arhat Bazar, Opp SBI, Dehradun, 248001	-
36	Nageshwati Ayurvedic Panchkarma Centre, ISBT Road, Near Rispana Bridge	5
37	Universal Institute of Hotel Management, 156/1, 156/2 A Block, Nehru Colony, Near Hotel Himpalace, Dehradun, 248001	11
38	Shri Krishna Institute Of Management & Technology, 53, T.H.D.C Colony, Dehrakhas, Dehradun	-
39	Cogent College Of Advanced Studies, 219, Indira Nagar Colony, Vasant Vihar, Dehradun	9

40	Chirag Prachya Vidhya Kendra, Rishikesh, Shankar Public School, Near Ambedkar Chowk, Rishikesh	17
41	Doon Vedic Shiksha Samiti, Haripur PO Herbertpur, Disst Dehradun	155
42	North Point Children Academy 50, Tadkeshwar Road Garhi, Dehradun	2
43	All India Federation Of Astrologers Society, 30-72/1, Rajpur Road, Dehradun	12
44	Divya Prem sewa Mission, Swami Vivekanand Institute, near Hotel Leegrand Ranipur, Haridwar	122
45	HEC PG College, Kanya Gurukul Campus, Chhoti Nehar, Kankhal Haridwar	247
46	Rishikul Government Ayurvedic PG College, Haridwar	49
47	Swami Darshnananda Institute of Management & Technology, Gurukul mahavidhyalay, jwalapur, haridwar	27
48	Maharishi dayanand Institute of Management & Technology, Dhanauri, Roorkee, Disst Haridwar	37
49	Trayambakam Panchkaram centre, Abhishek nagar, Kankhal, Dadu Bagh, Haridwar	31
50	Guru arjun Dev Degree College, village PO Buggawala pargana bagwanpur, Tehsil Roorkee, Disst Haridwar	44
51	BSM PG College, Roorkee	118
52	SP Institute of Combined Education, 244/7, Yoganand vihar, Roorkee	91
53	Jamia Islahul Bannat, Moh. Tally Manglour town, Disst haridwar	14
54	RMP PG College, gurukul Narsan, Haridwar	-
55	Chamanlal Educational Society, Gram bhagwanpur, chandanpur PO Lanndara, Haridwar	54
56	Garg degree college, haridwar road, Lakshar	16
57	Sumati Gramotthan evam training institute, B-6, Industrial Area, Balbhadrapur, Kotdwara, Garhwal	12
58	Gyandeep Balniketan , 64-A Subhash Nagar, Roorkee. Disst Haridwar	201
59	Sri sri Dev Public school, pathri, P.O Ambuwala Disst Haridwar	-
60	J.P Inter College, Vikasnagar, Kotdwara, Garhwal	51
61	Harsh Vidhya Mandir Degree College, Raisi Haridwar	-
62	Kunwar Prabha H.SS Laldhang, Haridwar	-
63	Vidhya Vikasini College, Gurukul Narsan, Haridwar, 249406	4
64	Chinmaya Degree College, B.H.E.L, Ranipur Haridwar, 249403	-

65	City College Of Management & Technology, 324, Sot Roorkee, 247667	8
66	Rahamania, Bhagwanpur, Haridwar, 247661	75
67	World Academy of Traditional Medical Science, Parmarth Niketan Sawargashram Rishikesh, Disst Pauri	21
68	ASTHA Institute of Management & Technology, Near Godawari hotel Asap Nagar, Roorkee	51
69	Swami Vivekanand Vidhya Mandir Veleshwar P.O.-Siliyara, Tehri Garhwal	79
70	Dudhatoli Takniki Mahavidhyalaya, TripalisainPO Bageli, Disst Pauri Garhwal	56
71	Govt. Degree College Vedikhal (Pauri Garhwal)	-
72	Hilltech Professional & Educational Institute, Sangam Road Narayan Bazar, Ghansali, Tehri Garhwal	14
73	Government PG College, Jaiharikhal (Lansdowne)	17
74	Swami Ram Institute of Vocational Educational & Research, Malethi, PO Khairasain, Disst Pauri Garhwal	3
75	Raath Mahavidyalaya, PO Paithani, Patti- Kandarsuain, Pauri Garhwal 246123	12
76	Kargil Shaheed Dharam Singh GIC, PO Kaljikhhal, Disst Pauri Garhwal	32
77	H.N.B. Garhwal university Campus, Pauri	50
78	Janta Inter College, Kunjkhhal, Pauri Garhwal	54
79	Government Degree College, Chaubattakhhal, Pauri	61
80	Jayveer Memorial Satya Mahavidhyalaya, PO Daangi, Nailchami, Pauri	97
81	JIC, Takolikhal, Block Rikhanikhal, Pauri	61
82	Vande Matram Tridev Mahavidhyalaya, Gardeshi Dhaam PO Kingorikhal Aswalsyn, Pauri Garhwal	10
83	Interface Academy, Badrinath Road, Srinagar, Pauri	24
84	Government PG College, Agastyamuni, Pauri	1
85	Info International, Near SBI, Kapoor gali, Uttarkashi	35
86	Birja Gramin Jan Vikas Siksha Sanshthan, Chinyali Sour Uttarkashi	51
87	Govt Intermediate College lambgaon, Tehri Garhwal	-
88	Goswami Ganesh Dutt Inter College, Uttarkashi	9
89	HIFEED campus Ranichauri Tehri Garhwal Uttarakhand	12
90	Subhash Inter College, PO Thauldhar, Disst Tehri Garhwal	126
91	Unity Law college, Kashipur Road, Village Jaffalpur, Rudrapur	32
92	Late ratikant Biswas Memorial School, vill Pipliya No 1, PO Premnagar, gadarpur, U.S Nagar	177

93	Amrapali Institute of applied Sciences, Shiksha Nagar, Lamachaur, haldwani	32
94	Vivekanand vidya mandir, Pratapgari, kathgodam, nainital	81
95	Vision institute of management & technology, Prem nagar, behind AXIS bank, Bajpur	12
96	Arogya Kunj Ayurveda Yoga Chikitsalaya & Prashikshan Sansthan, Near Sanjay Van Tanda, Haldwani	52
97	Dr. sushila tiwari memorial social development society, basant vihar, Plot No-1, Jawahar nagar (Nagla) Pant nagar, Disst U.S nagar	31
98	Nivaran Jan kalyan society, Ward No 1, Opposite Old Petrol Pump, Mallital, Bhimtal	21
99	New Era services, IJIT Finance Institute, Near Shaheed Park, Tera Road, Lakhanpur, Ramnagar	19
100	IIMT, Nurturing tomorrow, Near abdullah petrol pump, kusumkhera, Kladhungi road, Haldwani	96
101	Akhil Parwatiya Sewa Samiti, Village & PO suyalbadi, Disst Nainital	9
102	CEFA Institute of Mangement & Technology, Behind Shiv puri Colony, Halduchaur, haldwani	45
103	Bhagwati Swaroop Educational Welfare Society, Greenwood public school, Sitarganj, U.S Nagar	238
104	Aditya Yoga Naturapathy Research Institute, Haldwani By pass Road Kiccha	111
105	Puspak junior High School, Vill & PO Dhela, Ramnagar	-
106	Royale College of tourism & hotel management, Belvedere compound, Mallital, Nainital	1
107	Kargil Saheed Sanik School, Bhawan Singh Nawad Mota Haldu, Haldwani	26
108	Poornagiri College Of Education, Jhankhat, Khatima, U.S Nagar, 262308	184
109	Mother India Institute Of Professional Studies, NH74 Doraha, Bazpur, Disst US Nagar, 262401	23
110	PNG Government PG College, Ramnagar, Nainital, 244715	31
111	S.B.S Government P.G College, Rudrapur (U.S Nagar)	121
112	Kumaun College of Information Technology, Nainital Road, Kathgodam	6
113	Jai Arihant Academic Institute, Arihant Educational Park, Bareilly Road, Halduchaur, Haldwani	-
114	Smart Skills, Kaladhungi Road Haldwani	284
115	Government Mahila Degree College, Nawabi Road, Haldwani	-
116	M.B.P.G College, Nainital Road, Haldwani	153

117	Swami Vivekanand Puri Madhyamic Vidhyalaya, Shanti Nagar, Bindukhatta, Lalkuan	2
118	PAHAL, Quidwai Nagar, Haldwani	25
119	GIC Khumar, Salt Almora	18
120	Vivekanand Modern School, Vill- Kotsari, PO-Dehghat, Almora, 263659	52
121	Binayak Inter College, Jamoli, Almora	17
122	GIC Chaukhutiya, PO- Ganai, Distt-Almora, 263656	-
123	GIC Shitalakhet Almora	-
124	GIC Bhagtola, AT/PO-Bhagtola, Almora	-
125	Govt P.G.College Ranikhet, Disst Almora	42
126	Government Inter College, Chaunaliya, Almora	-
127	Governement Inter College, Kalraon Jairam Bakhal, PO Jairam Bakhal, Almora	57
128	Infotech Technology, Maa Nanda Devi Complex, LR Sah road , Almora	-
129	GIC Kulanteshwer Syaldey PO Kulentashwer, Disst Almora	28
130	Govt P.G.College Dwarahat Almora	24
131	Nav Prabhat Public School, Village & Post Office - basbhira distt-almora	67
132	Adarsh Institute Of Technology & Education, Upper Market, Karanprayag, Disst Chamoli	156
133	Governemnt Degree College, Jainti, Almora	13
134	Government Degree College, Manila, Disst Almora	-
135	Government Degree College, Gairsain, Disst Chamoli	35
136	Government Degree College, Syalde, Almora	16
137	Government Degree College, Joshimath, Disst Chamoli	-
138	Government Degree College, Karanprayag, Chamoli	21
139	Government Inter College, Nandprayag, Chamoli	-
140	Governemnt Inter College, Alkapuri, Chamoli	-
141	Himalayan Institute of Education & Technology, Village & PO Jilasu Via Langasu, Disst Chamoli	166
142	I.D. Pant Study Centre, Soar Valley Public School Pithoragarh (Near New Stadium)	16
143	Govt. P.G. College, Pithoragarh	80
144	Nikhileshwar Children's Academy G.I.C. Link Road Pithoragarh	18
145	Govt. P.G. College, NarayanNagar Pithoragarh	-
146	Sayuankt Vikas Evam Pryavaran Kalayan Samiti, Nachni, Pithoragarh	194
147	S.M.G.I.C. Gangolihat Po.Gangolihat, Pithoragarh	28

148	Care Computers, GIC Link Road Tiraha, Pithoragarh Uttarakhand	45
149	Little Angel Nursery Public School Ganesh Chawk, Berinag Pithoragarh	19
150	Govt. P.G. College Lohaghat Distt. Champawat	17
151	Government Inter College, Dharchula Disst Pithoragarh	-
152	Government Higher Secondary School, Dungrakote PO MARB(WADDA) Pithoragarh	-
153	Mahatma Gandhi Nature Cure & Yoga Vill-Kaflang,PO-Dudhpokhra,Distt-Champawat	28
154	Govt P G College Bageshwar	163
155	GIC Garud, Bageshwar	-
156	GIC Saung,PO-Loharkhet, Bageshwar	17
157	GIC Kanda, Bageshwar	-
158	GIC Kapkote, Bageshwar	39
159	GIC Kafligair, Bageshwar	22
160	GIC Kausani, Bageshwar	10
161	J.L.N Inter College, Shama, Disst Bageshwar	54
162	V.M.J.S Government Inter College, Bageshwar	75
163	GIC PO Badiyakote, Bageshwar	17
164	GIC PO Bhakthola, Bageshwar	-
		6615

ख) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों में प्रभावी नियन्त्रण समनवयक हेतु गठित क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण :-

CODES AND ADDRESSES OF REGIONAL CENTRES

S.N.	Name of Regional Centre	Region Code	Address (Correspondence)	Regional Director	e-mail, Contact No.	Operational Area
1	Dehradun	11	S.G.R.R PG College, Patharibagh, Dehradun	Dr. Sandeep Negi	dehradun@uou.ac.in +919412031183	Uttarakhand
2	Roorkee	12	B.S.M PG College, Roorkee	Dr. Rajesh Paliwal	roorkee@uou.ac.in +919412439436	Uttarakhand
3	Pauri	14	H.N.B Garhwal University, Pauri Campus	Dr. T.P Pant	pauri@uou.ac.in +919412991540	Uttarakhand
4	Uttarkashi	15	Government Degree College, Uttarkashi	Dr. D.S Negi	uttarkashi@uou.ac.in +919411145096	Uttarakhand
5	Haldwani	16	M.B PG College, Haldwani	Dr. Bharat Singh	haldwani@uou.ac.in +919410332911	Uttarakhand
6	Ranikhet	17	Government PG College, Chilianaula, Ranikhet	Dr. B.K Singh	dwarhat@uou.ac.in +917579132634	Uttarakhand
7	Pithoragarh	18	Government PG College, Pithoragarh	Dr. R.P Dwivedi	pithoragarh@uou.ac.in +919412093678	Uttarakhand
8	Bageshwar	19	Government PG College, Bageshwar	Dr. B.C Tiwari	bageshwar@uou.ac.in +919412044914	Uttarakhand

ग) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण :-

Sl. No.	Programme Name	Duration	Eligibility Criteria	Fees (Rs.)	Min Age	Medium of instruction
1.	Bachelor of Computer Application 10	3 to 6 years	10+2 (Science)/Bachelor of Computer Applications Preparatory Programme Lateral Entry : Polytechnic	Rs. 39000	18 years	English
2.	Master of Science in information Technology 10	2 to 4 years	Graduation in science/CS/IT Lateral Entry: Post Graduate Diploma in Computer Applications	Rs. 38000	18 years	English
3.	Bachelor of computer Applications Preparatory Programme	6 months to 18 months	Literate/Age 18 years	Rs. 700	18 years	English
4.	Master of Business Administration 10	3 to 6 years	50% marks at graduation or post graduation level/45% at graduation level along with 2 years of supervisory/managerial /professional /teaching experience.	Programme Fee MBA First year (Diploma in Management)-Rs 11,000 MBA Second year-(Specialization Diploma) -Rs 7,000 MBA Third Year-Rs4,500 Examination Fee: MBA First year (Diploma in Management):1500 MBA Second year-(Specialization Diploma):Rs 900 MBA Third Year (600 for theory paper+1000 for project):Rs1600	18 years	English

				Registration Fee:Rs 100 Application cum Admission Fee- Rs 500		
5.	Bachelor of Business Administration 10	3 to 6 years	10+2 pass/BCPP pass only.	Programme Fee: Rs 8,000 per year Examination Fee: First Year: Rs 1650 Second Year: Rs. 1500 Third Year: Rs 1350	18 years	English
6.	Master of Commerce 10	2 to 6 years	Bachelor Degree in Any stream	Rs.2500 first year Rs.2500 second year	18 years	Hindi
7.	Bachelor of Commerce 10	3 to 6 years	10+2 or passed BAPP/BCPP programme of any open University	Rs.2000/- first year Rs. 2000 second year Rs. 2000 third year	18 years	Hindi
8.	Post Graduate Diploma in Marketing Management 10	1 to 3 years	50% marks at graduation or post graduation level with one years experience in the relevant field. Further, those having 45%marks at graduation level shall also be eligible with 2 years of supervisory/managerial /professional/teaching experience	Programme fee : Rs.7000 (annual), Examination fee: Rs.900, Entrance test fee – Rs.500 and Registration fee – Rs.100	18 years	English
9.	Post Graduate Diploma in Human Resource Management 10	1 to 3 years	50% marks at graduation or post graduation level with one year experience in the relevant field. Further, those having 45% marks at graduation level shall also be eligible with 2 years of supervisory/managerial	Programme fee : Rs.7000 (annual), Examination fee: Rs.900, Entrance test fee – Rs.500 and Registration fee – Rs.100	18 years	English

			/professional/teaching experience			
10.	Diploma In Management 10	1 to 3 years	50% marks at graduation or post graduation level/45% at graduation level along with 2 years of supervisory/managerial /Professional/teaching experience	Programme fee : Rs.11000 (annual), Examination fee: Rs.1500, Entrance test fee – Rs.500 and Registration fee – Rs.100	18 years	English
11.	Bachelor of Commerce Preparatory Programme 10	6 months to 2 years	Literate or age proof of 18 years	Rs.700	18 years	Hindi
12.	Certificate Course in Salesmanship & Marketing 10	6 months to 2 years	10+2 or 10 th with BAPP/BCPP programme of any open University	Rs.1400	18 years	Hindi/English
13.	Certificate Course in Office Management 10	6 months to 2 years	10 th	Rs.1400	18 years	Hindi
14	M.A. Hindi 10	2 to 6 years	Bachelor Degree in any discipline	Rs. 2500	18 years	Hindi
15	M.A. English 10	2 to 6 years	Bachelor Degree in any discipline	Rs. 2500	18 years	English
16	Certificate Course in English language & Personality Development 10	6 months to 2 years	10+2 any stream	Rs.6000	18 years	English
17	M.A. Economics 10	2 to 6 years	Bachelor Degree in any discipline	Rs. 2500	18 years	Hindi
18	M.A. Public Administration 10	2 to 6 years	Bachelor Degree in any discipline	Rs. 2500	18 years	Hindi
19	M.A. History 10	2 to 6 years	Bachelor Degree in any discipline	Rs. 2500	18 years	Hindi
20	M.A. Political Science 10	2 to 6 years	Bachelor Degree in any discipline	Rs. 2500	18 years	Hindi
21	M.A. Sociology 10	2 to 6 years	Bachelor Degree in any discipline	Rs. 2500	18 years	Hindi
22	Bachelor of Arts 10	3 to 6 years	10+2/Bachelor of Arts Preparatory Programme (BAPP)	Rs. 2000 per year	18 years	Hindi/English
23	Post Graduate Diploma in Journalism and Mass Communication 10	1 to 3 years	Graduation	Rs.6000	18 years	Hindi/English

24	Basic Certificate course in Panchayati Raj 10	3to 12 months	Literate	Rs.1500	18 years	Hindi
25	Certificate Course in Panchayati Raj 10	6to 24 months	10 pass	Rs.2500	18 years	Hindi
26	Certificate Course in Vedic Karmakand10	6 months to 2 years	10+2	Rs. 1000	18 years	Hindi
27	Certificate Course in Indian Astrology 10	6 months to 2 years	10	Rs. 1000	18 years	Hindi
28	Bachelors of Art Preparatory Programme10	6 months to 2 years	Literate or age proof of 18 years	Rs.700	18 years	Hindi
29	M.A. Education 10	2 to 6 years	Bachelor Degree in any discipline	Rs. 2500	18 years	Hindi/English
30	B.Sc. in Hospitality and Hotel Administration 10	3 to 6 years	10+2 Bachelor of Arts Preparatory Programme (BAPP)	Rs. 30000 (for three years)	18 years	Hindi
31	Diploma in Front Office 10	1 to 4 years	10+2/Bachelor of Arts Preparatory Programme (BAPP)	Rs. 12000	18 years	Hindi
32	Diploma in Tourism Studies 10	1 to 4 years	10+2/Bachelor of Art Preparatory Programme (BAPP)	Rs. 5500	18 years	Hindi
33	Diploma in Tour Guiding & Escorting 10	1 to 4 years	10+2/Bachelor of Art Preparatory Programme (BAPP)	Rs.5000 p.a.	18 years	Hindi/English
34	Diploma in Commercial Horticulture 10	1 to 2 year	10+2 (Science)	Rs.15000	18 years	Hindi
35	Diploma in Management Non Wood Forest Products 10	1 to 2 year	10+2	Rs. 6000	18 years	English
36	P.G. Diploma in Disaster Management 10	1 to 4 year	10+2	Rs. 6000	18 years	English/Hindi
37	Diploma in Public Health and Community Nutrition 10	1 to 2 year	10+2	Rs. 1800	18 years	Hindi
38	Certificate in Ayurvedic Beauty Care 10	6 months to 1 year	10 th	Rs. 6000	18 years	Hindi

39	Diploma in Panchkarma Assistance 10	1 to 2 year	10+2	Rs. 20000 (Rs. 2000/- additional for non bio students)	18 years	Hindi
40	Certificate in Ayurvedic Massage 10	6 months to 1 year	10 th	Rs. 6000	18 years	Hindi
41	Certificate in Ayurvedic Herb Cultivation 20	1 to 2 year	10 th	Rs. 6000	18 years	Hindi
42	Diploma in Yoga & Naturopathy 10	1 to 3 years	10+2 or BAPP	Rs. 5000	18 years	Hindi
43	Certificate in Yogic Science 10	6 months to 1 year	10+2	Rs. 2500	18 years	Hindi
44	Certificate in Naturopathy 10	6 months to 1 year	10+2	Rs. 2500	18 years	Hindi
45	Bachelor in Yoga and Naturopathy 10		10+2/Bachelor of Arts Preparatory Programme (BAPP)	Rs.2500 per semester.	18 years	Hindi
46	Master of Social Work 10	2 to 5 years	Graduation in any discipline	Rs.9000 per annum	18 years	Hindi
47	Certificate in Ayurvedic Food and Nutrition 10	6 months to 1 year	10 th	Rs. 1000	18 years	Hindi
48	Bachelor in Tourism Studies 10	3 to 6 years	10+2/Bachelor of Arts Preparatory Programme (BAPP)	Rs. 10000 (for three years)	18 years	Hindi/English
49	Diploma in Hotel Management 10	1 to 4 years	10+2/Bachelor of Arts Preparatory Programme (BAPP)	Rs. 10000	18 years	English
50	Diploma in Food & Beverage Service 10	1 to 4 years	10+2/Bachelor of Arts Preparatory Programme (BAPP)	Rs.14000	18 years	English
51	Diploma in Food Production 10	1 to 4 years	10+2/Bachelor of Arts Preparatory Programme (BAPP)	Rs.14000	18 years	English
52	Diploma in House Keeping 10	1 to 4 years	10+2/Bachelor of Arts Preparatory Programme (BAPP)	Rs.12000	18 years	English
53	Diploma in Sanskrit	1 to 3 years	10+2	Rs. 2500	18 years	Hindi